



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन सं. 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन सं. 2**

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
1.	प्राक्कथन		v
2.	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय-I: विहंगावलोकन			
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	2
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3
6.	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
7.	सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.4	4
8.	वित्त का आशुचित्र	1.4.1	7
9.	सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र	1.4.2	8
10.	अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां	1.5	8
अध्याय-II: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त			
11.	वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव	2.1	11
12.	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	2.2	12
13.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधन	2.3	13
14.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियां	2.3.1	13
15.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	14
16.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	14
17.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	17
18.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	23
19.	पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	28
20.	संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	29
21.	व्यय की वृद्धि तथा संरचना	2.4.1	29

क्रम सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
22.	राजस्व व्यय	2.4.2	32
23.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.4.2.1	33
24.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	34
25.	राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.4.2.3	35
26.	सब्सिडी	2.4.2.4	36
27.	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.5	38
28.	पूँजीगत व्यय	2.4.3	39
29.	पूँजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन	2.4.3.1	39
30.	निवेश तथा प्रतिफल	2.4.3.2	40
31.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	41
32.	ऋण प्रबंधन	2.5	42
33.	ऋण रूपरेखा: घटक	2.5.1	42
34.	ऋण धारणीयता	2.6	43
35.	निष्कर्ष	2.7	44
अध्याय-III: बजटीय प्रबंधन			
36.	बजटीय प्रक्रिया	3.1	45
37.	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	46
38.	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	47
39.	विनियोग लेखे	3.2	47
40.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ	3.3	49
41.	अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान	3.3.1	49
42.	अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग	3.3.2	50
43.	अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	3.3.3	53
44.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.4	57
45.	एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.4.1	57
46.	बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.5	59
47.	अपेक्षित तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अन्तर	3.5.1	59

क्रम सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
48.	बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.5.2	61
49.	व्यय की अधिकता	3.5.3	62
50.	अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)	3.5.4	67
51.	अनुदान सं. 11 - 'शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग' का परिणाम	3.5.5	68
52.	अन्य अनियमितता	3.5.6	74
53.	अनुशंसाएँ	3.6	75
अध्याय-IV: लेखा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली			
54.	निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित	4.1	77
55.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.2	77
56.	सार आकस्मिक बिल	4.3	88
57.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.4	96
58.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.5	100
59.	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतिकरण	4.6	104
60.	वित्त लेखाओं के विवरण में अन्य गलतियां	4.7	105
61.	वाउचर लेखापरीक्षा की अनियमितताएं	4.8	109
62.	एकल नोडल लेखांकन	4.9	112
63.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग कोष का गैर-संचालन	4.10	113
64.	अनुशंसाएँ	4.11	114
अध्याय-V: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम			
65.	परिचय	5.1	115
66.	रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.2	117
67.	रा.सा.क्षे.उ. द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.3	121
68.	रा.सा.क्षे.उ. के नेट वर्थ का क्षरण	5.4	121
69.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति	5.5	122
70.	निष्क्रिय कंपनियां	5.6	125
71.	निष्कर्ष	5.7	126
72.	अनुशंसाएँ	5.8	127

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	129
परिशिष्ट 3.1	योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	131
परिशिष्ट 3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित व्यय में वापस ले लिया गया था	134
परिशिष्ट 3.3	अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)	137
परिशिष्ट 5.1	31 मार्च 2022 को राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित इक्विटी एवं बकाये ऋण की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण	139
परिशिष्ट 5.2	31 मार्च 2022 को बकाये ऋण के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों और राज्य सा.क्षे.उ. के लेखों के बीच अंतर दर्शाने वाला विवरण	141
परिशिष्ट 5.3	जिस अवधि के लिए लेखे बकाया हैं, उस अवधि के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	142
	पारिभाषिक शब्दावली	143

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

अध्याय I प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय II रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं प्रमुख लोक लेखा के लेन-देन की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

अध्याय III रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है।

अध्याय IV रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय V सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी एवं वैधानिक निगमों के वित्तीय निष्पादन की चर्चा करता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखापरीक्षित लेखों तथा अनेक स्रोतों जैसे आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरण एवं जनगणना 2011 से संगृहीत अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित यह रिपोर्ट पाँच अध्यायों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I

विहंगावलोकन

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का राजकोषीय अधिशेष 2017-18 में ₹ 113 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹ 2,237 करोड़ हो गया जो 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटे और 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में बदल गया और जो पुनः 2021-22 के दौरान ₹ 7,021 करोड़ के घाटे में बदल गया।

(पैराग्राफ 1.5)

अध्याय-II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

- राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7,449 करोड़ (17.79 प्रतिशत) बढ़ गईं। वर्ष 2021-22 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 82.83 प्रतिशत थी जबकि सहायता अनुदान का योगदान 17.17 प्रतिशत था। कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व का अंश 2017-18 में 92.37 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 81.15 प्रतिशत हो गया।

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ से 47.37 प्रतिशत घट कर 2021-22 में ₹ 11,193 करोड़ हो गईं (भारत सरकार से बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त 2020-21 में ₹ 5,865 करोड़ और 2021-22 में ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को हटाने के बाद)। उसी प्रकार गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति 2020-21 में ₹ 631 करोड़ से 1.27 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹ 623 करोड़ हो गईं।

(पैराग्राफ 2.3.3)

- पूंजीगत व्यय 2017-22 की अवधि के दौरान वर्ष के मध्य में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 8,311 करोड़ के बीच उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जबकि राजस्व व्यय उसी अवधि के दौरान लगातार बढ़ा। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में ₹ 4,699 करोड़ से (76.87 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,311 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.84 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 14.59 प्रतिशत तथा 4.57 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.3)

- राजस्व व्यय 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ से 36.41 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ से 13.93 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश पिछले पांच वर्षों की तुलना में 34.88 प्रतिशत (2019-20) से 36.34 प्रतिशत (2020-21) तक रहा।

(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.2)

- सब्सिडी पर व्यय 2017-18 में ₹ 2,497 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,690 करोड़ (87.83 प्रतिशत) हो गया। 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 12.28 प्रतिशत बढ़ गया। 2021-22 के दौरान उच्चतम सब्सिडी बिजली सब्सिडी (₹ 3,250 करोड़) थी उसके बाद पानी सब्सिडी (₹ 600 करोड़) थी। स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता 2020-21 में ₹ 16,643 करोड़ से 3.15 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹ 16,118 करोड़ हो गई।

(पैराग्राफ 2.4.2.4 एवं 2.4.2.5)

- 2021-22 में सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में किए गए निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 800 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2017-18 से 2021-22 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.05 प्रतिशत से 0.43 प्रतिशत के बीच था जबकि सरकार ने 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.50 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

(पैराग्राफ 2.4.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियां शामिल हैं। 2021-22 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,786 करोड़

(₹ 53,844 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़ - ₹ 6,193 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य को ऋण प्राप्ति के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) और ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। सरकार का ऋण 2017-18 के अंत में ₹ 33,569 करोड़ से ₹ 8,217 करोड़ (24.48 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 के अंत में ₹ 41,786 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान ₹ 950 करोड़ (29.10 प्रतिशत) बढ़ गया।

(पैराग्राफ 2.5 एवं 2.5.1)

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

- 2021-22 के दौरान ₹ 72,081.08 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजन के प्रति ₹ 10,539.08 करोड़ (14.62 प्रतिशत) की कुल बचत थी जो दर्शाता है कि बजट अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जांच के बाद तैयार नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 3.1.1 एवं 3.3.3)

- सात मामलों में ₹ 1,275.33 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ। चार अनुदानों में फैले 9 उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी। पुनर्विनियोग अनावश्यक रूप से किये गये थे क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे तथा ₹ 230.12 करोड़ के पुनर्विनियोग के प्रति ₹ 699.19 करोड़ की संचयी बचत थी। यह निधियों के अवास्तविक मूल्यांकन और घाटे की बजटीय कवायद को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.3.1 एवं 3.3.2)

- रा.रा.क्षे.दि.स. ने व्यय के सटीक वस्तु शीर्ष की पहचान किए बिना चार अनुदानों के अंतर्गत ₹ 319 करोड़ के कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया, जिसके प्रति ₹ 170.07 करोड़ व्यय किए गए।

(पैराग्राफ 3.4.1)

- ₹ 10,539.08 करोड़ की कुल बचत में से 31 मार्च 2022 को ₹ 5,458 करोड़ (51.79 प्रतिशत) की बचत व्यपगत हो गयी थी। इससे पता चलता है कि बजट आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित था।

(पैराग्राफ 3.5.1)

- नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत 82 उप-शीर्षों में, ₹ 560.41 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभागों द्वारा अनुपयोगी रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस भेज दिया गया। सम्पूर्ण अनुदानों की बचत दर्शाती है कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जांच के बाद प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 3.5.2)

- 2021-22 के दौरान ₹ 61,172.34 करोड़ के कुल व्यय में से (₹ 369.66 करोड़ की वसूली के अलावा) ₹ 21,800.95 करोड़ (बजट का 30.24 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि मार्च 2022 महीने के दौरान ₹ 9,995.85 करोड़ (बजट का 13.87 प्रतिशत) व्यय किए गए थे। आगे, पांच अनुदानों के अंतर्गत 11 उप-शीर्षों में ₹ 1,596.02 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया था। यह वित्तीय नियमों के पालन में कमी को दर्शाता है और व्यय की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

(पैराग्राफ 3.5.3)

अध्याय-IV

लेखा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

- लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012-13 से पूर्व ₹ 221.02 करोड़ की राशि के 1,049 उ.प्र. (73.46 प्रतिशत) बकाये थे जबकि ₹ 7,509.29 करोड़ की राशि के 379 उ.प्र. (26.54 प्रतिशत) 2012-13 से 2020-21 तक के बकाये थे।

(पैराग्राफ 4.2)

- मार्च 2022 तक ₹ 432.42 करोड़ के कुल 4,686 सा.आ. बिल बकाया थे। 64 सरकारी विभागों ने वित्त वर्ष 2021-22 के खाते बंद होने से पहले ₹ 134.40 करोड़ की राशि के 536 वि.प्र. बिल जमा नहीं किए। अतः इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्त वर्ष के दौरान ये व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किया गया था।

(पैराग्राफ 4.3)

- 2021-22 के दौरान ₹ 54,354 करोड़ के कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) में से ₹ 5,745 करोड़ के व्यय को लेखा के लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 10.57 प्रतिशत था,

जबकि ₹ 49,312.99 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 695.57 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.41 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 4.5)

- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 11 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा 2021-22 तक देय आठ निकायों/प्राधिकरणों के 26 वार्षिक लेखे सितम्बर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

(पैराग्राफ 4.6)

अध्याय -V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

- 31 मार्च 2022 तक, भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली में सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी, दो सांविधिक निगमों तथा 15 सरकारी कंपनियों सहित 18 रा.सा.क्षे.उ. थे।

(पैराग्राफ 5.1.3)

- 31 मार्च 2022 तक, 18 रा.सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 25,748.79 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के लिए 37.38 प्रतिशत और दीर्घावधि के ऋण में 62.62 प्रतिशत शामिल था। इसमें से रा.रा.क्षे.दि.स. ने इन रा.सा.क्षे.उ. में ₹ 24,797.65 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 9,202.49 करोड़ की इक्विटी और ₹ 15,595.16 करोड़ का दीर्घावधि ऋण शामिल है।

(पैराग्राफ 5.2.1)

- छह रा.सा.क्षे.उ. में से दो रा.सा.क्षे.उ., जिन्होंने लाभ कमाया और जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, ने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया था। एक रा.सा.क्षे.उ. ने हालांकि लाभ नहीं कमाया लेकिन अपने नेट वर्थ के आधार पर लाभांश का भुगतान किया।

(पैराग्राफ 5.3)

- दिल्ली परिवहन निगम का नेट वर्थ उसके संचित घाटे से पूरी तरह से समाप्त हो गया है और 31 मार्च 2022 तक ₹ 1,983.85 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति नेटवर्थ (-) ₹ 50,258.83 करोड़ था।

(पैराग्राफ 5.4)

- 18 रा.सा.क्षे.उ. में से केवल छह रा.सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2021-22 के लिए अपना वार्षिक लेखा पस्तुत किया था और शेष 12 रा.सा.क्षे.उ. में 19 लेखाओं का बकाया था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 12 रा.सा.क्षे.उ. में से छह में उस अवधि के दौरान जिसके लिए उनके लेखे बकाया थे, ₹ 2,572.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 4.80 करोड़, ऋण: ₹ शून्य करोड़, अनुदान ₹ 2,567.73 करोड़) प्रदान किया था।

(पैराग्राफ 5.5.2)

अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात् संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तालिका 1.1 में दी गयी है:

तालिका 1.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

क्र.स.	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र	1,483 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या	
	क. जनसंख्या (2011 जनगणना)	1.70 करोड़
	ख. जनसंख्या 2022	2.10 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01.03.2022 को अनुमानित जनसंख्या) (अखिल भारत का घनत्व = 418.43 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	14,137 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बीपीएल) 2011-12 (अखिल भारत का औसत = 21.92 प्रतिशत)	9.91 प्रतिशत
5	साक्षरता (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22) (अखिल भारत का औसत = 73.00 प्रतिशत)	86.20 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (2020) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारत का औसत = प्रति 1000 जन्म पर 28)	12
7	जन्म के समय जीवन की उम्मीद (2015-19) (अखिल भारत का औसत = 69.7 वर्ष)	75.9 वर्ष
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2021-22	₹ 9,23,966.57 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/जीडीपी सीएजीआर (2012-13 से 2021-22)	रा.रा.क्षे.दिल्ली 7.84 प्रतिशत अखिल भारत 8.86 प्रतिशत
10	स.रा.घ.उ./स.घ.उ./ सीएजीआर (2012-13 से 2021-22)	रा.रा.क्षे.दिल्ली 10.01 प्रतिशत अखिल भारत 10.11 प्रतिशत
11	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	12.12 प्रतिशत (अखिल भारत) 22.13 प्रतिशत

स्रोत: जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत एवं इसके राज्यों की जनसंख्या अनुमान 2011-2036, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वेबसाइट, आर्थिक सर्वे 2021-22, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) बुलेटिन, एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2015-19, दिल्ली के 2021-22 के राज्य घरेलु उत्पाद का अनुमान, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स., राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और जनगणना 2011.

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य की सीमाक्षेत्र के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ.¹ में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि में परिवर्तन क्रमशः तालिका 1.2, चार्ट 1.1 तथा चार्ट 1.2 में दिये गये हैं

तालिका 1.2: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां


(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
विगत वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	(-).1.36	19.51
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
विगत वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.03	8.92	7.54	-1.09	17.65

स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाइट एवं आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. के लिए क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2017-18 से 2021-22)²




स्रोत: 2021-22 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

¹ वर्तमान मूल्यों पर

² उत्पाद पर करों की हिस्सेदारी को छोड़कर माइंस सब्सिडी (2017-18 में 11.32 प्रतिशत और 2021-22 में 12.40 प्रतिशत)

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: 2021-22 के दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.1 और चार्ट 1.2 से स्पष्ट है कि तृतीयक (सेवा) क्षेत्र राज्य के स.रा.घ.उ. में सबसे बड़ा योगदानकर्ता (73.53 प्रतिशत) था, इसके बाद द्वितीयक (उद्योग) क्षेत्र (12.07 प्रतिशत) था। पिछले वर्ष के दौरान मंदी के बाद 2021-22 में सभी क्षेत्रों में विकास दर में वृद्धि हुई थी। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजस्व अधिशेष में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,820 करोड़ (125.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1.5 और अध्याय II में वर्णित है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- स.रा.घ.उ. तथा राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम; और

- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्ता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मसौदा पर टिप्पणी हेतु दिसम्बर 2022 में भेज दिया गया था। सरकार के उत्तर, जहां प्राप्त हुए हैं, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पांच अध्यायों में की गई है:

अध्याय – I	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय – II	राज्य के वित्त यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।
अध्याय – III	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय – IV	लेखा की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखा की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय – V	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के कामकाज पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखा को दो भागों में रखा जाता है:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (46))

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण दिए गए सभी अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा

प्राप्त सभी धन शामिल हैं। कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए तथा अधिनियम में दिए गए तरीके के अलावा इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिक निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा (47))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उन व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है इसलिए लोक लेखा से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केन्द्रीय सरकार के लोक लेखा में विलय हो जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केन्द्र सरकार के सामान्य नकद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती हैं तथा यह केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले में सहायता अनुदान प्राप्त करती है।


राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनका परिणाम भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए खर्चों और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा ऋण पर किया गया ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकता है) उपलब्ध कराने से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण और अग्रिम की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

पूंजीगत व्यय को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी चरित्र की ठोस संपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, सा.क्षे.उ. में निवेश पर व्यय शामिल हैं।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम 1991, की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूंजी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों/विनियोजन की मांग के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत समेकित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. की अन्य बजटीय पहल के क्रियान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय III में दिए गए हैं।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक तथा 2020-21 के वास्तविक की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति के विवरण परिशिष्ट 1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2020-21 वास्तविक	2021-22			
			बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. से वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	29,425	43,000	40,019	93.07	4.33
2	गैर-कर राजस्व	980	1,000	827	82.70	0.09
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	11,459	9,070	8,467	93.35	0.92
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	41,864	53,070	49,313	92.92	5.34
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	631	1,000	623	62.30	0.07
6	अन्य प्राप्तियां	-	-	-	-	-
7	उधार एवं अन्य देयताएं ^(क)	6,708	9,285	7,021	75.62	0.09 ³
8	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	7,339	10,285	7,644	74.32	0.83
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	49,203	63,355	56,957	89.90	6.16
10	राजस्व व्यय, जिसका	40,414	51,799	46,043	88.89	4.98
11	- ब्याज भुगतान	2,874	3,334	3,274	98.20	0.35
12	पूँजीगत व्यय	4,699	10,557	8,311	78.73	0.90
13	- ऋण एवं अग्रिम	4,090	2,378	2,603	109.46	0.28
14	कुल व्यय (10+12+13)	49,203	64,734	56,957	87.99	6.16
15	राजस्व अधिशेष (4-10)	1,450	1,271	3,270	257.28	0.35
16	राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-14}	(-) 6,708	(-) 10,664	(-) 7,021	65.84	-0.76
17	प्राथमिक अधिशेष (16+11)	(-) 3,834	(-) 7,330	(-) 3,747	51.12	-0.41

(क) उधार तथा अन्य देयताएं, सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां-संवितरण) और भारत सरकार के नगद शेष के साथ मिले हुए आरंभिक एवं अंतिम नगद शेष का निबल। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रभावी उधारियाँ तथा अन्य देयताएं क्रमशः ₹ 843 करोड़ और ₹ 828 करोड़ हो जाएंगी क्योंकि व्यय विभाग, भा.स. ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में राज्य को दी गई ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ क्रमशः वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की जीएसटी मुआवजा को ऐसे किसी मानक के लिए जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया हो राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

जीएसटी मुआवजा, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अधीन राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजा निधि में अपर्याप्त शेष के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 7,230 करोड़ की जीएसटी मुआवजा प्राप्त होने के अलावा दिल्ली ने राज्य की पुनर्भुगतान देयता के बिना रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 6,193 करोड़ का

³ ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को हटाने के बाद आया

बैंक टू बैंक ऋण भी प्राप्त किया। इस व्यवस्था के कारण ₹ 3,270 करोड़ के राजस्व अधिशेष तथा ₹ 7,021 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी की कमी के एवज में ₹ 6,193 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.4 में दी गई है:

तालिका 1.4: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				संपत्तियां					
	2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि		2020-21	2021-22	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
क	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	46,867	53,844*	14.89	क	सकल पूंजीगत व्यय	74,984	83,294	11.08
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूंजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	70,473	72,454	2.81
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	11,393	11,349	-0.39
घ	राजस्व लेखा में संययी अधिशेष	1,05,039	1,08,309	3.11					
कुल		1,56,850	1,67,097		कुल		1,56,850	1,67,097	


नोट: 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को क्रमशः ₹ 74,984 करोड़ तथा ₹ 83,294 करोड़ की संपत्ति में सकल पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 70,473 करोड़ और ₹ 72,454 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिये गए ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।

* इसमें 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।


1.5 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं 1.5 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2017-18 से 2021-22 की अवधि की समाप्ति पर अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.5: 2017-18 से 2021-22 की अवधि की समाप्ति पर स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है कि, राजकोषीय अधिशेष 2017-18 में ₹ 113 करोड़ से बढ़कर 2018-19 के दौरान ₹ 2,237 करोड़ हो गया जो 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटा और 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ के घाटे में बदल गया, जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के कुल योग ₹ 45,113 करोड़ (2020-21) में (20.48 प्रतिशत) वृद्धि के कारण ₹ 54,354 करोड़ (2021-22) हो गया, जो पुनः 2021-22 के दौरान ₹ 7,021 करोड़ के घाटे में बदल गया। 2020-21 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.85 प्रतिशत के राजकोषीय घाटा के प्रति 2021-22 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.76 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा रहा।

अध्याय - II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

अध्याय-II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

यह अध्याय वि.व. 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

2.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव

इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयन में मुख्य बदलावों को सरसरी तौर पर दिया गया है। इन सभी संकेतकों का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है। वि.व. 2020-21 की तुलना में वि.व. 2021-22 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलावों को तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: वि.व. 2020-21 की तुलना में वि.व. 2021-22 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयनों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व प्राप्तियां 17.79 प्रतिशत बढ़ गईं।✓ स्वयं कर प्राप्तियां 36 प्रतिशत बढ़ गईं।✓ गैर-कर प्राप्तियां 15.61 प्रतिशत घट गईं।✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान 26.11 प्रतिशत घट गया।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय 13.93 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 10.45 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.87 प्रतिशत बढ़ गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 9.56 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सहायता अनुदान पर व्यय 19.09 प्रतिशत बढ़ गया।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय 76.87 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 52.03 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 89.66 प्रतिशत बढ़ गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 61.25 प्रतिशत बढ़ गया।
ऋण तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण 36.36 प्रतिशत घट गया।✓ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां 1.27 प्रतिशत तक घट गईं।
सार्वजनिक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 47.37¹ प्रतिशत तक घट गईं।✓ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 29.10 प्रतिशत तक बढ़ गया।

¹ वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के तहत क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ को हटाने के बाद प्राप्त बैंक टू बैंक ऋण।

2.2 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग


यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के संघटकों की तुलना करता है। 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरणों को तालिका 2.2, चार्ट 2.1 तथा चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	आरंभिक शेष	6,001	11,393	89.85
	राजस्व प्राप्तियां	41,864	49,313	17.79
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	631	623	(-) 1.27
	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां (निवल)	12,100	6,977 ²	(-) 87.41 ³
	कुल	60,596	68,306	12.72
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	40,414	46,043	13.93
	पूंजीगत व्यय	4,699	8,311	76.87
	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	4,090	2,603	(-) 36.36
	अंतिम शेष ⁴	11,393	11,349	(-) 0.39
	कुल	60,596	68,306	12.72

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे



² 2021-22 के दौरान लघु बचत संग्रह के हिस्से के लिए भा.स. से 'शून्य' संवितरण के कारण।

³ वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ एवं ₹ 6,193 करोड़ के हटाने के बाद आया।

⁴ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ₹ 11,349.09 करोड़ के अंतिम शेष को मुख्य शीर्ष '8450: केद्रशासित प्रदेशों का शेष खाता' के तहत दर्शाया गया है जिसका यूनियन कैश बैलेंस में विलय हो जाता है।

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:


1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान निहित होती है।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. आदि को वितरित ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां, भा.स. से ऋण द्वारा प्राप्तियां तथा विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती है।

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समेकित निधियों का अंश होती है।

2.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियां

समग्र प्राप्तियों की संरचना को चार्ट 2.3 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2021-22 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों की संरचना



*आरंभिक शेष तथा आकस्मिक निधि के अतिरिक्त

2.3.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर, गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान निहित होती हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियां एवं उत्पलावकता अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313 ⁵
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	12.58	11.50	9.33	(-)11.18	17.79
स्वयं कर राजस्व (क)	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019
स्वयं गैर-कर राजस्व (ख)	766	644	1,097	980	827
स्वयं राजस्व (क+ख)	36,483	37,269	37,663	30,405	40,846
स्वयं राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.74	2.15	1.06	(-)19.27	34.34
भा.स. से सहायता अनुदान	2,184	5,844	9,473	11,459	8,467
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	10.03	8.92	7.54	(-) 1.09	17.65
रा.प्रा./सं.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	5.70	5.84	5.94	5.33	5.34
उत्पलावकता अनुपात ⁶					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	1.25	1.29	1.24	*	1.01
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वयं राजस्व उत्पलावकता	1.57	0.24	0.14	*	1.95

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*चूंकि स.रा.घ.उ. की विकास दर नकारात्मक थी अतः उत्पलावकता की गणना नहीं की गई थी।

राजस्व प्राप्तियां 8 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 2017-18 में ₹ 38,667 करोड़ से 27.53 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 49,313 करोड़ हो गई, जिसमें से उक्त अवधि के दौरान क्रमशः रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व में ₹ 4,302

⁵ जीएसटी मुआवजा (राज्यों को मुआवजा) जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 11,132.81 करोड़ का जीएसटी मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, दिल्ली को रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण राज्य के लिए देयता के पुनर्भुगतान किए बिना मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को जीएसटी मुआवजे के बदले ₹ 6,193 करोड़ की ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।


⁶ उत्पलावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही की शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरणार्थ, 1.85 पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता का तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियां प्रवृत्ति 1.85 प्रतिशत बिंदु तक बढ़ जाती, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ता।

करोड़ (12.04 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि भा.स. से सहायता अनुदान में ₹ 6,283 करोड़ (287.68 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2021-22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7,449 करोड़ (17.79) प्रतिशत बढ़ गई, जो विशेष रूप से स्वयं कर राजस्व में ₹ 10,594 करोड़ (36 प्रतिशत) वृद्धि के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व का अंश 2017-18 में 92.37 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 81.15 प्रतिशत हो गया। 2017-18 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 94.35 प्रतिशत थी जबकि सहायता अनुदान का अंशदान 5.65 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 82.83 प्रतिशत थीं जबकि सहायता अनुदान का योगदान 17.17 प्रतिशत था।

चार्ट 2.4: 2017-2022 के दौरान स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां




रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. 2017-18 में ₹ 6,77,900 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 9,23,967 करोड़ (36.30 प्रतिशत) हो गई। 2020-21 की तुलना में, स.रा.घ.उ. (₹ 7,85,342 करोड़) में वृद्धि होकर 2021-22 में ₹ 9,23,967 करोड़ (17.65 प्रतिशत) हो गई। जैसा कि चार्ट 2.4 से स्पष्ट है, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2017-18 में 5.70 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 5.34 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के

लिए स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि दर्शा रही थी लेकिन 2020-21 में तेजी से घटती हुई एवं 2021-22 में स्थिर दर्शा रही थी।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2021-22 में 1.01 पर थी जिसका तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियां 1.01 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गई, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ गई। 2021-22 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स.रा.घ.उ. के संदर्भ में स्वयं राजस्व उत्पलावकता 1.95 थी, इसका तात्पर्य है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वयं राजस्व प्राप्तियां 1.95 प्रतिशत बिंदु तक बढ़ गई, यदि स.रा.घ.उ. एक प्रतिशत तक बढ़ गई थी।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियों को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राज्य की राजस्व प्राप्तियों में संघटकों की प्रवृत्तियां



स्वयं कर राजस्व 2017-18 से 2020-21 तक मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शा रहा था, लेकिन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ₹ 10,594 करोड़ (36 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो मुख्यतः एसजीएसटी के संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,587 करोड़ (42 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

इसके अतिरिक्त, भा.स. से स.अ. 2017-18 से 2020-21 तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शा रही थी लेकिन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में मुख्य रूप से भारत सरकार से रा.रा.क्षे.दि.स. को राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान की शून्य प्राप्ति के कारण ₹ 2,992 करोड़ घट गया।

गैर-कर राजस्व में 2017-18 से 2020-21 के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शा रहा था लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्ति में कमी के कारण ₹ 153 करोड़ (16 प्रतिशत) की कमी हुई।


2.3.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं कर एवं गैर-कर शामिल हैं, से होता है।

स्वयं कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अपना कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति को तालिका 2.4 तथा चार्ट 2.6 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: 2017-18 से 2021-22 के दौरान स्वयं कर राजस्व की वृद्धि



तालिका 2.4: रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटक

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एसजीएसटी)	13,621	19,187	19,465	15,676	22,263
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	11,149	5,886	5,475	4,411	5,099
राज्य उत्पाद शुल्क	4,453	5,028	5,068	4,108	5,488
वाहनों पर कर	2,116	2,055	1,948	1,676	1,956
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	4,117	4,459	4,606	3,549	5,212
भू राजस्व	2	0	3	4	0
अन्य कर ⁷	259	10	1	1	1
कर राजस्व	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁷ मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर को शामिल करते हुए अन्य कर

तालिका 2.5: वर्ष 2021-22 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	ब.अ. (प्राप्ति बजट 2021-22 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	पु.अ. (प्राप्ति बजट के अनुसार) (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	ब.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	पु.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	ब.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी	पु.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	23800	21,500	22,263	(-) 1537	(+)763	(-) 6.46	(+) 3.55
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6200	5,000	5,099	(-) 1101	(+)99	(-) 17.76	(+) 1.98
राज्य उत्पाद शुल्क	6000	5,000	5,488	(-) 512	(+)488	(-) 8.53	(+) 9.76
वाहनों पर कर	2000	1,850	1,956	(-) 44	(+) 106	(-) 2.20	(+) 5.73
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	4997	4,997	5,212	215	(+) 215	4.30	(+)4.30
भू-राजस्व	3	3	0	(-) 3	(-) 3	(-) 100	(-) 100
अन्य कर	0	0	1	1	1	-	-
कुल	43000	38,350	40,019	(-)2981	(+) 1,669	(-) 6.93	(+) 4.35

2021-22 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में सभी राजस्व शीर्षों (स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) में कमी थी।

वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वस्तु तथा सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्थित राजस्व में हुई कमी के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जायेगा। केन्द्र वस्तु तथा सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी उद्गृहीत करता है तथा राज्यों को कर के अंश बांटता है जहां वस्तुएं अथवा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। एसजीएसटी संग्रहण में प्रवृत्तियों को तालिका 2.6 तथा चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: एसजीएसटी तथा प्राप्त किया गया मुआवजा

(₹ करोड़ में)

मास	प्रक्षेपित किया जाने वाला राजस्व	संग्रहित किया गया पूर्व जीएसटी कर *	संग्रहित किया गया एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम विभाजन + आईजीएसटी निधि से तदर्थ निपटान	अन्य कर **	प्राप्त की गई कुल राशि	प्राप्त किया गया मुआवजा ***	जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में बैंक टू बैंक ऋण
अप्रैल 2021	3,070	17.48	1,339.30	949.77	0.03	2,306.58	11,132.81	
मई 2021	3,070	29.47	523.45	366.98	0.01	919.91		
जून 2021	3,070	(-) 0.44	468.97	366.51	0.06	835.10		
जुलाई 2021	3,070	(-) 5.58	872.13	637.41	0.05	1,504.01		2,921.30
अगस्त 2021	3,070	24.28	808.27	1,337.85	0.01	2,170.41		
सितम्बर 2021	3,070	(-) 1.96	701.10	1,127.32	0.07	1,826.53		
अक्टूबर 2021	3,070	2.91	907.50	848.97	0.03	1,759.41		3,271.37
नवम्बर 2021	3,070	11.11	979.75	1,011.18	0.01	2,002.05		
दिसम्बर 2021	3,070	0.27	859.31	1,054.35	0.04	1,913.97		
जनवरी 2022	3,070	8.71	1,047.07	1,856.08	0.04	2,911.90		
फरवरी 2022	3,070	3.48	857.86	817.31	0.05	1,678.70		
मार्च 2022	3,070	(-) 4.71	900.14	1,624.85	0.11	2,520.39		
कुल	36,840	85.02	10,264.85	11,998.58	0.51	22,348.96		11,132.81


* पेट्रोलियम तथा शराब को छोड़कर वैट एवं सीएसटी सम्मिलित है।

** अन्य कर में मनोरंजन कर, केबल कर, लॉटरी, शर्त, सदटेबाजी कर तथा दवाई एवं टॉयलेट सामग्री पर उत्पाद शुल्क इत्यादि शामिल है।

*** रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखां 2021-22 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के मुआवजे के कारण ₹ 6,445.96 करोड़ प्राप्त हुए थे। इसमें ₹ 2,543.15 करोड़ वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 7,230 करोड़ वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्त मुआवजा था (₹ 6,445.96 करोड़ - ₹ 2,543.15 करोड़ + ₹ 7,230.00 करोड़ = ₹ 11,132.81 करोड़)।

वर्ष 2021-22 के लिए प्रक्षेपित राजस्व 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अनुसार ₹ 36,840 करोड़ था। इसके विपरीत वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 22,263.43 करोड़ थीं और प्राप्त किया गया मुआवजा ₹ 11,132.81 करोड़ था तथा मुआवजे के प्रति बैंक टू बैंक ऋण⁸ ₹ 6,192.67 करोड़ था जैसा कि तालिका 2.6 में विस्तृत किया गया है।

चार्ट 2.7: एसजीएसटी संग्रहण में प्रवृत्तियां



⁸ जीएसटी मुआवजे के लिए विकल्प के रूप में भा.स. द्वारा राज्यों को संचारित (अगस्त 2020) की गई ऋण नियम की शर्तों के अनुसार, 'जीएसटी मुआवजा निधि' में सैस के संग्रहण से ऋण का भुगतान किया जाना चाहिए तथा भुगतान का दायित्व राज्य के किसी अन्य संसाधनों से नहीं मिलना चाहिए।

एसजीएसटी संग्रहण 2020-21 में ₹15,676 करोड़ से ₹6,587 करोड़ (42.02 प्रतिशत) बढ़ कर 2021-22 में ₹22,263 करोड़ हो गया।

वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2022) कि एसजीएसटी संग्रहण बढ़ गया क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए थे।

एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (आईजीएसटी)

रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार से आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के उपयोग किए जाने के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित आईजीएसटी के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती हैं जिसको एसजीएसटी के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। 2021-22 के दौरान एसजीएसटी के तहत प्राप्त ₹22,263.43 करोड़ में से ₹11,999 करोड़ आईजीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे। वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान प्राप्त की गई निधियों के विवरणों को तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए
आईजीएसटी प्रवृत्तियां

शीर्ष	(₹ करोड़ में)		
	2019-20	2020-21	2021-22
इनपुट टैक्स क्रेडिट	3,501	2,626	3,761
आईजीएसटी का विभाजन (कर)	4,239	3,454	6,820
आईजीएसटी का विभाजन (ब्याज)	0	0	5
आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन	157	1,593	1,413
कुल	7,897	7,673	11,999

राजस्व के बकाये

राजस्व के बकाये, सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में की गई देरी को दर्शाता है। व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार मुख्य शीर्ष 0040 - बिक्री पर कर, व्यापार आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक राजस्व बकायों के विवरणों की सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹71,475 करोड़ की राशि में से ₹25,248 करोड़ की राशि बकाया थी।

निर्धारण के बकाये

निर्धारण के बकाये संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो कि विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध थे। वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले, निर्धारण के लिए देय मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण किए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8 निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	मामलों के प्रारंभिक शेष	2021-22 के दौरान निर्धारण के लिए देय नये मामले	कुल निर्धारण देय	2021-22 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता
0040 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0	1,89,830	1,89,830	1,89,830	0	100

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, रिफंड के मामले इत्यादि का विवरण

उत्पाद तथा कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, अंतिमकरण किए गए मामले तथा उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों का महत्वपूर्ण संकेतक है। रिफंड के मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2021-22 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले तथा रिफंड मामलों के विवरणों को तालिका 2.9 तथा तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 तक लंबित मामले	2021-22 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	कुल मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई तथा अतिरिक्त मांग के साथ उद्घृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2022 तक अपील के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
जीएसटी	236	1,517	1,753	1,488	367.51	265

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.10: वर्ष 2021-22 के लिए रिफंड मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर /वैट	
		मामलों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	5,266	1,312.37	14,671	1,280.60
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	30,652	4,789.85	6	4.76
3	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	21,466*	2,610.32	3,385	122.37
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिभागी/समायोजित रिफंड		772.69	1,396	12.00
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	5,507 [#]	1,109.82 [#]	11,292	1,150.99

* विभाग के पास उपलब्ध मामलों (रिफंड किया गया/ अस्वीकृत) की संख्या के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं है।

जीएसटी और व्यापार एवं कर विभाग ने कहा (अगस्त 2022) कि जीएसटीएन पोर्टल में दर्शाए गए शेष बकाया दावों में अंतर था तथा इसकी अंकगणितीय गणना के लिए जीएसटीएन से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि शामिल होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व तथा प्रवृत्तियों के संघटकों को तालिका 2.11 तथा चार्ट 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.11: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज प्राप्तियां	396	113	404	468	356
लाभांश तथा लाभ	16	15	16	10	90
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	354	516	677	502	381
क. लोक निर्माण	14	18	13	43	23
ख. शिक्षा	26	29	27	79	10
ग. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	89	103	112	95	97
घ. उर्जा	26	53	87	33	52
ड. अन्य इत्यादि	199	313	438	252	199
कुल गैर-कर राजस्व	766	644	1,097	980	827

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

गैर-कर राजस्व 2017-18 में ₹ 766 करोड़ से 7.96 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 827 करोड़ हो गया। गैर-कर राजस्व जो कि 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियां (₹ 49,313 करोड़) का 1.68 प्रतिशत था, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 153 करोड़ (15.61 प्रतिशत) तक कम हो गया जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 112 करोड़ (23.93 प्रतिशत) की कमी और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 121 करोड़ (24.10 प्रतिशत) की कमी के कारण हुआ।

वर्ष 2021-22 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व तालिका 2.12 में दिखाया गया है।


तालिका 2.12: वर्ष 2021-22 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	पु.अ. (बजट प्राप्तियां 2021-22 के अनुसार)	वास्तविक	पु.अ. और वास्तविक के बीच अन्तर	प्रतिशतता की पु.अ.के. (+) अधिक्य (-) कमी
ब्याज प्राप्तियां	424	356	(-) 68	(-) 16.04
लाभांश और लाभ	13	90	(+)77	(+)592.31
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	363	381	(+) 18	(+)4.96
कुल	800	827	(+) 27	(+) 3.38


2021-22 के दौरान, ब्याज प्राप्ति में कमी अन्य ब्याज प्राप्तियों में गिरावट के कारण थी और लाभांश और मुनाफे में अधिकता पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश में प्राप्त वृद्धि (811 प्रतिशत) के कारण थी।

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व शीर्ष में प्रवृत्तियां



चार्ट 2.8 से स्पष्ट है कि अन्य गैर-कर प्राप्तियां 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹ 27 करोड़ (7.63 प्रतिशत) तक बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान अन्य गैर-कर/राजस्व प्राप्तिर्यों में ₹ 121 करोड़ (24.10 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत शीर्ष 'लोक निर्माण कार्य तथा सामाजिक सेवायें' जैसे शिक्षा तथा शहरी विकास में गैर-कर प्राप्तिर्यों में कमी के कारण हुई थी। अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तिर्यों में प्रवृत्तिर्यो को चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: 'अन्य गैर-कर राजस्व' के शीर्षों में प्रवृत्तिर्यो



2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना तथा गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया था। 2021-22 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 9,070 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹ 8,467 करोड़ (93.35 प्रतिशत) का सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त हुआ। भा.स. से स.अ. के विवरण तालिका 2.13 में है।

तालिका 2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान


(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (के.प्रा.यो.)	527.27	807.03	1,169.48	1,441.46	991.93
सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता (ब्लॉक अनुदान)	412.98	449.99	472.00	626.00	626.00
अन्य अनुदान	706.30	79.75	70.56	-	3.43
केन्द्रीय करों में अंश के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की हानि का मुआवजा	157.00	4,182.00	7,436.00	5,521.65	6,445.96
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	54.59	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।			
केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.)	1.16	-	-	-	-
अन्य अनुदान (योजना)	-	-	-	-	-
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया फंड में योगदान	-	-	-	161.49	-
राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान	-	-	-	3,383.00	-
प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के लिए अग्रिम वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान	-	-	-	-	75.00
कुल	2,184.30	5,843.77	9,473.04	11,458.60	8,467.32
स.अ. से राजस्व प्राप्तियों के प्रति स.अ. की प्रतिशतता	5.65	13.55	20.10	27.37	17.17

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भा.स. से स.अ. 2017-18 में ₹ 2,184.30 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 8,467.32 करोड़ (287.68 प्रतिशत) तक हो गया। भा.स. से स.अ. पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में ₹ 2,991.28 करोड़ (26.11 प्रतिशत) तक घट गया। यह मुख्यतः 2021-22 के दौरान राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान के तहत शून्य प्राप्ति के कारण था। दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत आच्छादित नहीं है और केन्द्रीय कर तथा शुल्कों के राज्य अंश के बदले में केवल अनुदान प्राप्त करता है जो कि 2001-2002 से ₹ 325 करोड़ तक स्थिर हो गये हैं, यद्यपि केन्द्रीय कर संग्रहण 2001-02 से पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए स.अ. में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: सहायता अनुदान में प्रवृत्ति



केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

(क) आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीएसएचएम) रा.रा.क्षे.दि.स. के तहत दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन, ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार (भा.स.) से 2021-22 के दौरान ₹ 44.01 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के तहत पिछले वर्ष (2020-21) का कुल अव्ययित शेष ₹ 245.07 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 309.22 करोड़ (₹ 20.14 करोड़ के राज्य के अंश सहित) की कुल धनराशि के प्रति ₹ 276.83 करोड़ का व्यय डीएसएचएम द्वारा किया गया था। 31 मार्च 2022 तक ₹ 32.39 करोड़ की धनराशि अव्ययित रखी थी (2021-22 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 4.82 करोड़ की ब्याज प्रप्तियां शामिल नहीं थीं)। इसके अतिरिक्त, डीएसएचएम ने वर्ष 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किया है।

डीएसएचएम ने कहा (अगस्त 2022) कि कोविड-19 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अधिकांश सहायता अनुदान, जोकि भारत सरकार द्वारा वर्ष की समाप्ति में जारी किया गया था जिसके कारण निधियों का 100 प्रतिशत उपयोग नहीं हो पाया था।

इसके अतिरिक्त, जीएफआर 230(8) के अनुसार किसी भी गारंटी संस्था को जारी की गई सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज या अन्य आय को अनिवार्य रूप से खातों को अंतिमरूप देने के तुरंत बाद भारत के समेकित कोष में भेजा जाना चाहिए। हालांकि, भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ₹ 4.82 करोड़ का ब्याज भारत सरकार के खाते में नहीं भेजा गया।

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन का जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

(ख) समग्र शिक्षा:

(i) शिक्षा निदेशालय (शि.नि.) ने समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना (i) आरंभिक शिक्षा (₹ 121.27 करोड़), (ii) माध्यमिक शिक्षा (₹ 20.75 करोड़) तथा (iii) अध्यापक शिक्षा (₹ 3.86 करोड़) के तहत स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्रालय (शि.मं.) भारत सरकार (भा.स.) से 2021-22 के दौरान

₹ 145.88 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया। पिछले वर्ष (2020-21) का ₹ 88.45 करोड़ (₹ 147.42 करोड़ का 60 प्रतिशत) का अव्ययित शेष भी था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 234.33 करोड़ की कुल धनराशि के प्रति, शि.नि. द्वारा ₹ 188.38 करोड़ (₹ 313.97 करोड़ का 60 प्रतिशत) का व्यय किया गया जिसके लिए शि.मं, भारत सरकार को अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च 2022 तक ₹ 45.95 करोड़ की अव्ययित धनराशि शेष थी। अव्ययित शेष मुख्यरूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में अर्थात् 30 मार्च 2022 को शि.मं. द्वारा ₹ 33.28 करोड़ की धनराशि जारी करने के कारण था।

शिक्षा निदेशालय ने कहा (अगस्त 2022) कि शि.मं. ने अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति दी थी और इसे शि.मं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान जारी करने में समायोजित किया जाएगा।

(ii) सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 239 के अनुसार “जब केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय अनुदान दिये जाते हैं, तो योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सा.वि.नि.-12सी के प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र को योजना/वित्त सचिव को विनियमित करने वाले डिवीजन के प्रशासनिक सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।”

हालांकि, शि.नि. द्वारा प्रस्तुत अनंतिम उ.प्र. उक्त नियम का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रारूप में नहीं था।

शि.नि. ने लेखापरीक्षा को अंतिम उ.प्र. की प्रति इस आधार पर प्रस्तुत नहीं की (सितंबर 2022) कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा-दिल्ली की वैधानिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन थी और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लेखापरीक्षित उ.प्र. सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) आंगनबाड़ी सेवा योजना:

महिला एवं बाल विकास विभाग (डी.डब्ल्यू.सी.डी.), रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2021-22 के दौरान आंगनबाड़ी सेवा योजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना (i) अनुपूरक पोषण कार्यक्रम ₹ 78.25 करोड़, (ii) सामान्य ₹ 54.66 करोड़ के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार (भा.स.) से ₹ 132.91 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा से पता चला कि कुल धनराशि ₹ 132.91 करोड़ के प्रति डीडब्ल्यूसीडी द्वारा ₹ 157.48 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹ 37.85 करोड़ के अधिक व्यय सहित)

का व्यय हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 के दौरान ₹ 24.57 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अधिक व्यय के कारणों के लिए भारत सरकार से समय पर प्राप्त न होने वाली निधियों और राज्य के हिस्से से किए जा रहे भुगतानों को जिम्मेदार ठहराया (सितम्बर 2022)।

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) ने वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत ₹ 19.92 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया, जिसमें पिछले वर्ष की ₹ 0.18 करोड़ की अव्ययित राशि भी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीटीई ने ₹ 20.10 करोड़⁹ की कुल उपलब्धता के प्रति केवल ₹ 9.71 करोड़ का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.73¹⁰ करोड़ (48.39 प्रतिशत) की बचत हुई।

बचत मुख्यरूप से मार्च 2022 के महीने में भारत सरकार से ₹ 14.30 करोड़ (₹ 19.92 करोड़ में से) की धनराशि प्राप्त करने के कारण हुई थी।

(ड) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) तथा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी):

(i) प्रधान लेखा कार्यालय, (पीएओ) रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, शहरी विकास विभाग (यू.डी.) ने 2021-22 के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) अर्थात् स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) (₹ 193.82 करोड़) और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (ए.एम.आर.यू.टी.) (₹ 206.20 करोड़) के तहत ₹ 400.02 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

हालांकि, श.वि.वि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, श.वि.वि. ने ₹ 399.82 करोड़ की राशि का कुल अनुदान प्राप्त किया था (एसबीएम के अधीन ₹ 193.62 करोड़ तथा एएमआरयूटी के अधीन ₹ 206.20 करोड़)।

अतः, केंद्र से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान के लिए पीएओ, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में ₹ 0.20 करोड़ का अन्तर है, जिसको समाशोधन कराए जाने की आवश्यकता है।

⁹ ₹ 0.18 करोड़ (2020-21) का अव्ययित व्यय शामिल है।

¹⁰ 2021-22 के दौरान डीटीटीई द्वारा ₹ 0.66 करोड़ के सहायता अनुदान की वापसी पर विचार करने के बाद

श.वि.वि. ने कहा (अगस्त 2022) कि 2021-22 के दौरान भा.स. से प्राप्त किए गए ₹ 20,620.20 लाख के स.अ. के प्रति ₹ 20,620 लाख स्टेट नोडल लेखा (एन.एन.ए) को स्थानांतरित किए गए तथा ₹ 20,000 की शेष राशि स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

भा.स. से एएमआरयूटी योजना के लिए 2016-2022 अवधि के दौरान प्राप्त की गई ₹ 518.48 करोड़ की कुल धनराशि के प्रति ₹ 357.89 करोड़ का उपयोग किया गया था, जैसाकि श.वि.वि. द्वारा भा.स. को संचयी आधार पर प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र से प्रमाणित है। एएमआरयूटी योजना के अंतर्गत ₹ 160.59 करोड़ (31 प्रतिशत) की संचयी बचत हुई।

एस.बी.एम. योजना के संबंध में 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 193.62 करोड़ को अगामी वित्त वर्ष अर्थात् 2022-23 में कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे संचरण के लिए श.वि.वि. के एकल नोडल खाते (एसएनए) में स्थानांतरित कर दिया गया था (क्योंकि इनमें से अधिकांश प्राप्तियां मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में स्वीकृत की गई थी) एसबीएम योजना के संबंध में श.वि. द्वारा लेखापरीक्षा को कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण वास्तविक व्यय और अव्ययित शेष के विवरण सत्यापित नहीं किए जा सके।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां (गैर-ऋण) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की प्राप्तियां (ऋण) शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों का पांच वर्षों की अवधि (2017-18 से 2021-22) का विस्तार पूर्वक विवरण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि. सरकार की प्राप्तियों के साधन	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण तथा गैर-ऋण)	2,597	4,524	5,588	15,996	11,816
भा.स. से ऋण तथा अग्रिम (ऋण)	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां (गैर-ऋण)	691	1,644	823	631	623
आंतरिक ऋण ¹¹	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
वृद्धि दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	12.38	51.10	65.45	99.37 ¹²	(-)47.37 ¹³
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	225.94	137.92	(-)49.94	(-)23.33	(-)1.27
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	10.03	8.92	7.54	(-)1.09	17.65
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	36.11	74.20	23.52	186.26	(-)26.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के आर्थिक तथा सांख्यिकी व वित्त लेखा निदेशालय

¹¹ इसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के आंतरिक ऋण नहीं हैं।

¹² ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के बाद पहुंचे।

¹³ ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के बाद पहुंचे।

ऋण पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात् भारत सरकार से ऋण और अग्रिम 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ से 47.37 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹ 11,193 करोड़ हो गई, जो मुख्यतः छोटी बचत के शेयर के प्रति 2021-22 के दौरान भा.स. से संवितरण 'शून्य' होने के कारण थी। इसी प्रकार, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात् ऋण और अग्रिम की वसूलियां भी 2020-21 में ₹ 631 करोड़ से 1.27 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹ 623 करोड़ हो गई।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के ढांचे के अंतर्गत व्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य में चल रहे वित्तीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया पूंजीगत बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर नहीं है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि तथा संरचना

पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) की तुलना में कुल व्यय की प्रवृत्तियां तथा संरचना को तालिका 2.15 तथा चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: कुल व्यय तथा इसकी संरचना


(₹ करोड़ में)

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.) ¹⁴	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
पूंजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311
ऋण तथा अग्रिम	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	5.79	5.76	6.09	6.27	6.16
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	4.98	4.99	4.99	5.15	4.98
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ.	0.48	0.44	0.69	0.60	0.90
ऋण तथा अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.33	0.33	0.41	0.52	0.28

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

¹⁴ सार्वजनिक ऋण के भुगतान अलावा

चार्ट 2.11: कुल व्यय: प्रवृत्तियां और संरचना



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11 से यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय 2017-18 के दौरान ₹ 39,245 करोड़ 7.73 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से लगातार बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 56,957 करोड़ हो गया।

इसी प्रकार, राजस्व व्यय 2017-18 के दौरान ₹ 33,754 करोड़ से 6.41 प्रतिशत की सीएजीआर पर लगातार बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 46,043 करोड़ हो गया। पूंजीगत व्यय वर्ष के अंतर में उतार चढ़ाव प्रदर्शित किया जो ₹ 3,243 करोड़ (2017-18) से लेकर ₹ 4,699 करोड़ (2020-21) तक था, लेकिन 2021-22 में ₹ 3,612 करोड़ (77 प्रतिशत) से ₹ 8,311 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति (₹ 1,027 करोड़), परिवहन (₹ 959 करोड़), चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य (₹ 920 करोड़) पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण थी।


इसके अतिरिक्त, ऋण और अग्रिम का संवितरण 2017-18 से 2020-21 के दौरान ₹ 2,248 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,090 करोड़ हो गया। लेकिन 2021-22 में ₹ 1,487 करोड़ (36 प्रतिशत) की विशेष रूप से कमी आई और यह ₹ 2,603 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में कमी मुख्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता ₹ 1,212 करोड़ (54 प्रतिशत) के लिए ऋण और अग्रिम के संवितरण में गिरावट के कारण थी।

व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

कुल व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.84 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2021-22 के लिए

पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 14.59 प्रतिशत तथा 4.57 प्रतिशत था।

चार्ट 2.12: कुल व्यय: इनके संघटकों के अंश में प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंशों को तालिका 2.16 में दर्शाया गया है। कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं के अंश 2020-21 में 13.29 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 12.86 प्रतिशत हो गए थे।

तालिका 2.16: कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) में से व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं ¹⁵	18.92	18.31	15.45	13.29	12.86
सामाजिक सेवाएं ¹⁶	53.96	55.08	53.16	51.55	55.05
आर्थिक सेवाएं ¹⁷	18.61	15.40	16.62	20.93	21.42
अन्य (स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान एवं अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संस्थानों, विभागों इत्यादि के ऋण एवं अग्रिम)	8.51	11.21	14.77	14.23	10.66

सामाजिक सेवाओं के अंश 2020-21 में 51.55 प्रतिशत से बढ़ कर 2021-22 में 55.05 प्रतिशत हो गए। आर्थिक सेवाओं के अंश भी 2020-21 में 20.93 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 2021-22 में 21.42 प्रतिशत हो गए। ऋणों तथा अग्रिमों और


¹⁵ प्रशासनिक तथा राजकोषीय सेवाएँ जैसे भूमि राजस्व, उत्पाद तथा जीएसटी, पुलिस, जेल, लोक निर्माण कार्य आदि शामिल हैं।

¹⁶ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह, शहरी विकास, श्रम कल्याण, सामाजिक कल्याण आदि शामिल हैं।

¹⁷ कृषि तथा संबंधित गतिविधि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि शामिल हैं।

स्थानीय निकायों के अनुदानों के संवितरण पर कुल व्यय 2020-21 में 14.23 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 10.66 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय गतिविधियों को चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट: 2.13: कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) - गतिविधियों द्वारा व्यय



2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले अनुबंधों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, राज्य की अवसंरचना तथा सेवा नेटवर्क की किसी वृद्धि में इसका कोई परिणाम नहीं होता। तालिका 2.17 पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) की तुलना में राजस्व व्यय को प्रस्तुत करती है। राजस्व व्यय 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ से 36.41 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, राजस्व व्यय 2017-18 एवं 2021-22 में क्रमशः 4.98 प्रतिशत रहा। राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ से 13.93 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण 2020-21 में ₹ 8,514 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 9,328 करोड़ (9.56 प्रतिशत) तथा सामाजिक सेवाओं पर वृद्धि के कारण 2020-21 में ₹ 22,693 करोड़ से 2021-22 में ₹ 26,294 करोड़ (15.87 प्रतिशत) हो गया।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय - मूल मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
पूर्व वर्ष में रा.व्य. में वृद्धि की दर (प्रतिशत)	15.19	9.18	7.56	1.96	13.93
राजस्व व्यय कु.व्य की प्रतिशतता के रूप में	86.01	86.67	81.94	82.14	80.84
स.रा.घ.उ. (2011-12 क्रम)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	10.03	8.92	7.54	(-1.09)	17.65
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	4.98	4.99	4.99	5.15	4.98
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	87.29	85.48	84.09	96.54	93.37
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	1.51	1.03	1.00	*	0.79
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	1.21	0.80	0.81	*	0.78

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* चूंकि, स.रा.घ.उ. की विकास दर नकारात्मक थी अतः उत्प्लावकता की गणना नहीं की गई थी।

2021-22 अवधि के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण को चार्ट 2.14 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.14: 2021-22 के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण (प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

लेखों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में विभिन्नताओं को तालिका 2.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्षों की तुलना में राजस्व व्यय में विभिन्नताएं

(₹ करोड़ में)

लेखों के मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि(+)/कमी (-) (प्रतिशत में)
2040-बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	39.80	19.97	(-) 49.82
2075-विविध सामान्य सेवायें	9.32	13.75	47.53
2215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1891.57	1136.53	(-) 39.92
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछले वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण	51.14	191.47	274.40
2236-पोषण	151.42	0	(-) 100
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6.21	5.78	(-) 6.92
2216-आवास	100.41	140.37	39.80
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7.50	9.09	21.20

राजस्व व्यय के मुख्य शीर्षों में प्रतिशतता के बदलाव दो वर्षों की अवधि की तुलना में भिन्नताएं दर्शाती हैं। शीर्ष '2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण' के अंतर्गत राजस्व व्यय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा पर व्यय (90 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 140.33 करोड़ (274.40 प्रतिशत) की वृद्धि पिछले वर्ष से हुई है, जबकि '2236-पोषण' शीर्ष के तहत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत की कमी आई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए लचीलापन कम रहता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों को तालिका 2.19 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	9,089.60	10,324.66	11,070.04	11810.19	12878.34
पेंशन पर व्यय*	3.84	3.31	3.56	2.67	3.28
ब्याज भुगतान	2,870.67	2,867.11	2,751.87	2873.83	3274.24
कुल	11,964.11	13,195.08	13,825.47	14686.69	16155.86
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.51	23.95	23.49	28.21	26.12
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	7.42	6.65	5.84	6.86	6.64
कुल	30.94	30.61	29.34	35.08	32.77


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	26.93	28.02	27.93	29.22	27.97
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	8.50	7.78	6.94	7.11	7.11
कुल	35.44	35.81	34.88	36.34	35.09

* भा.स. द्वारा दिल्ली में केवल पूर्व विधायकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मियों की पेंशन देयता वहन की जाती है।

वेतन एवं मजदूरी 2017-18 में ₹ 9,089.60 करोड़ से 41.68 प्रतिशत तक बढ़कर 2021-22 में ₹ 128,78.34 करोड़ तक हो गई। इसी प्रकार, ब्याज भुगतान 2017-18 में ₹ 2,870.67 करोड़ से 14.06 प्रतिशत तक बढ़कर 2021-22 में ₹ 3274.24 करोड़ तक हो गया।

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के घटक के अंश चार्ट 2.15 में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 2.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के घटक के अंश (प्रतिशत में)



2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् हुई है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र हैं। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान देना होता है, हालांकि 1 अप्रैल 2019 से नियोक्ता का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। समस्त राशि नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक द्वारा निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देनदारियां भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं और एनपीएस तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के तहत नियोक्ताओं के योगदान के लिए वार्षिक बजट केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को मुख्य शीर्ष

‘2071- पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ’ के तहत आवंटित किया जाता है, जो बाद में एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक में आवश्यक धनराशि जमा करता है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2021-22 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के ₹ 364.56 करोड़ तथा नियोक्ताओं के अंशदान के ₹ 506.05 करोड़ के प्रति कुल ₹ 870.61 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2021-22 के दौरान कार्मिकों के साथ-साथ नियोक्ताओं के प्रति कोई बकाया नहीं था।

2.4.2.4 सब्सिडी


रा.रा.क्षे.दि.स., शिक्षा अधिकार अधिनियम इत्यादि के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली जल बोर्ड तथा डिस्कॉमस के उपभोक्ताओं को डी.टी.सी./कलस्टर बसों द्वारा महिला बस यात्रियों के लिए सब्सिडी देती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडी पर व्यय को तालिका 2.20 में दिखाया गया है। सब्सिडी पर व्यय 2017-18 में ₹ 2,497 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,690 करोड़ (87.83 प्रतिशत) हो गया। 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 12.28 प्रतिशत तक बढ़ गया।

तालिका 2.20: 2017-18 से 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी	2,497	2,533	3,593	4,177	4,690
राजस्व प्राप्तियां	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313
राजस्व व्यय	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी (प्रतिशतता में)	6.46	5.88	7.62	9.98	9.51
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	7.40	6.87	9.06	10.34	10.19

(₹ करोड़ में)

चार्ट 2.16: सब्सिडी की प्रवृत्तियां




राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी 2020-21 में 9.98 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2021-22 में 9.51 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी आंशिक रूप से 2020-21 में 10.34 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 10.19 प्रतिशत हो गई।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स (बिजली सब्सिडी) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) (पानी सब्सिडी) और महिला बस यात्रियों (डीटीसी)/ कलस्टर बसों (मुफ्त बस यात्रा) के माध्यम से रा.रा.क्षे.दि.स. के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को तालिका 2.21 में दिया गया है।

तालिका 2.21: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बिजली, पानी और मुफ्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की प्रवृत्ति

वर्ष	बिजली सब्सिडी (₹ करोड़ में)	पानी सब्सिडी	मुफ्त बस यात्रा (₹ करोड़ में)
2017-18	1676.70	425.00	ला.न.
2018-19	1699.71	425.00	ला.न.
2019-20	2405.59	467.50	114.69
2020-21	2939.99	600.00	217.04
2021-22	3250.00	600.00	257.39

चार्ट 2.17: बिजली, पानी तथा मुफ्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति



डिस्कॉम्स उपभोक्ताओं को दी गई बिजली सब्सिडी 2017-18 में ₹ 1,676.70 करोड़ से 93.83 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 3,250 करोड़ हो गई। डीजेबी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पानी सब्सिडी 2017-18 में ₹ 425 करोड़ से 41.18 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 600 करोड़ हो गई। महिला बस यात्रियों के लिए डीटीसी/कलस्टर बसों को दी जाने वाली सब्सिडी 2019-20 में ₹ 114.69 करोड़ से 124.42 प्रतिशत तक बढ़कर 2021-22 में ₹ 257.39 करोड़ हो गई।

2.4.2.5 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण तालिका 2.22 में दर्शाए गए हैं तथा वित्तीय सहायता में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.22: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगरपालिकाएं	6,242	6,337	6,222	5,500	5,490
कुल (क)	6,242	6,337	6,222	5,500	5,490
(ख) अन्य					
दिल्ली छावनी बोर्ड	26	23	15	15	11
दिल्ली जल बोर्ड	1,930	2,316	2,855	4,319	2,462
दिल्ली परिवहन निगम	2,007	1,825	2,030	2475	2,320
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	256	507	379	833	384
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, आदि)	2,962	4,079	4,732	3501	5,451
कुल (ख)	7,181	8,750	10,011	11,143	10,628
कुल (क+ख)	13,423	15,087	16,233	16,643	16,118
राजस्व व्यय	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	39.77	40.94	40.95	41.18	35.01

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

चार्ट 2.18 वित्तीय सहायता में प्रवृत्तियां




स्थानीय निकायों तथा अन्य को दी गई वित्तीय सहायता 2020-21 में ₹ 16,643 करोड़ से 3.15 प्रतिशत घटकर 2021-22 में ₹ 16,118 करोड़ हो गई। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता 2020-21 में 45.53 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 41.18 प्रतिशत हो गई।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (पू.व्यय) में मुख्य रूप से अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां चार्ट 2.19 में प्रस्तुत की गई हैं।

चार्ट 2.19: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में पूंजीगत व्यय



चार्ट 2.19 से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 8,311 करोड़ तक अंतर-वर्ष में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय में अंतर वर्ष में उतार-चढ़ावों को दर्शाता है जो 2017-22 की अवधि के दौरान 7.68 प्रतिशत से 14.59 प्रतिशत के बीच था। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 4,699 करोड़ से ₹ 8,311 करोड़ (76.87 प्रतिशत) हो गया।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन तालिका 2.23 में दर्शाए गये हैं।

तालिका 2.23: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान लेखा के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय

लेखा के मुख्य शीर्ष (मु.शी.)	2020-21	2021-22	प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	536.83	1457.20	171.45
4202- शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	973.15	1999.78	105.50
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय	654.85	1277.68	95.11
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय	211.60	316.97	49.80
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय	934.23	1270.42	35.99
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय	1121.53	1387.11	23.68
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	102.98	118.35	14.93
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	1.29	1.25	(-) 3.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (मु.शी.-4210) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 171.45 प्रतिशत (₹ 920.37 करोड़) बढ़ गया जो मुख्य रूप से अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (₹ 963.42 करोड़) के कारण हुआ। इसी प्रकार, 'मुख्य शीर्ष-4202' के अंतर्गत शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (मु.शी.-4202) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग/टेकनीकल कॉलेज तथा इंस्टीट्यूट (₹ 448.78 करोड़), सैकेण्डरी एजुकेशन (₹ 392.83 करोड़) इत्यादि पर पूंजीगत व्यय की बढ़ोतरी के कारण (₹ 1026.63 करोड़) 105.50 प्रतिशत तक बढ़ गया। सड़क परिवहन (मु.शी.-5055) पर पूंजीगत व्यय नए बस टर्मिनल तथा भूमि की खरीद के निर्माण के कारण मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में 95.11 प्रतिशत (₹ 622.83 करोड़) तक बढ़ गया। लोक निर्माण (मु.शी.-4059) पर पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से कार्यालय भवन के निर्माण के कारण 49.80 प्रतिशत (₹ 105.37 करोड़) तक बढ़ गया। सड़क तथा पुलों पर मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय (मु.शी.-5054) पुलों तथा सड़क निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 35.99 प्रतिशत (₹ 336.19 करोड़) तक बढ़ गया।

2.4.3.2 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2022 तक सरकार ने सरकारी कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 20,711 करोड़ का निवेश किया था। 2021-22 में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 800 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2021-22 में निवेश पर प्रतिफल 0.43 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.50 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसका विवरण तालिका 2.24 में दिया गया है:

तालिका 2.24: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)					
निवेश/प्रतिफल/उधारियों की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	19,173	19,261	19,411	19,911	20,711
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	15.91	14.31	15.84	9.80	89.58
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.08	0.07	0.08	0.05	0.43
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.58	8.64	8.14	7.04	6.50
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.50	8.57	8.06	6.99	6.07
सरकारी उधारियों के ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	1,630	1,651	1,565	1,392	1257

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकारी निवेश 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में 8.02 प्रतिशत तक बढ़ गया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.50 प्रतिशत से 8.64 प्रतिशत के बीच की दर पर ब्याज का भुगतान किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.05 प्रतिशत से 0.43 प्रतिशत (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच की श्रेणी में थी। पांच वर्ष के दौरान वितरित और वसूले गए ऋण तालिका 2.25 में दिए गए हैं।

तालिका 2.25: पांच वर्षों के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित एवं वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,248	2,402	3,266	4,090	2,604
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	691	1,644	823	631	623
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454
निवल योग	1,557	758	2,443	3,459	1,981
प्राप्त ब्याज	396	113	404	468	336
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.62	0.18	0.60	0.66	0.46
सरकार की बकाया उधारियों पर प्रदत्त ब्याज दर (प्रतिशत)	8.55	8.74	7.92	6.13	6.08
प्राप्त ब्याज दर और प्रदत्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.93	8.56	7.32	5.47	5.62

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता


वर्ष 2017-18 और 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 2.26 और चार्ट 2.20 दर्शाता है।

तालिका 2.26: 2017-18 तथा 2021-22 में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	वा.व्य./स.रा.घ.उ.	पू.व्य./वा.व्य.	शिक्षा/वा.व्य.	स्वास्थ्य/वा.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का (अनुपात) 2017-18	5.79	7.68	25.35	12.06
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का (अनुपात) 2021-22	6.16	13.94	22.78	15.93
वा.व्य.: = राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम, पू.व्य.: पूंजीगत व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर)				

चार्ट 2.20: 2017-18 और 2021-22 के दौरान सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता की प्रतिशतता



स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2017-18 में 5.79 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 6.16 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के हिस्से में 7.68 प्रतिशत से 13.94 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय के हिस्से में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि उसी अवधि में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 25.35 प्रतिशत से घटकर 22.78 प्रतिशत हो गया।

2.5 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सभी आवश्यक ऋण भारत की संचित निधि से दिये गये हैं। भा.स. से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियां शामिल है।

2.5.1 ऋण रूपरेखा: घटक

तालिका 2.27 विगत पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋणों की रूपरेखा एक समय श्रृंखला का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.27: भा.स. से ऋण एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
2017-18	33,344.78	1,906.34	1,682.43	33,568.69	223.91	0.67
2018-19	33,568.69	2,880.00	3,636.35	32,812.34	(-)756.35	(-)2.25
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80
2021-22	46,866.67	11,192.67	4,215.66	53,844.18	6,977.51	14.89

2021-22 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,786 करोड़ (₹ 53,844 करोड़ - ₹ 6,193 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे को राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सरकार का प्रभावी ऋण 2017-18 के अंत में ₹ 33,569 करोड़ से ₹ 8,217 करोड़ (24.48 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 के अंत में ₹ 41,786 करोड़ हो गया।

2.6 ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण के आकार के अतिरिक्त, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। ऋण धारणीयता भविष्य में अपने ऋण को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को दर्शाता है। यह खंड विकास दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण भुगतान एवं ऋण प्राप्तियों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उपलब्ध शुद्ध ऋण के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। तालिका 2.28 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि का इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.28: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

ऋण धारणीयता संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल बकाया ऋण* (₹ करोड़ में)	33,569	32,812	34,767	46,867**	53,844**
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.67	-2.25	5.96	34.80	14.89
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.03	8.92	7.54	(-1.09)	17.65
कुल ऋण/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	4.95	4.44	4.38	5.22**	4.52**
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में) (क)	2,871	2,867	2,752	2,874	3,274
बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	8.58	8.64	8.14	7.04	6.50
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313
राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.42	6.65	5.84	6.87	6.64
ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में) (ख)	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215
ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में) (ग)	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193
ऋण प्राप्तियों में ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	88.25	126.25	58.99	21.25	37.66
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का उपलब्ध निवल ऋण** (ग-(क+ख))	(-2,647)	(-3,623)	(-798)	9,226	3,704
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	ला.न.	ला.न.	ला.न.	60.05	33.09


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया सार्वजनिक ऋण शीर्ष '6003- आंतरिक ऋण' एवं '6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत बकाया शेष का योग है।

** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजा में कमी के बदले भा.स. से प्राप्त किया गया क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण भी शामिल है। इस ऋण की ऋण सेवाएं भुगतान जीएसटी मुआवजा निधि में सैस के संग्रहण से किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से नहीं लिया जाना चाहिए। इस बैंक टू बैंक ऋण को छोड़ने के बाद वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की समाप्ति पर रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रभावी ऋण क्रमशः ₹ 41,002 करोड़ एवं ₹ 41,786 करोड़ था।

*** रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान के उपर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

चार्ट 2.21: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां



सार्वजनिक ऋण में पूर्व वर्ष की तुलना में 2021-22 में 14.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 4,215 करोड़) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹ 11,193 करोड़) से कम था।

2.7 निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक संकेतकों और उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता का एक आशुचित्र तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29: मुख्य मापदंड

सकारात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी रखने वाले मापदंड
<ul style="list-style-type: none"> राजस्व प्राप्तियां 17.79 प्रतिशत बढ़ गईं। स्वयं कर प्राप्तियां 36 प्रतिशत बढ़ गईं। सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 29.10 प्रतिशत बढ़ गया। पूंजीगत व्यय 76.87 प्रतिशत बढ़ गया। 	<ul style="list-style-type: none"> गैर-कर प्राप्तियां 15.61 प्रतिशत घट गईं। ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 36.36 प्रतिशत घट गया।

अध्याय - III
बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन


3.1 बजटीय प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के समक्ष रखेगा।

व्यय का अनुमान व्यय के 'प्रभारित' एवं 'दत्तमत' मदों को अलग-अलग दिखाता है तथा राजस्व खातों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।


बजट की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में, बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, यह विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमानों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



विनियोग लेखे बजट निर्माण एवं कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया के साथ आंकड़े अधिकृत करता है (चार्ट 3.2)।

चार्ट 3.2: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की एक संक्षिप्त स्थिति इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन के साथ तालिका 3.1 में दी गई है:

तालिका 3.1: 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य (+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	50,691.85	3,776.29	42,773.10	3,629.60	(-)7,918.75	(-)146.69
पूँजीगत	10,928.37	41.14	8,283.80	36.94	(-)2,644.57	(-)4.20
लोक ऋण	0.00	4,265.17	0.00	4,215.16	0.00	(-)50.01
ऋण एवं अग्रिम	2,378.26	0.00	2,603.40	0.00	(+)225.14	0.00
कुल	63,998.48	8,082.60	53,660.30	7,881.70	10,338.18	200.90

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च करने के लिए ₹ 72,081.08 करोड़ (बीई/आरई के अनुसार) परिकल्पित किया था। इसके प्रति 2021-22 के दौरान कुल प्राप्तियां केवल ₹ 61,202.62 करोड़ थी जो बीई/आरई का लगभग 85 प्रतिशत था। इसके अलावा, कुल संवितरण

₹ 61,246.52¹ करोड़ था। जो कुल प्राप्तियों से लगभग मेल खाता था। यह इंगित करता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. की गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च करने के लिए तैयार किया गया बजट बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था और वास्तविक नहीं था।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए प्रभारित तथा दत्तमत में कुल संवितरण का विभाजन तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान संवितरण तथा बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान			संवितरण			बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत (प्रावधान की प्रतिशतता में)	प्रभारित (प्रावधान की प्रतिशतता में)
2017-18	44,159.42	5,042.66	49,202.08	36,369.86	4,789.56	41,159.42	7,789.57 (17.64)	253.09 (5.02)
2018-19	51,230.42	6,946.72	58,177.14	39,550.58	6,793.98	46,344.56	11,679.84 (22.80)	152.74 (2.20)
2019-20	57,305.74	6,874.94	64,180.68	45,632.91	5,877.12	51,510.03	11,672.83 (20.37)	997.82 (14.51)
2020-21	58,932.64	6,959.23	65,891.87	46,442.27	6,453.49	52,895.76	12,490.37 (21.19)	505.74 (7.27)
2021-22	63,998.48	8,082.60	72,081.08	53,660.30	7,881.70	61,542.00	10,338.18 (16.15)	200.90 (2.49)

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट के 'दत्तमत' हिस्से के तहत बचत 16.15 से 22.80 प्रतिशत के बीच रही जबकि उसी अवधि में बजट के 'प्रभारित' हिस्से के तहत बचत 2.20 से 14.51 प्रतिशत के बीच थी।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत और प्रभारित अनुदान की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पित राशियां तथा पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं

¹ ₹ 61,542 करोड़ - ₹ 369.66 करोड़ (वसूतियां) + ₹ 74.18 करोड़ (आकस्मिकता निधि)


राजस्व व्यय को इंगित करते हैं, जो कि विनियोग अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में अधिकृत है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे का अनुपूरक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किए गए व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2021-22 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखे के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कुल बचत ₹ 10,539.08 करोड़ (₹ 72,081.08 करोड़ के कुल बजट का 14.62 प्रतिशत) थी तथा ₹ 5,081.08 करोड़ (कुल बचत का 48.21 प्रतिशत) की राशि अभ्यर्पित की गई। विलंब से अभ्यर्पण करने के कारण कुल बचत का ₹ 5,458 करोड़ (51.79 प्रतिशत) 31 मार्च 2022 को व्यपगत हो गया।


वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण चार्ट 3.3 में दिए गए हैं:

**चार्ट 3.3: वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले
बचत और अभ्यर्पित राशियां**



2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल बजट उपयोग चार्ट 3.4 में दिया गया है।

चार्ट 3.4: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट उपयोग



3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक अनुदान का उपयोग केवल असाधारण और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता में पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों में ₹1,275.33 करोड़ के अनुपूरक अनुदान जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है, उच्चतर/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य निष्फल हो गया।

तालिका 3.3: उन मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुआ

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन	796.16	435.11	1,231.27	793.61	437.66
2	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	1,144.27	326.89	1,471.16	1,074.89	396.27
3	अनुदान सं. 4 वित्त	350.73	10.60	361.33	261.01	100.32
4	अनुदान सं. 5 गृह	958.79	97.52	1,056.31	738.99	317.32

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत
5	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,063.43	288.55	8,351.98	7,099.96	1,252.02
6	अनुदान सं. 9 उद्योग	573.93	108.66	682.59	457.69	224.90
	कुल	11,887.31	1,267.33	13,154.64	10,426.15	2,728.49
पूँजीगत (दत्तमत)						
7	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	1.00	8.00	9.00	0.10	8.90
	कुल	1.00	8.00	9.00	0.10	8.90
	कुल योग	11,888.31	1,275.33	13,163.64	10,426.25	2,737.39

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि संबंधित विभागों को संशोधित/बजट अनुमान आमंत्रित करते समय वास्तविक आधार पर धन की अपनी आवश्यकता का आकलन करने और केवल उन मामलों का प्रस्ताव करने की सलाह दी गई थी, जहां पूरे धन का इस वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए जाने की संभावना थी। इसमें आगे कहा गया कि विभागों को फिर से अलग से सलाह दी जा रही थी कि वे निधियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करें और अनावश्यक या अत्याधिक अनुपूरक अनुदानों से बचें।

3.3.2 अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग

जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई से अनुदान के अंतर्गत निधियों का दूसरी इकाई को हस्तांतरण है, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।

वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि चार अनुदानों में फैले 9 उप-शीर्षों के तहत, ₹ 15 करोड़ से अधिक की अंतिम बचत थी (प्रत्येक मामले में) जैसा कि तालिका 3.4 (क) में वर्णित है:

तालिका 3.4(क) निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	उप-शीर्ष के प्रति पुनर्विनियोग	कुल			
राजस्व-दत्तमत									
1	अनुदान सं. 03- न्याय का प्रशासन	2014.00.105.99 - सेशन कोर्ट	822.58	316.41	12.87	1151.86	876.03	275.83	प्रशासनिक कारणों से आशुलिपिकों को बकाया का भुगतान न करना, बिलों/दावों की प्राप्ति न होना तथा कुछ योजनाओं को अंतिम रूप न देना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	उप-शीर्ष के प्रति पुनर्विनियोग	कुल			
									तथा प्रशासनिक कारणों से वस्तुओं की खरीद न करना
2	अनुदान सं. 06 - शिक्षा	2202.01.112.99- बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (के.प्रा.यो.)	50.00	0.01	34.99	85.00	42.39	42.61	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने में विलंब
3		2202.02.113.98 - समय शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	42.00	0.01	1.99	44.00	18.22	25.78	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने में विलंब
4		2202.02.113.97- समय शिक्षा (के.प्रा.यो.)	50.00	0.01	14.99	65.00	20.75	44.25	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने में विलंब
5	अनुदान सं. 10 - विकास	3604.00.102.98.9 6- करों में हिस्से के बदले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	800.00	178.72	121.28	1100.00	916.72	183.28	लॉकडाउन और कोविड-19 प्रतिबंधों से स्टाम्प पेपर की बिक्री पर प्रभाव पड़ा क्योंकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय बंद थे।
6	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	3475.00.108.94 - दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.प्रा.यो.)	4.00	0.01	18.00	22.01	0.00	22.01	भारत सरकार से निधियों का जारी न होना।
7		2210.01.110.10.8 7 - लोक नायक अस्पताल	35.00	0.01	9.99	45.00	25.71	19.29	कार्यों के निष्पादन में देरी, कांटेक्टर द्वारा बिल जमा नहीं करना, रा.रा.क्षे.दि.स द्वारा कोविड-19 के कारण लगाए गए वित्तीय प्रतिबंध, रिक्त पदों, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कारण पर बजट की प्राप्ति और पंच निर्णय के भुगतान के लिए रखा गया प्रावधान
कुल			1803.58	495.18	214.11	2512.87	1899.82	613.05	
पूँजीगत-दत्तमत									
8	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.83 - शास्त्री पार्क इंटरसैक्शन और सीलमपुर के फ्लाईओवर का	5.00	0.01	14.99	20.00	0.86	19.14	कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब, कांटेक्टर द्वारा बिल जमा नहीं करना, कोविड-19 के कारण रा.रा.क्षे.दि.स.

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	उप-शीर्ष के प्रति पुनर्विनियोग	कुल			
	विभाग	निर्माण							द्वारा लगाए गए वित्तीय प्रतिबंध, रिक्त पदों, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कगार पर बजट की प्राप्ति और पंच निर्णय के भुगतान के लिए रखा गया प्रावधान
कुल			5.00	0.01	14.99	20.00	0.86	19.14	
राजस्व-प्रभारित									
9	अनुदान सं. 3- न्याय का प्रशासन	2014.00.102.97 - निर्देश और प्रशासन	327.99	74.59	1.02	403.60	336.60	67.00	रिक्त पदों को न भरना, प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति, दौरो का कम संचालन, माननीय न्यायधीशों के लिए कार्यालयी कारों की गैर-खरीद, आईमैक और वाकॉम, यूनिफाइड चैट प्रबंधन सिस्टम ई एचडीडी, यूपीएस बैटरी इत्यादि की गैर-खरीद।
कुल			327.99	74.59	1.02	403.60	336.60	67.00	
कुल योग			2136.57	569.78	230.12	2936.47	2237.28	699.19	

इन उप-शीर्षों का पुनर्विनियोजन अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का भी पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और ₹ 230.12 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 699.19 करोड़ की संचयी गैर-उपयोगिता (बचत) थी।

यह भी देखा जा सकता है कि अधिक निधियों की माँग के लिए उद्धृत कारण सामान्य प्रकृति के थे। निधियों का उपरोक्त अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग त्रुटिपूर्ण बजट अभ्यास का सूचक था।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि निधियों का पुनर्विनियोग विभागों द्वारा निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रस्तावित किया जाता है जो वर्ष के दौरान खर्च होने की संभावना है। बचत को ध्यान में रखते हुए, विभागों को निधियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने और अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन से बचने के पुनः निर्देशित किया जा रहा है।

इसके अलावा, अनुदानों को प्रशासित करने वाले विभाग के अभिलेख के संबंध में तालिका 3.4 (क) के क्रम संख्या 6,7 और 8 में दर्शाए गये बचत के कारणों की नमूना जाँच से पता चला कि एक मामला (क्र.सं. 6) में दर्शाए गए कारण विनियोग लेखा में दर्शाए गए कारणों से मेल नहीं खाता था, जैसा कि नीचे तालिका 3.4 (ख) में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4 (ख): विभागीय अभिलेखों के अनुसार बचत का वास्तविक कारण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और नाम	लेखे का शीर्ष (उपशीर्ष-वार)	अंतिम बचत (₹ करोड़ में)	विभागीय अभिलेखों के रूप में कारण
1.	अनुदान सं.-11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग	3475.00.108.94 -दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	22.01	कोविड-19 के कारण कौशल प्रशिक्षण और स्कीम की अन्य गतिविधियों के लक्ष्य की गैर-प्राप्ति

3.3.3 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षा किए बिना अविलम्ब अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए। कुल बचत ₹ 10,539.08 करोड़ की थी जो कुल बजट ₹ 72,081.08 करोड़ का 14.62 प्रतिशत था। इसमें से छः मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत थी (तालिका 3.5)। ₹ 51,051.69 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 43,502.19 करोड़ था तथा बचत ₹ 7,549.50 करोड़ थी।

तालिका 3.5: वर्ष 2021-22 के दौरान बड़ी बचत वाले अनुदानों का विवरण (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्ययगत
(₹ करोड़ में)								
राजस्व-दत्तमत								
1	अनुदान सं. 6 शिक्षा	14,008.53	0.93	14,009.46	11,238.47	2,770.99	1,625.17	1,145.82
2	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,063.43	288.55	8,351.98	7,099.96	1,252.02	229.07	1,022.95
3	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	9,326.67	0.92	9,327.59	8,358.89	968.70	137.63	831.07
4	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	9,663.07	0.26	9,663.33	8,567.92	1,095.41	626.46	468.95
कुल		41,061.70	290.66	41,352.36	35,265.24	6,087.12	2,618.33	3,468.79


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्यपगत
पूँजीगत-दत्तमत								
5	अनुदान सं. 10 विकास	892.92	0.05	892.97	318.35	574.62	529.73	44.89
6	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	8,806.00	0.36	8,806.36	7,918.60	887.76	252.14	635.62
कुल		9,698.92	0.41	9,699.33	8,236.95	1,462.38	781.87	680.5
कुल योग		50,760.62	291.07	51,051.69	43,502.19	7,549.50	3,400.20	4,149.30

इसके अलावा, तालिका 3.5 से यह देखा जा सकता है कि मूल बजट प्रावधान में से ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत के बावजूद, अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए।

बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों (तालिका 3.5) की संख्या के वितरण से पता चलता है (चार्ट 3.5) कि पाँच अनुदानों में संबंधित प्रावधानों का 10 से 20 प्रतिशत होने के कारण बचत राशि ₹ 6,974.88 करोड़ थी। हालांकि, एक अनुदान (पूँजीगत दत्तमत खंड की अनुदान सं. 10 - विकास) में संबंधित प्रावधान का 64.35 प्रतिशत होने के कारण बचत ₹ 574.62 करोड़ की थी।

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों (राजस्व दत्तमत/पूँजीगत दत्तमत) की संख्या



लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 10 अनुदानों में ₹ 9,836 करोड़ की कुल बचत थी और ₹ 4,883.52 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी। कुल बचत में से ₹ 4,952.48 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) मार्च 2022 के अंत में व्यपगत हो गए, जैसा कि तालिका 3.6 में वर्णित है:

तालिका 3.6: मार्च 2022 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि के
अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
राजस्व (दत्तमत)								
1.	अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासन	796.16	435.11	1231.27	793.61	437.66	376.12	61.54
बचत और अभ्यर्पण के कारण ² : बचत अन्य कारणों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना आदि की योजना के गैर-संचालन के कारण हुई (₹ 219.46 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण के लिए रिक्त पदों, ओटीए, मजदूरी के लिए बिलों की गैर-प्राप्ति, विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय, पदधारियों का स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
2.	अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन	1144.27	326.89	1471.16	1074.88	396.28	81.99	314.29
बचत और अभ्यर्पण के कारण: बचत अन्य बातों के साथ-साथ आधुनिकीकरण को बकाया का भुगतान न करने, योजनाएं आदि को अंतिम रूप न देने के कारण हुई (₹ 262.96 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कोविड के कारण आपराधिक गतिविधियों में कमी, रिक्त पदों आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
3.	अनुदान सं. 4 - वित्त	350.73	10.6	361.33	261.01	100.32	68.26	32.06
बचत और अभ्यर्पण के कारण: बचत अन्य बातों के साथ-साथ आईटी अवसंरचना प्रस्तावों इत्यादि से संबंधित खरीद को अंतिम रूप देने के कारण (₹ 28.45 करोड़); बिजली, टेलीफोन बिल आदि के संबंध में प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त न करना (₹ 31.34 करोड़) हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, पदधारियों के स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
4.	अनुदान सं. 5 -गृह	958.79	97.52	1056.31	738.98	317.33	282.23	35.10
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ जेलों में रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण, कम खरीद (₹ 234.36 करोड़); कम खरीद, दिल्ली अग्निशमन सेवा के कम्प्यूटरीकरण की योजना का गैर-कार्यान्वयन (₹ 249.08 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, पदधारियों के स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
5.	अनुदान सं. 6 - शिक्षा	14008.53	0.93	14009.46	11238.46	2771	1625.17	1145.83
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन मूल्यांकन योजना के गैर-कार्यान्वयन (₹ 150 करोड़); समय शिक्षा योजना के संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय हिस्से की देरी से जारी होना (₹ 383.79 करोड़); स्कूलों को आंशिक रूप से बंद करना; राजकीय माध्यमिक विद्यालयों आदि में प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरने आदि (₹ 198.61 करोड़); रा.रा.क्षे.दि.स. के शुद्ध कर संग्रह के अनुसार एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी (प्राथमिक शिक्षा के लिए) जैसे स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करना (₹ 336.26 करोड़); प्रारंभिक स्टेज में डिजिटल क्लासरूम योजना (₹ 249.83 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों के दौरो और क्लब गतिविधि के गैर-संचालन; एनएसयूटी के साथ अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान का विलय आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
6.	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	8063.43	288.55	8351.98	7099.96	1252.02	229.07	1022.95
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ एनआरएचएम के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईआरएचएसपीपी) हेतु निधि की कम प्राप्ति (₹ 193 करोड़), आम आदमी माँहल्ला क्लिनिक के लिए दिल्ली राजस्व स्वास्थ्य मिशन, को कम अनुदान जारी करना (₹ 154.62 करोड़), रिक्त पद, स्टाफ का तबादला, केंद्रीय खरीद ऐजेंसी और राज्य औषधि								

² विनियोग लेखे और अभ्यर्पण विवरणी के अनुसार

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
<p>प्राधिकरण में कम खरीद (₹ 177.58 करोड़)। आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, पदधारियों का स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
7.	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण	9326.67	0.92	9327.59	8358.89	968.7	137.63	831.07
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ बैंक द्वारा लौटाई गई वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के तहत असंवितरित पेंशन, ड्रुप्लीकेट मामलों के बंद होने (₹ 159.31 करोड़); क्लस्टर बसों की कमी को पूरा करने के लिए कम मुआवजा जारी करना (₹ 125 करोड़); कम लाभार्थियों के कारण महिला यात्रियों के लिये, डीटीसी और क्लस्टर बसों को कम सब्सिडी जारी करना, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति से कम यात्री (₹ 228.61 करोड़) इत्यादि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, स्टाफ का तबादला, योजना में परिवर्तन आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।</p>								
8.	अनुदान सं. 9 - उद्योग	573.93	108.66	682.59	457.69	224.9	87.52	137.38
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: बचत अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (₹ 220 करोड़) के गैर-कार्यान्वयन आदि के कारण हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पद, मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना इत्यादि के गैर-कार्यान्वयन को जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
9.	अनुदा सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9663.07	0.26	9663.33	8567.92	1095.41	626.46	468.95
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ सहायता अनुदान कम जारी करने और दिल्ली जल बोर्ड के पास उपलब्ध अव्ययित शेष (₹ 337.50 करोड़) रा.रा.क्षे.दि.स. के शुद्ध कर संग्रह पर आधारित ईडीएमसी, एनडीएमसी और एसडीएससी को मूल कर कम जारी करने (₹ 387.67 करोड़) इत्यादि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ - साथ रिक्त पदों, भारत सरकार से निधियों की गैर-प्राप्ति आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
	कुल	44,885.58	1,269.44	46,155.02	38,591.40	7,563.62	3514.45	4,049.17
<p>पूँजी (दत्तमत)</p>								
10.	अनुदान सं. 5 - गृह	103.05	0.02	103.07	17.68	85.39	70.17	15.22
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के अंत में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने (₹ 43.37 करोड़); मोटर वाहन की खरीद न करना (₹ 36 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण हेतु मोटर वाहनों आदि की खरीद न करने को जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
11.	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	369.45	0.07	369.52	213.14	156.38	78.28	78.10
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ खरीद एजेंसी और राज्य औषधि प्राधिकरण आदि के लिए कम उपकरणों की खरीद (₹ 86.63 करोड़); जीबी अस्पताल के लिए अस्पतालों के उपकरण आदि के खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने (₹ 48.59 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी एवं उपकरण की खरीद और मोटर वाहन आदि की खरीद नहीं करने को जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
12.	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण	2232.87	0.01	2232.88	1664.65	568.23	438.75	129.48
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ बसों की खरीद पर कोई निवेश न होने (₹ 550 करोड़) एवं बस्तियों आदि के सुधार से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 30.31 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की धीमी प्रगति को जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
13.	अनुदान सं. 10 - विकास विभाग	892.92	0.05	892.97	318.35	574.62	529.73	44.89

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्ययगत
<i>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण गाँवों के एकीकृत विकास से संबंधित कार्य की धीमी प्रगति के कारण बचत हुई (₹ 147.85 करोड़)। बचत के समर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की धीमी प्रगति को जिम्मेदार ठहराया गया था।</i>								
14.	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	8806	0.36	8806.36	7918.6	887.76	252.14	635.62
	कुल	12,404.29	0.51	12,404.80	10,132.42	2,272.38	1369.07	903.31
<i>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना के गैर-कार्यान्वयन (₹ 500 करोड़), धीमी गति से कार्य, मुख्यमंत्री सड़क पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप न देना (₹ 272.81 करोड़); सड़क के फुटपाथ की स्वीकृति न होना (नई परियोजनाओं के लिए) (₹ 255.19 करोड़); कार्यों के निष्पादन में देरी, बारापुला नाला फेज-III के इलेक्ट्रेड कॉरिडोर के निर्माण और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से संबंधित ठेकेदारों आदि द्वारा बिलों का जमा न करना आदि के कारण बचत हुई। बचत के समर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कार्यों की धीमी प्रगति आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</i>								
	कुल योग	57,289.87	1,269.95	58,559.82	48,723.82	9,836.00	4,883.52	4,952.48

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि विभागों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जा रही थी कि अनुमानों का निर्माण वास्तविक आधार पर हो और अनुचित आशावाद से प्रभावित न हो।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

वित्तीय नियम/बजट नियमावली उन मामलों को छोड़कर अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान को प्रतिबंधित करती है, जहां आकस्मिक स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान किए जाते हैं, जिसे वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने चार अनुदानों के अंतर्गत कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान ₹ 319.00 करोड़ में से ₹ 170.07 करोड़ व्यय किया। व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता को भंग करता है। आगे, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 3 के उप नियम 6 के अनुसार ₹ 10 लाख से कम लागत वाले कार्यों को छोड़कर आम तौर पर बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अनुदानों के अधीन 17 मामलों में जैसा कि तालिका 3.7 में वर्णित किया गया है, ₹ 10 लाख की धनराशि निर्धारित सीमा से अधिक थी। इसके अतिरिक्त,

यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 10 और अनुदान संख्या 11 के उप-शीर्षों के तहत समरूप एक मुश्त प्रावधान पिछले वर्ष भी किए गए थे।

तालिका 3.7: वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	कथित उद्देश्य
1.	3-न्याय का प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	2014.00.105.97.00.42	1.20	0.12	जिला एवं सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण
2.	7-सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (राजस्व-दत्तमत)	2210.06.800.70.00.42	70.00	3.43	अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत
3.	10-विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	5425.00.208.84.00.42	1.00	0.00	बागवानी कार्य
4.	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूँजीगत-दत्तमत)	5054.04.800.99.00.42	40.00	36.80	सड़कों और पुलों का निर्माण
5.	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूँजीगत-दत्तमत)	4055.00.212.90.00.42	10.00	6.43	दिल्ली फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
6.		4059.60.051.80.90.42	20.00	21.94	न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाएं
7.		4070.00.800.89.00.42	25.00	23.06	सेंट्रल जेल बिल्डिंग
8.		4202.01.800.97.00.42	30.00	10.54	मौजूदा ईमारतों में जीर्णोद्धार कार्य
9.		4202.02.105.88.00.42	4.00	1.06	जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज
10.		4202.03.800.89.00.42	50.30	29.58	खेल के मैदानों, खेल परिसर और स्वीमिंग पूल आदि का विकास
11.		4202.04.101.99.00.42	2.00	1.31	कला महाविद्यालय
12.		4202.04.104.96.00.42	3.00	1.01	अभिलेखागार विभाग
13.		4210.03.102.98.00.42	3.50	2.10	होम्योपैथिक के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विकास
14.		4235.02.101.87.00.42	9.00	1.14	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए गृह का विकास
15.		4235.02.104.94.00.42	15.00	6.06	वृद्धाश्रम
16.		4235.02.800.90.00.42	5.00	5.27	मौजूदा भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (लो.नि.वि.)
17.		5054.04.800.99.00.42	30.00	20.22	सड़कों और पुलों का निर्माण
कुल योग			319.00	170.07	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि मौजूदा एकमुश्त प्रावधानों को संशोधित अनुमान 2022-23 और आगामी बजट अनुमानों में सुधारा जायेगा।

3.5 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 अपेक्षित तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ₹ 72,081.08 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति केवल ₹ 61,542.00 करोड़ का उपयोग कर सके तथा ₹ 10,539.08 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 5,458.00 करोड़ (51.79 प्रतिशत) की बचत 31 मार्च 2022 को व्यपगत हो गया था। विवरण तालिका 3.8 में दिये गये हैं:

तालिका 3.8: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

		(₹ करोड़ में)						
	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अतिरिक्त (+)	31 मार्च 2022 को व्यपगत	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I. राजस्व	48,099.65	2,592.20	5,0691.85	42,773.10	(-)7,918.75	4,378.01	55.29
	II. पूंजीगत	10,516.24	412.13	1,0928.37	8,283.80	(-)2,644.57	994.51	41.11
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,378.23	0.03	2378.26	2603.40	(+)225.14	0.00	0.00
कुल दत्तमत		60,994.12	3,004.36	63,998.48	53,660.30	(-)10,338.18	5,372.52	51.97
प्रभारित	I. राजस्व	3,699.71	76.58	3,776.29	3,629.60	(-)146.69	81.53	55.58
	II. पूंजीगत	41.00	0.14	41.14	36.94	(-)4.20	3.94	93.81
	लोक ऋण	4,265.17	0.00	4,265.17	4,215.16	(-)50.01	0.01	0.02
	III. ऋणों एवं अग्रिमों	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		8,005.88	76.72	8,082.60	7,881.70	(-)200.90	85.48	42.55
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		69,000.00	3,081.08	72,081.08	61,542.00	(-)10,539.08	5,458.00	51.79

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए ₹ 69,000.00 करोड़ के मूल बजट को संशोधित करके ₹ 72,081.08 करोड़ कर दिया गया जिसके प्रति वास्तविक व्यय ₹ 61,542.00 करोड़ था। 2017-18 से 2021-22

की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के विवरणों को तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: 2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मूल बजट	48,000.00	53,000.01	60,000.00	65,000.00	69,000.00
अनुपूरक बजट	1,202.08	5,177.13	4,180.68	891.87	3,081.08
संशोधित अनुमान	49,202.08	58,177.14	64,180.68	65,891.87	72,081.08
वास्तविक व्यय	41,159.42	46,344.56	51,510.03	52,895.76	61,542.00
बचत/आधिक्य	8,042.66	11,832.58	12,670.65	12,996.11	10,539.08
बचत की प्रतिशतता	16.35	20.34	19.74	19.72	14.62
मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक की प्रतिशतता	2.50	9.77	6.97	1.37	4.47

(₹ करोड़ में)

स्रोत: बजट एक नज़र में तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.9 से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल प्रावधान की तुलना में कुल बचत की प्रतिशतता 14.62 प्रतिशत (2021-22) से 20.34 प्रतिशत (2018-19) तक थी।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ₹ 69,000 करोड़ के बजट अनुमान को संशोधित कर ₹ 67,000 करोड़ कर दिया गया था और संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया व्यय ₹ 61,542 करोड़ है, जिसके परिणामस्वरूप केवल ₹ 5,458 करोड़ की बचत हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा द्वारा संशोधित अनुमान ₹ 72,081.08 करोड़ के प्रति ₹ 10,539.08 करोड़ की बचत बताई गई थी।

वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख लेखाशीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान के आंकड़ों की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व व्यय (वास्तविक) तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान के आंकड़ों की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व व्यय (वास्तविक)

व्यय शीर्ष (लेखाओं के मुख्य शीर्ष)	ब.अ. (बजट एक नज़र में के अनुसार)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान तथा वास्तविक में अंतर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राजकोषीय सेवायें				
राज्य उत्पाद	51.24	44.95	(-)6.29	(-)12.28
वाहनों पर कर	288.26	161.81	(-)126.45	(-)43.87
जी.एस.टी. के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	135.42	91.09	(-)44.33	(-)32.74

(₹ करोड़ में)

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष (लेखाओं के मुख्य शीर्ष)	ब.अ. (बजट एक नजर में के अनुसार)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान तथा वास्तविक में अंतर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
प्रशासनिक सेवायें				
जेल	530.21	372.49	(-)157.72	(-)29.75
लोक निर्माण	512.93	528.41	15.48	(+)3.02
सामाजिक सेवायें				
सामान्य शिक्षा	12948.56	10283.93	(-)2664.63	(-)20.58
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8474.29	7537.26	(-)937.03	(-)11.06
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1630.50	1136.53	(-)493.97	(-)30.29
शहरी विकास	1034.69	661.59	(-)373.1	(-)36.06
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3685.36	3570.48	(-)114.88	(-)3.12
आर्थिक सेवायें				
नागरिक आपूर्ति	449.28	378.9	(-)70.38	(-)15.67
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	281.34	264.48	(-)16.86	(-)5.99
ऊर्जा	3117.41	3266.97	149.56	(+)4.80
सड़कें तथा पुल	536.8	658.15	121.35	(+)22.61
सड़क परिवहन	4744.25	4355.88	(-)388.37	(-)8.19

तालिका 3.10, में देखा जा सकता है कि राजकोषीय सेवाओं को छोड़कर, सामाजिक सेवाओं अर्थात 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' तथा 'शहरी विकास' की लेखा के दो शीर्षों के तहत और प्रशासनिक सेवा- 'जेल' की लेखा के एक शीर्ष के तहत व्यय में कमी (बजट अनुमान के 25 प्रतिशत से अधिक) थी।

3.5.2 बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार द्वारा की गई अनेक नीतिगत पहल अंशतः अथवा पूर्णतः निष्पादित नहीं हुई थीं। यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अन्तर्गत 82 उप-शीर्षों में, ₹ 560.41 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा अप्रयुक्त रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस कर दिया गया (परिशिष्ट-3.1)।

संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य का संकेतक था कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के गैर-उपयोग के कारण बंद नहीं हुई, वे थीं - एनआरएचएम के तहत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी

पैकेज के लिये अनुदान सहायता (के.प्रा.यो) (₹ 45.77 करोड़), एनआरएचएम के तहत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिये अनुदान सहायता (राज्य का हिस्सा) (₹ 30.00 करोड़), दिल्ली आरोग्य कोष (₹ 40.96 करोड़), स्मार्ट सिटी के लिये एनडीएमसी को स. अनु. (के.प्रा.यो.) (₹ 50.00 करोड़), स्वच्छ भारत मिशन (के.प्रा.यो.) (₹ 33.00 करोड़), दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.प्रा.यो.) (₹ 22.01 करोड़), स्वच्छ भारत मिशन (राज्य का हिस्सा) (₹ 20.00 करोड़), एमआरटीएस के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु अनुपुरक ऋण (₹ 100.00 करोड़) और कमजोर वर्ग के लिये मकानों के निर्माण हेतु डीयूएसआईबी को ऋण (जे.एन.एन.यू.आर.एम) (₹ 14.93 करोड़)।

आगे, यह देखा गया कि नौ अनुदानों के 89 उप-शीर्षों में मूल बजट में ₹ 1,830.87 करोड़ का प्रावधान किया गया था (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) (परिशिष्ट-3.2) परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित परिव्यय में राशि की पूरी निकासी की गई थी।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि विभागों को सलाह दी जा रही थी कि योजना शुरू करने के लिये बजट अनुमान/संशोधित अनुमान किए जाने वाले भुगतान, संबन्धित योजना के विवरण की तैयारी और धन की उपलब्धता पर विचार करने के बाद वास्तविक आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

3.5.3 व्यय की अधिकता

i) जीएफआर, 2017 का नियम 62(3) प्रावधान करता है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भा.स. के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिमाही और अंतिम महीने अर्थात् वित्तीय वर्ष के मार्च में व्यय को बजट के क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान ₹ 61,172.34³ करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 21,800.95 करोड़ (बजट का 30.24 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि ₹ 9,995.85 करोड़ (बजट का 13.87 प्रतिशत) मार्च 2022 के महीने के दौरान व्यय किए गए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा

³ ₹ 369.66 करोड़ की वसूलियां को छोड़कर

ने पाया कि छः अनुदानों के अंतर्गत 37 उप-शीर्षों में व्यय 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक था, जो मार्च 2022 में किया गया था।

पिछली तिमाही के दौरान मुख्य रूप से मार्च महीने में व्यय की अधिकता, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देता है।

ii) शीर्ष जहां सम्पूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच अनुदानों के अंतर्गत 11 उप-शीर्षों में ₹ 1,596.02 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया था जैसा कि विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है:

तालिका 3.11: शीर्ष जहाँ पर संपूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय (₹ करोड़ में)
1	6 - शिक्षा	2202.02.109.53.00.31- विशेष उत्कृष्टता के स्कूल को स.अनु.	38.00
2		2202.80.107.82.00.34- शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	18.15
3		4202.01.203.91.00.53- खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना	14.91
4		4202.01.203.96.00.53- इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण एवं भूमि का आवंटन	10.25
5	7 - चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	2210.01.200.71.00.31 - भारत कोविड-19 के लिए स. अनु.	330.00
6	8 - समाज कल्याण	2225.01.789.76.00.34 - सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	13.00
7		2235.02.103.22.00.50 - रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	13.50
8		3055.00.190.99.00.33- डीटीसी एवं क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना (राज्य का हिस्सा)	38.46
9	10 - विकास	2245.80.101.99.00.50- ग्रामीण गावों के एकीकृत विकास के तहत कार्यों के लिए ग्राम विकास बोर्ड	169.75
10	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.76.00.53- आश्रम से डीएनडी तक फ्लाइओवर का निर्माण	50.00
11		7615.00.200.75.00.55- वेज एण्ड मिन्स सपोर्ट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	900.00
कुल			1596.02

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान नकदी प्रबंधन और व्यय के युक्तिकरण के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। उपरोक्त

तालिका के बिन्दु संख्या 1,3,4,5,9 और 11 के संबंध में, विभाग ने कहा कि राशि (₹ 1,596.02 करोड़ में से ₹ 1,462.91 करोड़) संशोधित अनुमानों में आवंटित की गई थी और तदनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जारी की गई थी। आगे कहा गया है कि शेष ₹ 83.11 करोड़ (क्र.स. 2,6,7 और 8) छात्रवृत्ति, वृत्तिका, सब्सिडी और विधवा पेंशन से संबन्धित भुगतान एक-बार भुगतान के रूप में थे। क्र.सं. 10 (₹ 50 करोड़) प्रतिबंधों के तहत कवर आइटम से संबन्धित थे।

तथ्य यह है कि सामान्य वित्तीय नियमों और वित्तमंत्रालय के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया। अतः, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सत्र के प्रारंभ में छात्रवृत्ति और वृत्तिका का संवितरण किया जाना होता है। इसके अलावा विधवा पेंशन का संवितरण मासिक आधार पर किया जाना होता है। इसके अलावा व्यय की अधिकता से बचा जा सकता था यदि संशोधित अनुमानों में धन का आवंटन किया गया होता और उसे समय पर जारी किया गया होता।

iii) केवल मार्च 2022 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह अनुदानों के अंतर्गत 25 उप-शीर्षों में ₹ 3,211.99 करोड़ का व्यय कुल व्यय का 50 प्रतिशत से 99.87 प्रतिशत के बीच मार्च 2022 में किया गया था जैसा कि तालिका 3.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.12: केवल मार्च 2022 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं./नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय राशि	अंतिम तिमाही में कुल व्यय		मार्च 2022 में कुल व्यय	
				राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1	5 - गृह	2056.00.001.99.00.28	114.44	106.02	92.65	102.71	89.76
2	6 - शिक्षा	2202.02.101.97.00.31	30.00	25.00	83.33	25.00	83.33
3	6 - शिक्षा	2202.02.113.95.00.01	42.80	40.57	94.79	40.57	94.79
4	6 - शिक्षा	2202.02.789.94.00.33	37.75	37.75	100.00	29.07	77.00
5	6 - शिक्षा	2202.02.800.40.00.33	181.67	151.67	83.49	109.96	60.53
6	6 - शिक्षा	2202.03.102.84.00.31	44.25	34.25	77.40	34.25	77.40
7	6 - शिक्षा	2230.03.101.91.00.31	18.99	14.30	75.32	14.30	75.32
8	6 - शिक्षा	4202.01.600.94.00.53	132.28	124.23	93.92	87.76	66.35
9	6 - शिक्षा	4202.02.105.82.00.53	558.33	404.36	72.42	381.77	68.38
10	7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.800.82.00.31	40.00	35.00	87.50	25.00	62.50
11	8 - समाज कल्याण	2225.01.277.43.00.34	30.00	22.28	74.28	22.28	74.29
12	8 - समाज कल्याण	2225.01.277.71.00.50	47.34	29.73	62.80	29.42	62.16

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं./नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय		अंतिम तिमाही में कुल व्यय		मार्च 2022 में कुल व्यय	
			राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
13	8 - समाज कल्याण	2235.02.103.33.00.50	79.63	80.87	64.40	80.87	40.28	50.59
14	8 - समाज कल्याण	3055.00.190.90.00.31	103.31	100.00	103.31	100.00	78.31	75.80
15	8 - समाज कल्याण	5055.00.050.85.00.53	447.30	87.76	392.55	87.76	382.87	85.60
16	8 - समाज कल्याण	5055.00.190.80.00.54	800.00	56.25	450.00	56.25	450.00	56.25
17	8 - समाज कल्याण	7055.00.190.94.00.55	150.00	66.67	100.00	66.67	100.00	66.67
18	10 - विकास	2052.00.090.48.00.31	60.00	99.88	59.93	99.88	59.92	99.88
19	10 - विकास	2235.60.200.62.00.50	24.00	54.17	13.00	54.17	13.00	54.17
20	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2210.01.110.10.95.27	18.98	73.80	14.01	73.80	10.03	52.82
21	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.04.191.55.00.35	206.20	51.50	106.20	51.50	106.20	51.50
22	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.600.92.00.53	67.70	80.12	54.24	80.12	54.24	80.12
23	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.050.95.00.53	1056.77	79.75	842.81	79.75	772.55	73.11
24	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.89.00.53	44.05	97.61	43.00	97.61	30.00	68.10
25	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	7615.00.200.81.00.55	325.00	82.69	268.75	82.69	212.50	65.38
कुल			4660.79		3537.36		3211.99	


स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. (अक्टूबर 2022) ने व्यय की अधिकता के लिए (i) राज्य से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जेलों और अन्य राज्यों से तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए किए गए भुगतान (उपर्युक्त तालिका का क्रम संख्या 1), (ii) विधान सभा के अनुमोदन से संशोधित अनुमानों (आरई) में धन की वृद्धि के संबंध में (क) दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान (स.अ.), (ख) समग्र शिक्षा-अध्यापक शिक्षा का बजट प्रावधान (ग) खेल विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान (घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (ड)स्कूल भवनों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की आउटसोर्सिंग, (च) भारतीय लीवर और बाईलरी विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान (तालिका के क्रम संख्या 2,3,6-10); (iii) आवश्यक सत्यापन के बाद स्कूल वर्दी, छात्रवृत्ति एवं वृत्तिका और शिक्षण शुल्क, लाइली योजना आदि की प्रतिपूर्ति के लिये किये गये भुगतान (तालिका के क्रम संख्या 4-5,11-12,13); केवल आरई चरण में परिवहन विभाग के लिये भुगतान का प्रावधान (क्रम संख्या 14), राजस्व संग्रह की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी भुगतान (क्रम संख्या 15-18), आरई में वक्फ बोर्ड को धन का प्रावधान (क्रम संख्या 19); और समिति की आवश्यकता एवं अनुमोदन के

अनुसार युद्ध/ऑपरेशन में मरने वाले रक्षा कर्मियों को अनुग्रह राशि का भुगतान (क्र.स.20); आरई में निधियों का प्रावधान और उसका भुगतान (क्र.सं.21); भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त निधियों को ध्यान में रखते हुए आरई में निधियों की वृद्धि (क्र. स. 22); कोविड-19 के कारण नकदी प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजीगत कार्यों से संबंधित भुगतानों को विनियमित किया जा रहा है (क्रमांक 23-25)।

तथ्य यह है कि सामान्य वित्तीय नियम एवं वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जेलों को देर से भुगतान, संशोधित अनुमान में निधियों की वृद्धि/आवंटन में देरी, सब्सिडी, छात्रवृत्ति और शिक्षण शुल्क आदि का देर से भुगतान, व्यय की अधिकता के औचित्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।


चार्ट 3.6: वि.व. 2021-22 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



चार्ट 3.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियाँ ₹ 61,128 करोड़ के 2.42 प्रतिशत (मई) से 13.32 प्रतिशत (अक्टूबर) के बीच थीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. का माह-वार व्यय (शुद्ध वसूली) कुल व्यय ₹ 61,173 करोड़ के 4.45 प्रतिशत (अप्रैल) से 16.34 प्रतिशत (मार्च) के बीच था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के संबंध में व्यय की बहुत अधिक प्रतिशतता मार्च महीने में थी जैसा कि चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: वर्ष 2021-22 के दौरान मार्च 2022 में व्यय की बहुत अधिक प्रतिशतता के साथ अनुदान सं. - 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण का माह-वार व्यय



लेखापरीक्षा ने देखा कि शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (अनुदान सं. 11) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम महीने में कुल व्यय का 24.40 प्रतिशत व्यय किया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंत में व्यय की अधिकता खराब बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.5.4 अनुदान की उपयोगिता में कमी (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (जीआईए) के तहत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने ₹ 228.03 करोड़ (₹ एक करोड़ और अधिक) के प्रावधानों को मंजूरी दी थी, जिसे चार अनुदानों के 12 उप-शीर्षों में संशोधित कर ₹ 159.34 करोड़ कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी से मार्च 2022 के दौरान भारत सरकार से ₹ 159.34 करोड़ के प्रति केवल ₹ 36.10 करोड़ प्राप्त हुए तथा इसके प्रति कोई व्यय नहीं किया गया। विवरण परिशिष्ट 3.3 में है।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि परिशिष्ट 3.3 के क्र.सं. 1,4,9,10,11 एवं 12 के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभागों को अधिकृत किया गया है। यह भी कहा गया कि शेष मामलों के लिए कोई धन प्राधिकरण के लिए उपलब्ध नहीं था।

3.5.5 अनुदान सं. 11 - 'शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग' का परिणाम

अनुदान के अंतर्गत बजट प्रक्रियाओं, धन की निगरानी और नियंत्रण तंत्र के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुदान संख्या - 11 'शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। यह अनुदान 'शहरी विकास विभाग', 'लोक निर्माण विभाग', 'भूमि एवं भवन विभाग', 'आवास ऋण विभाग', 'बिजली विभाग' और 'राज्य निर्वाचन आयोग' को सौंपा गया है। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे देखे गए।

बजट एवं व्यय

- (i) विगत तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय एवं बचतों की संपूर्ण स्थिति तालिका 3.13 में दी गयी है:

तालिका 3.13: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2019-20	19332.24	0.34	15300.94	0.19	4031.30	0.15
2020-21	19472.94	1.06	16659.22	0.01	2813.72	1.05
2021-22	18469.69	40.82	16486.52	36.94	1983.17	3.88

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

- (ii) असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही अनुपूरक माँग का सहारा लिया जाना चाहिये। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध संसाधनों या उपलब्ध होने की संभावना को ध्यान में रखना होता है और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होती है।

अनुदान संख्या 11 की जांच से पता चला कि दो मामलों में ₹ 12.00 करोड़ (2019-20), दो मामलों में ₹ 4.00 करोड़ (2020-21) और एक मामले में ₹ 0.40 करोड़ (2021-22) अधिक/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त हुये थे। हालांकि, अंतिम व्यय कुल अनुदान से कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान अनावश्यक हो गया और इस प्रकार पाँच मामलों में ₹ 18.03 करोड़ की बचत हुई।

बचत के लिये बताये गये कारण मुख्य रूप से श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पलायन कार्यों के निष्पादन में देरी, लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं के कारण ठेकेदार द्वारा चालू खाता बिल जमा न करना, कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने के कारण कार्यालय बंद रहना, रिक्त पदों को न भरना, सरकारी सलाहकारों से व्यावसायिक शुल्क बिलों की प्राप्ति न होना तथा प्रशासनिक कारणों से बिलों की गैर-मंजूरी आदि थे।

अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(iii) जहां बचत प्रत्याशित है, पुनर्विनियोजन एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए अनुदान सं.- 11 के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। राजस्व दत्तमत/पूँजीगत दत्तमत क्षेत्र के तहत उप-शीर्ष के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले नीचे विस्तृत रूप से वर्णित हैं:

- अनुदान संख्या 11 की जांच से पता चला कि 7 उप-शीर्षों के तहत ₹ 18.48 करोड़ (2019-20), 3 उप-शीर्षों के तहत ₹ 2.64 करोड़ (2020-21) और राजस्व दत्तमत क्षेत्र के 8 उप-शीर्षों के तहत ₹ 36.10 करोड़ (2021-22) की राशि का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

बचत के लिए बताये गए कारण मुख्य रूप से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य के निष्पादन में देरी और कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा लाकडाउन लागू किये जाने के कारण ठेकेदार द्वारा बिल जमा न करना (11 मामले), भारत सरकार से धन की प्राप्ति न होना (3 मामले), रिक्त पद भरे नहीं गए, प्रशासनिक कारणों से बिलों की मंजूरी लंबित, काम पूरा होने में देरी, दावों की प्राप्ति में देरी (4 मामले) थे।

- इसी प्रकार 5 उप शीर्षों के तहत ₹ 66.21 करोड़ (2019-20), 4 उप-शीर्षों के तहत ₹ 66.96 करोड़ (2020-21) और पूँजीगत

दत्तमत क्षेत्र के 5 उप-शीर्षों के तहत ₹ 23.77 करोड़ (2021-22) का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

बचत के लिए बताये गए कारण मुख्य रूप से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य के निष्पादन में देरी और कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा लॉक डाउन लगाए जाने से ठेकेदार द्वारा बिल जमा न करने (12 मामले), बिजली कंपनी द्वारा शेयर पूंजी की कोई मांग नहीं करना (1 मामला), सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान की मंजूरी आदि लंबित थे (1 मामला)।

कुल बचत:

- (iv) लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान अनुदान सं. 11, में बड़ी बचत हुई जैसा कि तालिका 3.14 में उल्लेख किया गया है :

तालिका 3.14: बड़ी बचत

(₹ करोड़ में)					
शीर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्ययगत
2019-20					
राजस्व (दत्तमत)	9407.26	8759.35	647.91	418.12	229.79
पूंजीगत (दत्तमत)	9924.98	6541.59	3383.39	2704.66	678.73
कुल	19332.24	15300.94	4031.3	3122.78	908.52
2020-21					
राजस्व (दत्तमत)	9788.37	9227.7	560.67	0.67	560.00
पूंजीगत (दत्तमत)	9684.57	7431.52	2253.05	1866.96	386.09
कुल	19472.94	16659.22	2813.72	1867.63	946.09
2021-22					
राजस्व (दत्तमत)	9663.33	8567.92	1095.41	626.46	468.95
पूंजीगत (दत्तमत)	8806.36	7918.60	887.76	252.14	635.62
कुल	18469.69	16486.52	1983.17	878.60	1104.57

लगातार बचत

- (v) वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के लिए अनुदान सं. 11- 'शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग' के शीर्ष-वार विनियोग लेखा की विस्तृत जाँच से पता चला कि निम्नलिखित उप-शीर्षों के तहत ₹ 10.00 करोड़ या अधिक की लगातार बचत देखी गई जो विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना/कार्यक्रम के संबंध में खराब बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का परिचायक था। वर्ष

2019-20 से 2021-22 के दौरान लगातार बचत का विवरण तालिका 3.15 (क) में दिया गया है:

तालिका 3.15 (क): उप-शीर्ष में लगातार बचत (₹ 10.00 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	विवरण	2019-20 में बचत	कारण	2020-21 में बचत	कारण	2021-22 में बचत	कारण
1.	2217.80.191.04.00	स्वच्छ भारत मिशन (सी एस एस)	24.00	कार्यान्वयन एंजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त न होना	94.84	सीएसएस फंड कम जारी होना	33.00	भारत सरकार से कम फंड जारी होना
2.	2217.80.191.03	स्वच्छ भारत मिशन(राज्य हिस्सा)	10.00	प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति	25.53	सीएसएस फंड कम जारी होना	20.00	भारत सरकार से कम फंड जारी होना
3.	2059.80.001.88	स्थापना प्रभार	20.15	लॉकडाउन के कारण मजदूरों का अपने गृह राज्यों में पलायन, ठेकेदार/एंजेंसियों द्वारा चालू खातों के बिलों को प्रस्तुत न करना	26.66	लॉकडाउन के कारण मजदूरों का अपने गृह राज्यों में पलायन, ठेकेदार/एंजेंसियों द्वारा चालू खातों के बिलों को प्रस्तुत न करना	20.04	मजदूरों के पलायन के कारण कार्य के निष्पादन में विलंब, ठेकेदार/एंजेंसियों द्वारा चालू खातों के बिलों को प्रस्तुत न करना, कोविड-19 महामारी आदि के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन
4.	4217.60.051.97	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़क, गलियां, मोहल्ला, स्ट्रीट लाइट आदि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना	150.34	विधायक के विधानसभा क्षेत्र में विकास हेतु तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए रखी हुई धनराशि	46.10	कोविड-19 प्रकोप	41.97	कार्यकारी एंजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण होने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप शेष राशि आदि जारी नहीं होना
5.	4217.60.789.98	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एससीएसपी) में सड़क, गलियां, मोहल्ला, स्ट्रीट लाइट आदि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना	35.43	विधायक के विधानसभा क्षेत्र में विकास हेतु तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए रखी हुई धनराशि	16.25	कोविड-19 प्रकोप	14.78	प्रशासनिक कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना

इसके अतिरिक्त उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए मामलों के संबंध में बचत के कारणों की अनुदान का प्रबंध करने वाले विभाग के अभिलेखों के साथ नमूना जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में कारणों का मिलान नहीं हुआ, जैसा कि तालिका 3.15 (ख) में दर्शाया गया है:

तालिका 3.15 (ख) विभागीय अभिलेखों के अनुसार बचत के कारण

क्र.सं.	उप-शीर्ष	विवरण	लेखापरीक्षा सत्यापन के अनुसार बचत के कारण		
			2019-20	2020-21	2021-22
1.	2217.80.191.04.00	स्वच्छ भारत मिशन (सीएसएस)	प्रस्ताव लागत के अनुसार भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी	2020-21 में प्राप्त केंद्रीय आवंटन शून्य था	मंत्रालय द्वारा निधियां 28.03.2022 को जारी की गईं, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग किया गया
2.	2217.80.191.03	स्वच्छ भारत मिशन (राज्य हिस्सा)	राज्य का हिस्सा केंद्रीय हिस्से के जारी होने के अधीन है, इसलिए केंद्रीय हिस्से के तहत बचत से राज्य के हिस्से के तहत बचत होती है।	राज्य का हिस्सा केंद्रीय हिस्से के जारी होने के अधीन है, इसलिए केंद्रीय हिस्से के तहत बचत से राज्य के हिस्से के तहत बचत होती है।	राज्य का हिस्सा केंद्रीय हिस्से के जारी होने के अधीन है, इसलिए केंद्रीय हिस्से के तहत बचत से राज्य के हिस्से के तहत बचत होती है।
3.	2059.80.001.88	स्थापना प्रभार	कारण मेल खाता है।	अपर महानिदेशक/प्रधान मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एवं अधीनस्थ कर्मचारी के रिक्त पद	अपर महानिदेशक/प्रधान मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एवं अधीनस्थ कर्मचारी के रिक्त पद
4.	4217.60.051.97	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, स्ट्रीट लाइटों आदि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना	कारण मेल खाता है।	कारण मेल खाता है।	(i) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन एवं (ii) प्रदूषण के कारण कार्यालयों के बंद होने के कारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय किश्त/शेष राशि कार्यपालन एंजेसियों को जारी न करना
5.	4217.60.789.98	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, स्ट्रीट लाइटों आदि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना (एससीएसपी)	कारण मेल खाता है।	कारण मेल खाता है।	(i) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन एवं (ii) प्रदूषण के कारण कार्यालयों के बंद होने के कारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय किश्त/शेष राशि कार्यपालन एंजेसियों को जारी न करना

उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2023)।

एक मुश्त प्रावधान

(vi) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) के नियम 8 में प्रावधान है कि, वस्तु शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक नहीं होगा और अन्य सभी मामलों में व्यय को अन्य वस्तु के अनुसार अलग-अलग दिया जाना चाहिये। वित्तीय नियम/बजट नियमावली अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान पर रोक लगाती है सिवाय उन मामलों में जहां आपातकालीन स्थितियों को पूरा करने के लिये या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिये तत्काल उपाय किये जाने हैं, जिसे वित्तीय वर्ष में सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को सही ठहराने के लिये विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए अनुदान संख्या 11 के लिए एक मुश्त प्रावधानों की जांच से पता चला कि रा.रा.क्षे.दि.स ने 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमशः वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डी एफ पी आर) के नियम 8 के उल्लंघन में बजट के पूंजीगत खंड के तहत ₹ 229.02 करोड़ (15 मामले), ₹ 309.95 करोड़ (15 मामले) और ₹ 246.80 करोड़ (14 मामले) का एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया था।

संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत

(vii) जीएफआर 2017 का परिशिष्ट 3 और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र में निहित वार्षिक निर्देश निर्धारित करते हैं कि मंत्रालय/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों एवं अन्य प्रासंगिक कारक जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आर्थिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट अनुमान तैयार करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2017 का नियम 62 (2) प्रावधान करता है कि बचत के साथ-साथ जिन प्रावधानों का लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना तुरंत सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण से बचने की गुंजाइश को कम करना है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिये अनुदान संख्या 11 की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना विभिन्न उप-शीर्षों में प्रावधान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप किए गए प्रावधान

की पूरी राशि बच गई। 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 51.45 करोड़ (11 मामले), ₹ 70.00 करोड़ (10 मामले), ₹ 155.44 करोड़ (12 मामले) के प्रावधान (संशोधित परिव्यय) की पूरी राशि की बचत खराब बजट और वित्तीय नियंत्रण को दर्शाती है।

व्यय की अधिकता

(viii) जीएफआर 2017 का नियम 62(3) प्रावधान करता है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम महीने यानी मार्च में व्यय को बजट के क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,116.61 करोड़ के कुल प्रावधान के 12 मामलों में ₹ 974.57 करोड़ (87 प्रतिशत) और ₹ 713.43 करोड़ (64 प्रतिशत) का व्यय शामिल है और ₹ 3785.4 करोड़ के कुल प्रावधान के 18 मामलों में ₹ 3,180.88 करोड़ (84 प्रतिशत) और ₹ 2,931.10 करोड़ (77 प्रतिशत) का व्यय शामिल है तथा ₹ 2,693 करोड़ के कुल प्रावधान के 8 मामलों में ₹ 2,279.01 करोड़ (85 प्रतिशत) और ₹ 2135.53 करोड़ (79 प्रतिशत) का व्यय शामिल है जो क्रमशः वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के अंतिम तिमाही एवं अंतिम महीने में किए गए थे।

3.5.6 अन्य अनियमितता

(i) दिनांक 9 जुलाई 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. : एफ. सं० 15(4)/बी(डी) के साथ पठित वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बजट प्रभाग) द्वारा जारी बजट परिपत्र 2022-23 का पैरा 15.1 प्रावधान करता है कि एक मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय को समेकित करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु "सूचना प्रौद्योगिकी" के लिए एक विस्तृत शीर्ष '99' आवंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया है तथा 'सूचना प्रौद्योगिकी' पर ₹ 0.55 करोड़ के व्यय का वर्गीकरण शीर्ष '99' के स्थान पर शीर्ष '2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु शीर्ष-800-अन्य-उपशीर्ष 62-उद्योग निदेशालय के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण-विस्तृत शीर्ष-00' के अंतर्गत अनुदान एवं विनियोग लेखा की विस्तृत मांग में किया गया है।

वित्त विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि विभागों को सलाह दी गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यय से संबंधित धनराशि 'विस्तृत शीर्ष-99' के अंतर्गत प्राप्त की जानी है।

3.6 अनुशंसाएँ

1. सरकार को विभागों की जरूरतों की विश्वसनीय धारणाओं एवं आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के आधार पर एक वास्तविक बजट तैयार करने की आवश्यकता है;
2. बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचत नियंत्रित होती है, और अनुमानित बचत की पहचान की जाती है एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित कर दिया जाता है।

अध्याय - IV

**लेखा की गुणवत्ता एवं वित्तीय
रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली**

अध्याय-IV

लेखा की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हैं, सरकार को रणनीतिक योजना एवं निर्णय लेने के साथ-साथ अपने बुनियादी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

लेखा की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित

केंद्र सरकार विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी राशि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है।

चूँकि ये निधियां रा.रा.क्षे. दिल्ली के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती हैं, इसलिए ये रा.रा.क्षे.दि.स. के खातों में परिलक्षित नहीं होती हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ₹ 284.91 करोड़ की धनराशि रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई थी, जैसाकि वर्ष 2021-22 के दौरान पीएफएमएस पोर्टल पर दर्शाया गया है।

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

सा.वि.नि., 2017 का नियम 238 अनुबंध करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों तक की अवधि में विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदानग्राहियों द्वारा 31 मार्च 2021 तक जारी किए गए ₹ 7,730.31 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 1,428 उ.प्र., 31 मार्च 2022 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की कमी का अर्थ है कि यद्यपि व्यय किया गया है परंतु अनुदानग्राहियों द्वारा यह नहीं बताया गया कि निधियां कैसे खर्च की गई थीं। इसका कोई आश्वासन भी नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह अधिक महत्व रखता है यदि पूंजी गत व्यय के लिए बने सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति ऐसे उ.प्र. लंबित हैं। चूँकि उ.प्र. की प्रस्तुतीकरण की कमी दुर्विनियोग के जोखिम से भरा है, इसलिए यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए एवं संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाया उ.प्र. का वर्ष-वार विवरण विस्तृत रूप से नीचे तालिका 4.1 में है।

तालिका 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण


(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 to 2011-12	1049	221.02
2012-13	105	189.02
2013-14	31	0.86
2014-15	48	0.73
2015-16	28	178.44
2016-17	27	685.61
2017-18	36	161.60
2018-19	61	940.33
2019-20	08	336.95
2020-21	35	5015.75
कुल	1,428	7,730.31

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 से पूर्व ₹ 221.02 करोड़ की राशि के 1,049 उ.प्र. (73.46 प्रतिशत) बकाया थे, जबकि ₹ 7,509.29 करोड़ की राशि के 379 उ.प्र. (26.54 प्रतिशत) 2012-13 से 2020-21 तक बकाया थे।

वर्ष 2021-22 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उ.प्र. के विवरण चार्ट 4.1 में दिये गये हैं।

चार्ट 4.1: 2020-21 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र. का विवरण



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिवहन विभाग (डीटीसी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) तथा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने बकायों के क्रमशः ₹ 2,475.00 करोड़ (32.02 प्रतिशत), ₹ 1,349.07 करोड़ (17.45 प्रतिशत) तथा ₹ 1,183.56 करोड़ (15.31 प्रतिशत) का योगदान दिया।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2022) कि उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब को इस अनुरोध के साथ संबंधित विभागों को भेजा गया है कि कारणों/टिप्पणियों को सीधे लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया जाए। यह भी कहा कि इसने अनुदान जारी करने वाले विभागों से संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बार-बार अनुरोध किया था तथा विलंब के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया। संबंधित विभागों के जवाब प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2022)। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए बकाया उ.प्र. के कारणों की जाँच करें।

उपयोगिता प्रमाण-पत्र के वर्ष-वार संक्षिप्त विवरण में विसंगति

किसी विशेष वर्ष तक देय उ.प्र. की संख्या और राशि वर्षों तक समान रहना चाहिए। हालांकि, यह स्थिति केवल तभी गिर सकती है, जब किसी विशेष वर्ष (वर्षों) के लिए सभी उ.प्र. प्रस्तुत किए गए हों, जिसके बाद इसे उ.प्र. के संक्षिप्त विवरण से हटा दिया गया हो। हालांकि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए प्रधान महालेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के वर्ष-वार संक्षिप्त विवरण की तुलना से पता चला कि वर्ष 1993-94 से 2019-20 के लिए प्राप्त होने वाले उ.प्र. की संख्या और राशि में कमी आई थी जैसा कि तालिका 4.2 में दिया गया है। इसके अलावा, 2003-04 से 2007-08 की अवधि के संबंध में बकाया उ.प्र. की संख्या में बिना किसी बदलाव के वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2013-14 के संबंध में बकाया उ.प्र. की संख्या और राशि दोनों में वृद्धि हुई है जबकि देय उ.प्र. की संख्या यथावत बनी रहनी चाहिए।

तालिका 4.2: आंकड़ों में विसंगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2019-20 तक प्राप्त उ.प्र. की संख्या तथा राशि (वर्ष 2020-21 के लिए उ.प्र. की वर्ष-वार सारांश के अनुसार)		वर्ष 2019-20 तक प्राप्त उ.प्र. की संख्या तथा राशि (वर्ष 2021-22 के लिए उ.प्र. की वर्ष-वार सारांश के अनुसार)		अंतर	
उ.प्र. की संख्या	राशि	उ.प्र. की संख्या	राशि	उ.प्र. की संख्या	राशि
3,588	27,744.80	2,581	20,055.92	1,007	7,688.88

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2022) कि उन्होंने पीएओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संक्षिप्त विवरण को संकलित किया था, जिन्होंने संबंधित विभागों से सूचना प्राप्त की थी।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वेतन एवं लेखा कार्यालय बकाया उ.प्र. की संख्या तथा राशि को दर्शाने के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाएँ जो संगत हों तथा पूर्व वर्ष के संक्षिप्त विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुरूप हों।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे में शामिल बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु पाँच संस्थानों जैसे दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) तथा दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

4.2.1 दिल्ली जल बोर्ड

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार 31 मार्च 2021 तक प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 1,183.56 करोड़ की राशि के 10 उपयोगिता प्रमाणपत्र (31 मार्च 2022 तक) लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- (i) डीजेबी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) को उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए इसे सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था जिसमें पूर्व वर्षों में प्राप्त अनुदानों के अव्ययित शेष तथा उन पर अर्जित ब्याज शामिल है।

डीजेबी द्वारा प्रस्तुत स्थिति (अगस्त 2022) के अनुसार 'शून्य' उ.प्र. लंबित थे तथा ₹ 1,109.10 करोड़ की अव्ययित राशि को अगले वर्ष उपयोग में लाया जाएगा।

इस प्रकार वित्त लेखे के आंकड़ों तथा डीजेबी के अभिलेखों के अनुसार उ.प्र. का अंतर असमायोजित रह गया। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा डीजेबी के बीच समन्वय नहीं है जिसके कारण 10 उ.प्र. वित्त लेखे में बकाया के रूप में दर्शाए गए हैं जबकि डीजेबी दावा कर रही है कि जारी सहायता अनुदान के प्रति कोई लंबित उ.प्र. नहीं हैं।

- (ii) जीएफआर के नियम 230(4) के अनुसार, अनुदान स्वीकृत करने वाला प्रत्येक आदेश यह इंगित करेगा कि क्या यह आवर्ती है अथवा अनावर्ती और यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा कि यह किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है तथा सामान्य और विशेष शर्तें, यदि कोई हों, तो उसे अनुदान के साथ संलग्न करेगा।

स्वीकृतियों की संवीक्षा से पता चला कि डीजेबी ने अनुदान की प्रवृत्ति को निर्दिष्ट नहीं किया जैसा कि उपरोक्त नियम के तहत अनिवार्य था।

- (iii) उ.प्र. की नमूना जाँच से पता चला कि निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में किया गया व्यय विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदानों के अनुपात में नहीं था जैसा कि नीचे तालिका 4.3 में वर्णित है:

तालिका 4.3: स्वीकृत अनुदानों की तुलना में अनुपातहीन व्यय

स्कीम का नाम	2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान स.अनु. (₹ करोड़ में)	31-03-22 तक किया गया व्यय जैसा कि उ.प्र. में दर्शाया गया (₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (प्रतिशत में)
अवैध पुनर्वास कॉलोनियों में जल आपूर्ति	60.50	19.03	68.54
अवैध पुनर्वास कॉलोनियों में सीवेज सुविधा	7.11	2.23	68.59
जन जल प्रबंधन योजना	4.85	1.11	77.08

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, बड़ी रकम की अव्ययित राशियाँ (प्रतिशत में) शहरी विकास विभाग में अनुदान जारी करते समय अप्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.2 दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 715.88 करोड़ की राशि का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित था (31 मार्च 2022 तक)।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- (i) जीएफआर के नियम 230(4) के अनुसार, अनुदान स्वीकृत करने वाला प्रत्येक आदेश यह इंगित करेगा कि क्या यह आवर्ती है अथवा अनावर्ती तथा यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा कि यह किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है तथा सामान्य और विशेष शर्तें, यदि कोई हों, अनुदान के साथ संलग्न की जाएंगी। स्वीकृतियों की संवीक्षा से पता चला कि डीएसआईआईडीसी ने अनुदान की प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं किया जैसा कि उपरोक्त नियम के अंतर्गत अनिवार्य था।
- (ii) डीएसआईआईडीसी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) को उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए इसे सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था। हालांकि, डीएसआईआईडीसी द्वारा प्रस्तुत स्थिति (अगस्त 2022) के अनुसार ₹ 853.30 करोड़ की राशि का एक उ.प्र. अप्रैल 2019 से लंबित था। इस प्रकार, वित्त लेखे में दर्शाए गए तथा डीएसआईआईडीसी के अभिलेखों में वर्णित बकाया उ.प्र. की राशि असमाशोधित रह गई।

(iii) 'कमजोर वर्गों के लिए गृहों का निर्माण (जेएनयूआरआरएम)' स्कीम के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संवीक्षा से पता चला कि डीएसएसआईडीसी ने 2006-07 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 1,122.09 करोड़ के अनुदान प्राप्त किए थे जिसके संबंध में ₹ 4.03 करोड़ का अव्ययित शेष था (मार्च 2018)। शहरी विकास विभाग (डीयूडी) ने 2018-19 के दौरान ₹ 371.06 करोड़ का एक अनुदान जारी किया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआईआईडीसी द्वारा निधियों के उपयोग के लिए मंत्री परिषद की लंबित संस्वीकृति (अगस्त 2022) के कारण ₹ 371.06 करोड़ के प्राप्त अनुदान (2018-19) के संबंध में कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

इस प्रकार, निधियाँ तीन वर्षों से अधिक की अवधि तक व्यर्थ पड़ी रहीं। विभाग से मंत्री परिषद की गैर-संस्वीकृति का कारण तथा मामले पर भविष्य की योजना मांगे गए थे परन्तु ये प्रतीक्षित हैं (दिसंबर 2022)।

(iv) जीएफआर के नियम 230 (8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज अथवा अन्य आय को खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के प्रति समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

चूंकि उ.प्र. प्रपत्र 12-ए (जो अर्जित ब्याज को दर्शाता है) में तैयार नहीं किए जा रहे थे, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनुदानग्राही द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया जा रहा था और यदि ऐसा है, क्या उसे खातों को अंतिम रूप देने के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में वापिस भेजा जा रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.3 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 435.42 करोड़ की राशि के 16 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (मार्च 2022 तक)।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(i) डीयूएसआईबी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) को उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए इसे सामान्य

वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था।

- (ii) डीयूएसआईबी द्वारा प्रस्तुत विवरण (अगस्त 2022) के अनुसार, 'शून्य' उ.प्र. लंबित थे तथा ₹ 323.12 करोड़ की अव्ययित राशि को अगले वर्ष में उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रकार वित्त लेखे तथा डीयूएसआईबी अभिलेखे के आंकड़ों के अनुसार उ.प्र. का अंतर असमायोजित रहा। इसके अतिरिक्त, यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा डीयूएसआईबी के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखे में 16 उ.प्र. बकाया दिखाए गए हैं जबकि डीयूएसआईबी दावा कर रहा है कि जारी किए गए स.अनु. के प्रति कोई उ.प्र. लंबित नहीं हैं।
- (iii) जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदानों अथवा अग्रिमों (संवितरण के अलावा) के प्रति सभी ब्याजों अथवा अन्य अर्जनों के लेखे को अंतिम रूप देने के बाद तत्काल अनिवार्य रूप से समेकित निधि को वापिस किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के प्रति समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि उ.प्र. प्रपत्र 12-ए (जो अर्जित ब्याज को दर्शाता है) में तैयार नहीं किए जा रहे थे, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनुदानग्राही द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया जा रहा था और यदि ऐसा है, तो क्या उसे खातों को अंतिम रूप देने के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में वापिस भेजा जा रहा था।
- (iv) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 2011-12 से 2020-21 की अवधि के लिए कुल प्राप्त निधियाँ तथा किए गए व्यय (उ.प्र. के अनुसार) को दर्शाने वाले संक्षिप्त विवरण के अनुसार वर्ष के सहायता अनुदान के अंतिम शेष (सीबी) तथा अगले वर्ष के आरंभिक शेष (ओबी) के बीच अंतर है जैसा कि नीचे तालिका 4.4 में वर्णित है:

तालिका 4.4: सहायता अनुदान के अंतिम तथा आरंभिक शेष में अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंतिम शेष	वर्ष	आरंभिक शेष	अंतर
2011-12	188.25	2012-13	190.75	2.50
2016-17	88.59	2017-18	82.40	6.19
2017-18	49.09	2018-19	49.14	0.05
2018-19	299.01	2019-20	298.96	(-) 0.05
2019-20	322.96	2020-21	323.02	0.06

- (v) वर्ष 2017-18 के उ.प्र. के अनुसार, राजीव आवास योजना के संबंध में ₹ 12,21,917 के अव्ययित शेष को अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19

में वापिस किया जाना था। हालांकि, 2019-20 तक इसे वापिस नहीं किया गया था। इसके अलावा 2020-21 में ₹ 18,018 का व्यय किया गया और इसे उ.प्र. में उल्लिखित किया गया था कि ₹ 12,03,899 के अव्ययित शेष को अगले वर्ष अर्थात् 2021-22 में अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार, उ.प्र. में शामिल अनुदेशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। उ.प्र. में उल्लिखित स्वीकृति की प्रतियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.4 पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 1,349.07 करोड़ की राशि के 12 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (मार्च 2022)।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

(i) ईडीएमसी ने प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) को उस उद्देश्य के लिए नहीं रखा जिसके लिए इसे समान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 238(1) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत किया गया था।

ईडीएमसी द्वारा प्रस्तुत विवरण (अगस्त 2022) के अनुसार 'शून्य उ.प्र. लंबित थे तथा' ₹ (-) 47.05 करोड़ की अतिरिक्त राशि खर्च की गई थी जिसे ट्रांसफर एन्ट्री द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. से वास्तविक आवंटन में समायोजित किया जाना था। इस प्रकार वित्त लेखे तथा ईडीएमसी के अभिलेखों के आंकड़ों के अनुसार उ.प्र. का अंतर असमाशोधित रहा। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा ईडीएमसी के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण 12 उ.प्र. को वित्त खातों में बकाया दिखाया गया है जबकि ईडीएमसी दावा कर रहा है कि जारी किए गए स.अ. के प्रति उ.प्र. लंबित नहीं हैं।

(ii) जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त) के प्रति सभी ब्याज अथवा अन्य आय को खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के साथ समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

चूंकि प्रपत्र 12-ए में उ.प्र. तैयार नहीं किए जा रहे थे (जो कि अर्जित ब्याज को दर्शाता है), लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनुदानग्राही द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया जा रहा था और यदि ऐसा है तो

क्या खातों को अंतिम रूप देने के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में उसे वापिस भेजा जा रहा था।

(iii) लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार एक वर्ष के लिए एक स्कीम के संबंध में सहायता अनुदान के अंतिम शेष (सीबी) और उसके बाद के वर्ष के लिए आरंभिक शेष (ओबी) के बीच अंतर है जैसा कि तालिका 4.5 में वर्णित है:

तालिका 4.5: सहायता अनुदान के अंतिम तथा आरंभिक शेष के बीच अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्कीम	अंतिम शेष	वर्ष	आरंभिक शेष	अंतर
2016-17	प्राथमिक शिक्षा	28.24	2017-18	35.03	6.79
2016-17	जे.जे. कॉलोनी में अतिरिक्त सुविधाएं	5.23	2017-18	5.47	0.24

(iv) अनुदानों का अव्ययित शेष जैसा कि उ.प्र. में दर्शाया गया है, किसी विशेष वर्ष की दो स्कीम के संबंध में अव्ययित तुलनपत्र (यूबीएस) अधिस्थगन/अनुमति में दर्शाए गए से मेल नहीं था जिसके द्वारा विभाग को अव्ययित शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी जैसाकि नीचे तालिका 4.6 में वर्णित है:-

तालिका 4.6: अव्ययित शेषों के चित्रण में अंतर

(₹ करोड़ में)

स्कीम	वर्ष	अव्ययित शेष		अंतर
		उ.प्र. के अनुसार	अनुमति के अनुसार	
स्वच्छता सेवाओं का सुदृढीकरण तथा मशीनीकरण एवं संरक्षण	2016-17	22.01	24.13 (अनुमति दिनांक 18.08.2017)	2.12
प्राथमिक शिक्षा	2018-19	52.23	52.37 (अनुमति दिनांक 18.08.2019)	0.14

दिनांक 01.02.2016 के स्वीकृति आदेश के अनुसार वर्ष 2015-16 में 'यमुना पार क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन' हेतु ₹ 30 करोड़ का अनुदान दिया गया। हालांकि यह स्कीम ईडीएमसी द्वारा प्रदान किए गए संक्षिप्त विवरण में प्रकट नहीं होती है।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.2.5 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के 2021-22 के वित्त लेखे के अनुलग्नक 'इ' के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदानों के संबंध में ₹ 2,475 करोड़ की राशि के दो

उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे (मार्च 2022 तक)। परन्तु डीटीसी द्वारा प्रस्तुत विवरण (अगस्त 2022) के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए कुल ₹ 2,572.07 करोड़ की कुल निधि उपयोग के लिए उपलब्ध थी जैसा कि नीचे तालिका 4.7 में वर्णित है:

तालिका 4.7: उपलब्ध निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्षों में प्राप्त अनुदानों के अन्वयित शेष	इस पर अर्जित ब्याज	सरकार को ब्याज वापिस किया गया	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल उपलब्ध निधियाँ	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय	31.03.2021 को अंतिम शेष
93.53	3.54	0.00	2,475.00	2,572.07	1,979.21	592.86

इस प्रकार डीटीसी के जवाब के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध ₹ 2,572.07 करोड़ की कुल निधियों में से 31.03.2021 तक ₹ 592.86 करोड़ अप्रयुक्त रहा। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि ₹ 1,979.21 करोड़ की उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नि.म.ले.प. से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, वर्ष 2020-21 के लिए अनंतिम उ.प्र. सरकार को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/सूचना के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित पाया गया:

- जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्राही संस्था को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज अथवा अन्य आय को खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के साथ समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों पर ₹ 3.54 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था जिसे रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए था परंतु रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रस्तुत अनंतिम उ.प्र. में उल्लेख है कि उपार्जित ब्याज की कथित राशि को वापिस नहीं किया गया था। उपरोक्त नियम के उल्लंघन में गैर-वापसी के कारण को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

- (ii) नियम 230(7) के अनुसार, जब आवर्ती सहायता अनुदान उसी उद्देश्य के लिए उसी संस्थान अथवा संगठन को स्वीकृत किया जाता है तो पूर्व अनुदान के अव्ययित शेष को बाद के अनुदान की स्वीकृति में ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि स्वीकृतियों की संवीक्षा से पता चला कि इसमें अनुदानग्राही संस्था के पास अव्ययित अनुदान की उपलब्धता के बारे में कोई संकेत नहीं था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3 सार आकस्मिक बिल

सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण किया जाता है जिसके लिये आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण एवं समर्थित वाउचर उपलब्ध नहीं होते हैं। आरंभ में अग्रिम के रूप में लिए गए, इसके बाद के समायोजन एसी बिलों के आहरण की एक निर्धारित अवधि के भीतर विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। डीसीसी बिलों में एसी बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ संक्षिप्त विवरण व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इन सभी मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक एसी बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए एसी बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, एसी बिल पर आहरित गया धन डीसीसी बिल की प्रस्तुति द्वारा निकालने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समायोजित हो जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी स्थिति में एसी बिल को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

एसी बिलों के प्रति डीसीसी बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8: एसी बिलों के प्रति डीसीसी बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंशिक शेष		वि.व. 2021-22 के दौरान समाशोधन		31 मार्च 2022 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	3,989	270.14	413	33.06	3,576	237.08
2018-19	281	136.14	62	117.05	219	19.10
2019-20	359	63.29	140	35.44	219	27.85
2020-21	307	265.53	171	251.53	136	13.99
2020-21 तक	4,936	735.1	786	437.08	4,150	298.02
2021-22 [#]	1,976	223.79	1440	89.38	536	134.40
कुल			2,226	526.46	4,686	432.42

वर्ष 2021-22 के दौरान आहरित कुल नये बिलों का प्रतिनिधित्व करता है।


स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

64 सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखे बंद होने से पहले ₹ 134.40 करोड़ की राशि के 536 डीसीसी बिल जमा नहीं किए और इसलिए, इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में ₹ 134.40 करोड़ का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक ₹ 432.42 करोड़ के कुल 4,686 एसी बिल बकाया थे।

2021-22 के दौरान ₹ 223.79 करोड़ के एसी बिलों के प्रति ₹ 12.27 करोड़ (5.48 प्रतिशत) की राशि मार्च 2022 से संबंधित थी।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किये जाने से अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर डीसीसी बिलों का गैर-प्रस्तुतीकरण एसी बिलों की निकासी के बाद सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी। इसलिए, इसकी बारीकी से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए बकाया एसी बिलों के कारणों की जांच करें। एसी बिलों की निकासी की प्रवृत्तियाँ चार्ट 4.2 में दी गई हैं:


चार्ट 4.2: एसी बिलों के समाशोधन की प्रवृत्ति



उपरोक्त चार्ट 4.2 से यह भी देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए बकाया एसी बिलों की निकासी 10.35 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 72.87 प्रतिशत हो गई।

प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिलों का विवरण चार्ट 4.3 में दिया गया है:

चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिल



स्रोत: वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

उपरोक्त चार्ट 4.3 से यह देखा जा सकता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के दस प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसीसी बिल ₹ 17.07 करोड़ से ₹ 57.35 करोड़ तक थे।

पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए एसी बिल का आहरण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार 'आकस्मिक प्रभार' अथवा 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (भंडारण सहित) शामिल हैं जो एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए एक कार्यालय के रूप में अथवा तकनीकी स्थापनाओं के कार्य जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्ठापन, स्टोर डिपो परंतु व्यय के अतिरिक्त जो विशेष रूप से व्यय के कुछ अन्य शीर्ष जैसे 'कार्य', 'उपकरण तथा संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कुल 1,976 एसी बिलों में से ₹ 7.00 करोड़ की राशि के दो एसी बिल विभिन्न विभागों से संबंधित पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अहारित किए गए थे। फलस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियां उस उद्देश्य के लिए उपयोग की गई थी जिसके लिए निधियां निकाली गई थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्तीय लेखे में शामिल बकाया एसी बिलों से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के लिए पांच विभागों/संस्थानों जैसे लोक नायक अस्पताल (एलएनएच), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), शिक्षा निदेशालय (डीटीई), प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) तथा जीबी पंत अस्पताल को विस्तृत लेखपरीक्षा हेतु चुना गया था।

विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा आगे आने वाले पैराओं में की गई है।

4.3.1 लोक नायक अस्पताल (एलएनएच)

(क) ₹ 19.48 करोड़ की राशि के बकाया एसी बिलों का गैर-समायोजन

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 का नियम 118 निर्धारित करता है कि प्रत्येक संक्षिप्त विवरण आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहारित किए गए एसी बिलों के संबंध में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी तरह से संक्षिप्त विवरण आकस्मिक बिल को भुनाया नहीं जा सकता है।

जनवरी 2003 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान आहारित 93 बकाया एसी बिल ₹ 19.48 करोड़ की राशि के थे। एलएनएच की विभिन्न यूनिटों द्वारा

विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निधियाँ उस उद्देश्य के लिए उपयोग की गई थी जिसके लिए ये आहरित की गई थी।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय के रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के अनुसार कार्यालय द्वारा आकस्मिक व्यय का एक रजिस्टर जीएआर 27 प्रपत्र में रखा जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किसी राजपत्रित अधिकारी के आद्याक्षर प्रत्येक मद के भुगतान की तिथि के सामने दर्ज किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एलएनएच अस्पताल जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिलेख नहीं रख रहा था तथा उसके लिए एक सामान्य रजिस्टर का उपयोग कर रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.2 दिल्ली अग्निशमन सेवा

(क) ₹ 29.67 करोड़ की राशि के बकाया एसी बिलों का गैर-समायोजन

2003-04 से 2021-22 की अवधि के दौरान आहरित ₹ 29.67 करोड़ के 25 एसी बिल असमायोजित थे। प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 118 के उल्लंघन में ₹ 1.41 करोड़ के केवल आठ बिलों का अगस्त 2022 तक निपटान किया गया तथा ₹ 29.53 करोड़ के 17 बिल अभी तक असमायोजित रह गए थे। दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा डीसीसी बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये आहरित किए गए थे।

(ख) एसी बिलों के निपटान में विलंब

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का निपटान (डीसीसी बिलों के संदर्भ में) 110 दिनों से 3055 दिनों के विलंब से किया गया जो उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था, जैसाकि नीचे तालिका 4.9 में वर्णित है:

तालिका 4.9: एसी बिलों के निपटान में विलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि के द्वारा निपटाए गए	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	1812 दिनांक 13.02.2014	24,547	951 दिनांक 27.07.2022	3055
2.	1711 दिनांक 03.03.2015	20,000	953 दिनांक 27.07.2022	2672

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि के द्वारा निपटाए गए	निपटान में विलंब (दिनों में)
3.	1399 दिनांक 03.08.2017	10,000	952 दिनांक 27.07.2022	1788
4.	270 दिनांक 15.06.2018	2,90,752	169 दिनांक 17.05.2022	1401
5.	271 दिनांक 21.06.2018	5,45,826	720 दिनांक 27.01.2022	1285
6.	347 दिनांक 17.08.2021	30,100	649 दिनांक 05.01.2022	110
7.	741 दिनांक 21.12.2020	3,83,684	1146 दिनांक 07.02.2022	382

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

दिल्ली अग्निशमन सेवा, प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिलेख नहीं रख रहा था तथा इसके लिए एक सामान्य रजिस्टर का उपयोग कर रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.3 शिक्षा निदेशालय (शि.नि.)

(क) वित्त लेखे तथा विभागीय अभिलेखों के बीच असमाशोधित अंतर

विभागीय अभिलेखों ने ₹ 5.17 करोड़ के बकाया एसी बिलों को दर्शाया। जबकि वर्ष 2021-22 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे का अनुलग्नक 'डी', मार्च 2022 को ₹ 32.11 करोड़ के लंबित बकाया एसी बिलों को दर्शाया।

इस प्रकार, वित्त लेखे और शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार बकाया एसी बिलों का अंतर असमाशोधित रहा। इसके अलावा, इससे यह भी पता चलता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखा और शि.नि. के आंकड़ों में भिन्नता है।

(ख) एसी बिलों के निपटान में विलंब

शि.निदे. के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का निपटान (डीसीसी बिलों के संदर्भ में) 25 से 4917 दिनों के विलंब से किया गया जो उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था जैसा कि नीचे तालिका 4.10 में वर्णित है:

तालिका 4.10: एसी बिलों के निपटान में विलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	2641/28.03.2008	9,10,00,000	824/14.10.2021	4917
2.	364/02.07.2021	95,00,000	1276/01.12.2021	121
3.	959/06.10.2021	95,00,000	1277/01.12.2021	25
4.	726/03.09.2021	25,75,000	1337/13.12.2021	70
5.	673/19.08.2021	50,000	1339/27.12.2021	99
6.	1247/18.11.2021	75,000	306/03.06.2022	166
7.	353/19.06.2019	1,35,520	634/06.08.2022	1113

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब (दिनों में)
8.	1356/16.12.2021	14,70,310	635/06.08.2022	202
9.	1206/13.12.2021	93,73,507	420/08.08.2022	207
10.	679/26.08.2019	53,74,523	637/08.08.2022	1047
11.	1553/14.01.2022	53,90,000	638/08.08.2022	175
12.	1430/17.03.2021	14,00,000	644/08.08.2022	478
13.	672/19.08.2021	20,53,200	1796/08.08.2022	323
14.	1439/19.03.2021	22,00,000	38/06.08.2022	474

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में शि.निदे. जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित कोई आकस्मिक व्यय रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.4 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई)

(क) वित्त खातों तथा विभागीय अभिलेखों के बीच असमाशोधित अंतर

वर्ष 2021-22 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के अनुलाग्नक 'डी' में 31.03.2022 को ₹ 35 करोड़ के बकाया लंबित एसी बिलों को दर्शाया गया, जबकि विभागीय अभिलेखों ने ₹ 31.04 करोड़ के बकाया एसी बिलों को दिखाया। आंकड़ों के अनुसार बकाया एसी बिलों का अंतर असमाशोधित रहा। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के संबंधित विभाग के बीच समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखे तथा डीटीटीई के आंकड़ों में भिन्नता है।

(ख) एसी बिलों के निपटान में विलंब

डीटीटीई के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का निपटान (डीसीसी बिलों के संदर्भ में) 26 से 411 दिनों के विलंब से किया गया जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था जैसाकि नीचे तालिका 4.11 में वर्णित है:

तालिका 4.11: एसी बिलों के निपटान में विलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डीसीसी बिल संख्या व तिथि के संदर्भ में निपटान	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	34 दिनांक 08.06.2020	30,000	120 dt 24.08.2021	411
2.	276 दिनांक 31.12.2020	12,000	158 दिनांक 25.08.2021	206
3.	73 दिनांक 29.06.2021	50,000	334 दिनांक 25.08.2021	26
4.	199 दिनांक 17.02.2022	15,00,000	25 दिनांक 25.04.2022	36
5.	200 दिनांक 17.02.2022	1500000	26 दिनांक 25.04.2022	36
6.	201 दिनांक 17.02.2022	1500000	27 दिनांक 25.04.2022	36

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में डीटीटीई जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर नहीं रख रहा था।

(घ) ₹ 30.58 करोड़ की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से आहरित एसी बिल

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार 'आकस्मिक प्रभार' अथवा 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (स्टोर सहित) शामिल है जो एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए एक कार्यालय के रूप में अथवा तकनीकी स्थापनाओं के कार्य जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्ठापन, स्टोर डिपो परंतु व्यय के अतिरिक्त जो विशेष रूप से व्यय के कुछ शीर्ष जैसे 'कार्य', 'उपकरण तथा संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

डीटीटीई के एसी बिल रजिस्टर तथा बकाया एसी बिलों की सूची की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एसी बिलों का आहरण कथित नियम के उल्लंघन में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य से किया गया था जिसका वर्णन नीचे तालिका 4.12 में किया गया है:-

तालिका 4.12: पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य के लिए आहरित एसी बिल

क्र. सं.	एसी बिल संख्या व तिथि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम दिया गया	जिस एजेंसी को दिया गया	राशि (₹ में)
1.	226/30.11.2021	आर्यभट्ट में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,32,74,881
2.	227/30.11.2021	बीपीआईबीएस में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,72,82,101
3.	228/30.11.2021	आईटीआई मयूर विहार में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,21,13,191
4.	229/30.11.2021	एमबीआईटी में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,02,84,880
5.	230/30.11.2021	एनएसयूटी में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,68,90,256
6.	231/30.11.2021	आईटीआई जेल रोड में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	1,74,08,606
7.	232/30.11.2021	जीबीपीआईटी में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	1,20,04,345
8.	233/30.11.2021	एआईएसीटीआर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,28,37,340
9.	234/30.11.2021	डीआईटीई वजीरपुर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	1,87,99,103
10.	235/30.11.2021	जफफारपुर इंजी. कॉलेज में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	3,69,48,840
11.	236/30.11.2021	आईटीआई जफफारपुर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	2,86,68,000
12.	237/30.11.2021	आईटीआई धीरपुर में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीटीडीसी	49,96,225

क्र. सं.	एसी बिल संख्या व तिथि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम दिया गया	जिस एजेंसी को दिया गया	राशि (₹ में)
13.	238/30.11.2021	आईटीआई नरेला में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीडीसी	2,16,18,909
14.	239/30.11.2021	आईटीआई नरेला में डब्ल्यूसीएससी का निर्माण कार्य	डीटीडीसी	2,26,10,018
	कुल			30,57,36,895

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.3.5 जी.बी. पंत अस्पताल

(क) ₹ 16.88 करोड़ की राशि के बकाया एसी बिलों का गैर-समायोजन

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 में ₹ 58,000/- के एक एसी बिल का निपटान किया गया तथा ₹ 16,87,63,345 के 78 बिल अभी तक असमायोजित पड़े थे। अस्पताल के विभिन्न विभागों द्वारा डीसीसी बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे आहरित की गई थी।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय के रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में जी.बी.पंत अस्पताल जीएआर 27 प्रपत्र में आकस्मिक व्यय से संबंधित अभिलेख नहीं रख रहा था तथा उसके लिए एक सामान्य रजिस्टर का उपयोग कर रहा था।

जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191(3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (व्य.ज.खा.) को सामान्य तौर पर विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) के परामर्श से खोलने के लिए निम्नलिखित प्रकार के मामलों में अधिकृत किया जाता है:

- क) सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत वार्ड एवं संलग्न सम्पदाओं और सम्पदाओं के द्वारा या उनकी ओर से दिए गए धन के प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त प्रशासक के पक्ष में नियम 192(1) के अनुसार व्य.ज.खा. सरकार के पास व्यपगत नहीं होते, भले ही तीन से अधिक पूर्ण वर्षों के लिए बकाया हो;
- ख) मुख्य न्यायायिक प्राधिकरण के पक्ष में सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की जमा से सम्बंधित व्य.ज.खा. नियम 192(2) के अनुसार व्यपगत नहीं होंगे;

ग) जहां, सरकार की कुछ नियामक गतिविधियों के अंतर्गत, प्राप्तियां वसूली जाती हैं एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती हैं, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। ये व्य.ज.खा. सरकार को तब तक व्यपगत नहीं होंगे जब तक संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा।

खोले जाने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता, सरकारी खाते का भाग होगा तथा उसके लोक लेखा के भाग में स्थित होगा।

31 मार्च 2022 को रा.रा.क्षे.दि.स. के व्य.ज.खा. के विवरण तालिका 4.13 में दिये गये हैं:

तालिका 4.13: 31 मार्च 2022 को व्य.ज.खा. का विवरण

01.04.2021 को व्य.ज.खा.		वर्ष 2021-22 के दौरान खुले व्य.ज.खा.		वर्ष 2021-22 के दौरान बंद हुए व्य.ज.खा.		31.03.2022 को अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि* (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12	47.37	शून्य	26.24	शून्य	17.52	12	56.09

*मौजूदा व्य.ज. खाता में प्राप्तियों व भुगतानों की राशि शामिल है

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स., ले.म.नि., वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से 12 व्य.ज.खा. का संचालन कर रहा है। इन व्य.ज.खा. को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त मुआवजे की प्राप्तियों को जमा करना तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, फौजदारी जमा एवं अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान करना था तथा इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं है।

31 मार्च 2022 को इन 12 गैर-व्यपगत व्य.ज.खा. में कुल ₹ 56.09 करोड़ था।

व्यक्तिगत जमा खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के अनुबंध 'सी' में निहित व्य.ज.खा. से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए तीन विभाग/संस्थान जैसे प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, भूमि एवं भवन विभाग और जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5), साउथ कोर्ट, साकेत का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

4.4.1 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191 एवं 192 अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करते हैं कि खोले जाने वाला अधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता, सरकारी लेखा का रूप होगा और लोक लेखे के भाग में स्थित होगा तथा यदि एक व्यक्तिगत जमा खाता एक मान्य अवधि हेतु नहीं खोला गया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जमा खाते की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उस अधिकारी जिनके पक्ष में जमा खाता खोला गया है, के परामर्श से उसे बंद किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2022 तक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पास उसके व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 4.43 लाख का अंतिम शेष था जो 31 जुलाई 2017 के बाद निष्क्रिय हो गया था। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू) को धनराशि नहीं लौटायी जा सकी। पिछले वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (दिसम्बर 2021) कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ₹ 4.43 लाख का बकाया राशि लौटाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तथा वह व्य.ज. खाते को बंद करने के लिए शीघ्र ही अव्ययित शेष को वापस कर देगा। हालांकि, यह राशि अभी भी व्य.ज. खाते में पड़ी हुई है।

डीटीटीई ने कहा (अगस्त 2022) कि सक्षम प्राधिकारी के स्थानांतरण के कारण खाता बंद नहीं किया जा सका और आरबीआई में नए निदेशक टीटीई (सक्षम प्राधिकारी) के हस्ताक्षर को अद्यतन करने के बाद 15 दिनों के भीतर इसे बंद कर दिया जाएगा।

4.4.2 भूमि एवं भवन विभाग

दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण, विकास तथा निपटान के लिए योजना के संबंध में भुगतान प्राप्त करने तथा भुगतान करने के उद्देश्य से रा.रा.क्षे.दि.स. के भूमि एवं भवन विभाग (एलबीडी) के पास आवास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन के पक्ष में एक व्यक्तिगत जमा खाता है। यह डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, डीएमआरसी, एमसीडी, ग्रामीण विकास इत्यादि एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2021-22 के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते से ₹ 15.64 करोड़ का भुगतान किया गया था तथा 31 मार्च 2022 को ₹ 52.28 करोड़ का असंवितरित अंतिम शेष रह गया। अवितरित शेष में से ₹ 13.56 करोड़ बिना भुनाए गए चैक से संबंधित थे और ₹ 5.62 करोड़ 2022-23 के दौरान वितरित किए गए थे।

31 मार्च 2022 को ₹ 38.72 करोड़ (52.28-13.56) के अंतिम शेष में से ₹ 33.10 करोड़¹ छः वर्ष और उससे अधिक के लिए वितरण हेतु लंबित हैं।

एलबीडी ने कहा (अगस्त 2022) कि शहरी विकास विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड को अवितरित धन की वापसी से संबंधित मामला प्रक्रियाधीन था तथा शेष अवितरित राशि का वितरण एलएसी/एजेंसियों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने और एडिजे/उच्च/सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि में लंबित कोर्ट केस के कारण नहीं किया जा सका ने आगे कहा कि संबंधित एलएसी/एजेंसियों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

एलबीडी द्वारा किए गए पूर्वोक्त प्रयासों के बावजूद उपरोक्त विभागों को अवितरित धन की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है।

4.4.3 जिला एवं सत्र न्यायालय (डीजे-5) साउथ कोर्ट, साकेत

(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5), साउथ कोर्ट, साकेत का एक व्यक्तिगत जमा खाता को किराए के जमा और संवितरण के लिए खोला गया (2012)। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 1.46 करोड़ उनके व्यक्तिगत जमा खातों में अवितरित पड़े थे।

(ख) सिविल लेखा नियमावली 2007 का नियम 17.7.5 निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाते के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी निरपवाद रूप से बैंक स्क्रॉल तथा मासिक विवरण में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के प्रति व्यक्तिगत जमा खाते से प्राप्तियों एवं भुगतानों का मासिक मिलान करेगा। व्यक्तिगत जमा खाताधारक उनके द्वारा जारी किए गए उन चैकों का विवरण दर्शाएगा जो माह के अंत तक भुनाए नहीं गए हैं। इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों के रजिस्टर का संक्षिप्त विवरण व्यक्तिगत जमा खाताधारक द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5) के व्यक्तिगत जमा खाते के लिए प्राप्तियों तथा भुगतानों का मासिक मिलान नहीं किया गया था जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन है। इसके अलावा खाते के व्यवस्थापक द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के लिए रोकड़ बही भी नहीं रखी गयी थी।

¹ ₹ 16.39 करोड़, क्रमशः शहरी विकास विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और लो.नि.वि. से यूपी लिंक रोड के लिए प्राप्त अग्रिमों से संबंधित है।


साकेत कोर्ट, नई दिल्ली ने कहा (सितंबर 2022) कि नाज़िर को अब से मासिक आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-5) के व्यक्तिगत जमा खातों के संबंध में अभिलेखों का मिलान करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया है कि नजारत शाखा में नकद जमा करने तथा न्यायालय के नाज़िर द्वारा बैंक के माध्यम से किराए के भुगतान के लिए अलग से रजिस्टर के रूप में रोकड़ वही का रखरखाव किया जा रहा था।

4.5 लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

बजटिंग एवं लेखांकन की एक पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, खातों के रूपों में जिसमें सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय को विधानमंडल को सूचित किया जाता है, की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण शेरधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को प्रतिबिंबित करें। इस उद्देश्य के लिए 'अन्य प्राप्तियों एवं अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित करने का इरादा है जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो।

लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

चार्ट 4.4: 2017-2022 के दौरान लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय का संचालन'



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपरोक्त चार्ट 4.4 से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय की

प्रतिशतता 10.57 प्रतिशत (2021-22) से 14.78 प्रतिशत (2017-18) की श्रेणी में थी।

पूर्व वर्ष 2020-21 में व्यय पक्ष पर 46 राजस्व और पूंजीगत प्रमुख खाता शीर्षों में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 6,205 करोड़ दर्ज किए गए थे जो ₹ 45,112 करोड़ (राजस्व एवं पूंजी) के कुल व्यय का 13.75 प्रतिशत था। हालांकि कथित लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग चालू वर्ष के दौरान 7.42 प्रतिशत कम हो गई तथा 42 राजस्व और पूंजी प्रमुख खातों के अंतर्गत वे व्यय पक्ष पर ₹ 5,745 करोड़ रही जो कुल व्यय ₹ 54,354 करोड़ (राजस्व और पूंजी) का 10.57 प्रतिशत था।

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अन्य बातों के साथ साथ निर्धारित करते हुए मई 2016 में दिशानिर्देश जारी किए थे कि लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का उपयोग जहां कहीं भी तत्काल आवश्यक हो और तुलनात्मक रूप से कम राशियों के लिए (उदाहरणार्थ प्रमुख शीर्ष प्रावधान का 5-10 प्रतिशत) अस्थायी होना चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि तालिका 4.14 (क) में सूचीबद्ध 10 मामलों में संबंधित प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक ले.म.नि. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

तालिका 4.14 (क): लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	प्रमुख शीर्ष	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय	संबंधित प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	3435-पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	28.48	50.39	56.52
2.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45.55	45.55	100.00
3.	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	117.37	118.35	99.17
4.	4801- पॉवर परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.27	6.27	100.00
5.	2801- पॉवर	3266.97	3266.97	100.00
6.	2702- लघु सिंचाई	19.25	23.01	83.66
7.	2404- डैरी विकास	11.71	11.71	100.00
8.	2250- अन्य समाज सेवाएं	10.43	10.43	100.00
9.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	601.25	1136.53	52.90
10.	2211- परिवार कल्याण	66.79	78.67	84.90
	कुल	4174.07	4747.88	87.91

उपरोक्त प्रमुख शीर्षों में से निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय को लगातार दर्ज किया गया था जैसा कि नीचे तालिका 4.14 (ख) में वर्णित है:-

तालिका 4.14 (ख): लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय को लगातार दर्ज किया जाना

क्र. सं.	प्रमुख शीर्ष	लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत व्यय के बुकिंग की अवधि	लघु शीर्ष 800 अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय की प्रतिशतता की रेंज	मुख्य शीर्ष को संचालित करने वाला विभाग	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज किए गए व्यय का विवरण (डीडीजी के अनुसार)
1.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	100 (पूर्णतया)	वित्त	व्यापार एवं कर - मोटर वाहन
2.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	91- 100	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	अन्य जल निकासी कार्य - प्रमुख कार्य
3.	4801- पॉवर परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	2021-22, 2020-21.	100	पॉवर	भूमि के क्रय, एच टी/एल टी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रीसिटी लाइन्स का स्थानांतरण इत्यादि से संबंधित प्रमुख कार्य
4.	2801-पॉवर	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	100 (पूर्णतया)	पॉवर	डिस्कॉम्स के जरिए उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता, डीईआरसी व डीटीएल को सहा. अनु., उर्जा क्षमता तथा संरक्षण इत्यादि
5.	2702- लघु सिंचाई	2021-22, 2020-21, 2017-18.	78-84	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	लघु कार्यों का अनुरक्षण व मरम्मत
6.	2404 - डेयरी विकास	2021-22, 2020-21, 2019-20.	100 (पूर्णतया)	कृषि विपठान	डेरी कॉलोनियों का स्थानांतरण
7.	2211-परिवार कल्याण	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18.	75-85	परिवार कल्याण निदेशालय	राज्य स्वास्थ्य सोसायटी को सहा.अनु.

2021-22 के दौरान ₹ 49,312.99 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 695.57 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल प्राप्तियों का 1.41 प्रतिशत था। लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियों का विवरण तालिका 4.15 (क) में है।

तालिका 4.15 (क): लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	ल.शी. 800 के अंतर्गत दर्ज	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
1.	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पुनर्वास	0.07	0.08	87.5
2.	0217-शहरी विकास	15.36	15.36	100
3.	0701- मध्यम सिंचाई	9.01	9.01	100
4.	0801 - पॉवर	51.87	51.87	100
5.	0406 - वानिकी एवं वन्य जीवन	5.57	5.61	99.29
6.	0059 - लोक निर्माण कार्य	21.77	22.71	95.86
7.	0210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	78.47	97.33	80.62
8.	0230 - श्रम एवं रोजगार	5.22	7.34	71.12
9.	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	94.74	134.09	70.65
	कुल	282.08	343.4	82.15

पूर्वोक्त मुख्य शीर्षों में से निम्नलिखित, मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग निरंतर थी जैसा कि नीचे तालिका 4.15 (ख) में वर्णित है:

तालिका 4.15 (ख): लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत लगातार बुकिंग

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की बुकिंग की अवधि	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज की जा रही प्राप्तियों की प्रतिशतता की रेंज
1.	0217 - शहरी विकास	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	100 (लगातार)
2.	0701- मध्यम सिंचाई	2021-22, 2020-21, 2019-20	100 (लगातार)
3.	0801- पॉवर	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	100 (लगातार)
4.	0059 - लोक निर्माण कार्य	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	91-97
5.	0210 - चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2021-22, 2020-21, 2019-20, 2017-18	76-93
6.	0230 - श्रम एवं रोजगार	2020-21, 2017-18	95-97
7.	0235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पुनर्वास	2021-22, 2020-21	88-100
8.	0070 - अन्य प्राशासनिक सेवाएं	2020-21, 2019-20	83-85

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटित प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है। इस मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे पर पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है

और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी प्राप्तियों और व्यय को दर्ज करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने की संभावना का पता लगा सकती है तथा उन्हें सही लेखा शीर्ष के तहत उचित रूप से दर्ज कर सकती है।

इसके अलावा, रा.रा.क्षे.दि.स. एक अंतरिम उपाय के रूप में, लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' के तहत विलय की गई महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय/प्राप्तियों का विवरण देते हुए वित्त लेखा में फुटनोट शामिल कर सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि मामला वित्त विभाग को भेजा गया था और जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

4.6 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

नि.म.ले.प. की (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 एवं 20 के तहत 11 निकायों प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गई है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में 2021-22 तक देय आठ निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितम्बर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखाओं के विवरण तालिका 4.16 में दिये गये हैं।

तालिका 4.16: 30 सितम्बर 2022 तक बकाया लेखाओं का विवरण

क्र. स.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	से लंबित लेखे	30.09.2022 को बकाया लेखाओं की संख्या
1	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2010-11	12
2	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2018-19	4
3	दिल्ली कल्याण समिति	2020-21	2
4	दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण	2019-20	3
5	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	2020-21	2
6	अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2021-22	1
7	गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	2021-22	1
8	दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय	2021-22	1

उपरोक्त से यह अवलोकन किया गया कि 30 सितम्बर 2022 तक आठ निकायों/प्राधिकरणों के 26 वार्षिक लेखे लंबित थे।

वार्षिक लेखे को समय से अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधान मंडल की जांच से बाहर रह जाता है। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए, यदि आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा, लेखे को

अंतिम रूप देने में विलम्ब होने से धोखाधड़ी और जनता के पैसे की बरबादी का जोखिम बढ़ जाता है।

सरकार निकायों/प्रधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली इजाद करने पर विचार करे।

4.7 वित्त लेखे के विवरणियों में अन्य गलतियां

(i) ऋणों और अग्रिमों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे की जांच से पता चला कि रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 के विवरणी सं. 16 (सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण) में ऋण और अग्रिम के ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष थे। ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष का विवरण नीचे तालिका 4.17 में वर्णित है:

तालिका 4.17: ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष	31.03.2022 को शेष
1	6401	कृषि कार्य के लिए ऋण	105- खाद और उर्वरक	(-)90.08
2	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	201- आवास निर्माण अग्रिम	(-)545.37
3	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	202- मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)250.20
4	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	203- अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)25.92
5	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	204- कम्प्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	(-)140.58

मुख्य शीर्ष '6401 - कृषि कार्य के लिए ऋण' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितम्बर 2022) कि ऋणात्मक राशि पुरानी अवधि से संबंधित वित्त लेखे में दिखाए गए आँकड़े और इसमें शामिल संबंधित वे.ले.का. को सलाह दी जा रही थी कि वे गलत वर्गीकरण का पता लगाएँ और उचित लेखा शीर्ष में इसका लेखा-जोखा रखें। इसमें कहा गया है कि मुख्य शीर्ष '7610- ऋण और अग्रिम' के संबंध में, प्रतिकूल शेष मूल राशि में ब्याज राशि की गलत बुकिंग के कारण थे और इसकी अगले वित्तीय वर्ष में उचित उपचार देने के लिए वे.ले.का. के साथ समीक्षा की जाएगी।

(ii) ऋणों और अग्रिमों का बकाया

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विवरण की जांच (विवरण संख्या 16-विभिन्न ऋणी संस्थाओं से बकाया में चुकौती का खण्ड 3) से पता चला कि ₹ 1,46,388 करोड़ 31 मार्च 2022 तक बकाया के रूप में शेष था जैसा कि तालिका 4.18 में नीचे वर्णित है:

तालिका 4.18: बकाया ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

ऋणी का नाम	31 मार्च 2022 को बकाया राशि			प्रारंभिक अवधि जिससे संबंधित है	लंबित (वर्षों में)
	मूलधन	ब्याज	कुल		
दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	3,53,125.07	7,28,351.90	1950-51	71 वर्ष
दिल्ली जल बोर्ड	32,61,194.53	38,90,850.60	7,15,2045.13	1998-99	23 वर्ष
दिल्ली अर्बन शेल्टर इन्वेस्टमेंट बोर्ड	1,54,517.32	41,986.20	1,96,503.52	2011-12	10 वर्ष
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लि.	315.05	0.00	315.05	1977-78	44 वर्ष
दिल्ली एस सी फाईनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिल्ली	6,872.18	3,386.71	10,258.89	1987-88	34 वर्ष
दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि.	436.34	929.40	1,365.74	1998-99	23 वर्ष
दिल्ली फाईनेंशियल कॉर्पोरेशन	3,300.00	2,475.00	5,775	2015-16	06 वर्ष
को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन	61.33	227.43	288.76	1962-63	59 वर्ष
दिल्ली ट्रॉस्को लि.	0.00	1,769.12	1,769.12	2018-19	03 वर्ष
दिल्ली पावर कंपनी लि.	2,99,375.10	2,58,779.47	5,58,154.57	2014-15	07 वर्ष
प्रगति पावर कार्पो.लि.	0.00	3,093.45	3,093.45	2014-15	07 वर्ष
इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लि.	0.00	51,490.91	51,490.91	2012-13	09 वर्ष
दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी	225.00	1,125.90	1,350.90	1979-80	42 वर्ष
दिल्ली ट्रॉस्पॉर्ट कॉर्पोरेशन	11,46,328.46	47,80,042.83	59,26,371.29	1996-97	26 वर्ष
दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	0.00	637.74	637.74	1973-74	48 वर्ष
दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड	215.29	565.44	780.73	2005-06	16 वर्ष
इंडस्ट्रीज	8.39	276.03	284.42	1981-82	40 वर्ष
कुल योग	52,48,075.82	93,90,761.30	146,38,837.12		

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने जवाब दिया (दिसंबर 2022) कि वह न तो बकाया ऋण चुकाने की स्थिति में है और न ही ब्याज का भुगतान करने की स्थिति में है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीयूएसआईबी का वेतन और स्थापना व्यय के लिए सहायता अनुदान के बजाय वेज एण्ड मींस ऋण का प्रावधान करना शुरू कर दिया है। जवाब स्वीकार्य नहीं है और रा.रा.क्षे.दि.स. को सलाह दी जाती है कि वे डीयूएसआईबी की वित्तीय स्थिति को देखें। अन्य संबंधित विभागों का जवाब प्रतीक्षित है (दिसंबर 2022)।

(iii) विवरणी सं. 11 में दर्शाए गए निवेशों की संचित राशि विवरणी सं. 12 में दर्शाए गए कुल निवेश से मेल नहीं खाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे 2021-22 की विवरणी सं. 11 और विवरणी सं. 12 की संवीक्षा से पता चला कि दोनों विवरणियों में दर्शाए गए निवेशों की संचित राशि में ₹ 275.44 करोड़ का अंतर है, जैसा कि तालिका 4.19 में वर्णित है:

तालिका 4.19 निवेशों की संचित राशि में अंतर

क्र. सं.	विवरणी सं. 11 में विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्शाए गए निवेश	संचित राशि (₹ हजार में)
1	4216.80.201- हाउसिंग बोर्ड में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.107- को-ऑपरेटिव में निवेश	4,852
6	4425.108- अन्य को-ऑपरेटिव में निवेश	1,557
7	4425.200- अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	31,800
10	4885.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	13,42,27,017
12	5452.80.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	2,43,181
2021-2022 के अंत में विवरणी सं. 11 में दर्शाई गए निवेशों की संचित राशि		20,98,66,825
विवरणी सं. 12 और विवरणी सं. 12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि		20,71,12,391
विवरणी सं. 12 में दर्शाई गई संख्या और विवरणी सं. 11 में दर्शाई गई कुल निवेश की संचित संख्या के बीच अंतर		27,54,434

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने विवरणी सं.-12 में केवल निवेशों के विवरण प्रस्तुत किये थे। जवाब दो विवरणियों में भिन्नता का व्याख्या नहीं करता है।

यद्यपि, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया है, यह सलाह दी जाती है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक पूंजीगत व्यय को दर्शाने वाले अंतिम कॉलम के प्रति विवरणी 11 में संबंधित लघु शीर्षों में उपयुक्त पूर्व अवधि समायोजन शामिल करें ताकि दोनों विवरणी का मिलान हो सके।

(iv) वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विवरणियों में अन्य विसंगतियां/गलतियां

वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विभिन्न विवरणियों में निम्नलिखित विसंगतियां/गलतियां देखी गई:

क) विवरणी सं. 1- लेन-देन का संक्षिप्त विवरण

मुख्य शीर्ष '2016-लेखापरीक्षा' का संचालन गलत है क्योंकि मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि इस मुख्य शीर्ष में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग का व्यय शामिल होगा। विभिन्न विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन पर होने वाले व्यय तथा सहकारी समितियों के लेखापरीक्षा से संबंधित प्रभारों को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

उक्त विसंगतियों को वर्ष 2020-21 के वित्त लेखा के प्रमाणन के दौरान प्रधान लेखा अधिकारी के संज्ञान में लाया गया था और संबंधित व्यय को दर्ज करने के लिए एक नया मुख्य शीर्ष खोलने की सलाह दी गई थी।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया कि बजट अनुमान 2022-23 में मुख्य शीर्ष '2016-लेखापरीक्षा' के संचालन को दुरुस्त किया गया है।

ख) विवरणी सं. 10 - लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय का विस्तृत लेखा जोखा

एक स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या 2015.00.105 शीर्ष के तहत संसद का चुनाव कराने के लिए दर्ज किए गए ₹ 491.83 लाख के शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी। जिस शीर्ष के तहत इसे दर्ज किया गया था उसका विवरण भी मांगा गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय ने कहा (सितंबर 2022) कि भारत सरकार के शेयर मनी की प्रतिपूर्ति कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन और संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद की जानी है।

ग) विवरणी सं. 11 - वर्ष 2021-22 के दौरान और उसके अंत तक पूंजीगत व्यय का विस्तृत लेखा

विवरणी-11 में लघु शीर्ष "4217.01.050 - भूमि" के तहत दर्ज किए गए ₹ 28,299.31 लाख के प्रभारित व्यय और (-) ₹ 9,195.13 लाख के दत्तमत व्यय की राशि पर स्पष्टीकरण मांगा गया था।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा कि वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के दौरान दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण और निपटान के कारण ₹ 282.99 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, विभाग ने उक्त राशि को प्रभारित व्यय के रूप में दर्ज करने का कारण नहीं बताया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को ऋणात्मक व्यय पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया (नवम्बर 2022)।

घ) विवरणी सं. 12 - 31 मार्च, 2022 के अंत तक सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का विवरण दर्शाने वाला विवरणी

शीर्ष 5055.00.190 (सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश) के तहत ₹ 81,961.22 लाख का निवेश दर्शाया गया था, जो कि विवरणी-11 में

2021-22 के दौरान एकमात्र निवेश है। हालाँकि, विवरणी 12 के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश ₹ 80,000 लाख है। इसने विवरणी सं. 11 और 12 में दर्शाए जा रहे वर्ष के दौरान निवेश में ₹ 1961.22 लाख के अंतर का संकेत दिया।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितम्बर 2022) कि आवश्यक सूचना के लिए मामला परिवहन विभाग को भेजा गया है और उनका जवाब प्रतिक्रिया था (नवम्बर 2022)।

4.8 वाउचर लेखापरीक्षा की अनियमितताएँ

वाउचरों की लेखापरीक्षा के लिए कुल 25 पीएओ में से पाँच वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् पीएओ VI, X, XII, XXIV और XXV का चयन किया गया। 2 पीएओ में कोई मूल अवलोकन नहीं पाया गया और शेष 3 पीएओ में प्रमुख लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नानुसार है:

4.8.1 पीएओ-VI (शहरी विकास विभाग आदि)

(i) योजना (मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना) के अंतर्गत कार्य पूरा होने के प्रमाणपत्र लिए बिना दूसरी किस्त जारी करना

शहरी विकास विभाग (डीयूडी), रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2021-22 के लिए (7वीं विधानसभा के दौरान) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी और अनधिकृत नियमित कॉलोनियों में स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता [मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना (एमपीएसवाई)] योजना यानि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के अंतर्गत सड़कों/गलियों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के कार्य करने हेतु संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को भुगतान करने के लिए पीएओ VI को कई स्वीकृति आदेश जारी किए।

स्वीकृति आदेश की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि (i) निधियां दो किस्तों में जारी की जाएगी, (ii) अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत की पहली किस्त परियोजना/योजना की मंजूरी के समय जारी की जाएगी और (iii) शेष राशि कार्य पूर्ण होने के बाद जारी की जाएगी। सड़कों/गलियों के रखरखाव की अवधि की वारंटी कार्य पूरा होने की तारीख से कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए, जिसके लिए यूएलबी जिम्मेदार है।

अभिलेख की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 251.62 लाख के 13 बिल डीयूडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनिवार्य समापन प्रमाणपत्र संलग्न किए बिना दूसरी/अंतिम किस्त के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए थे। फिर भी, इन बिलों को मंजूरी की

शर्तों का उल्लंघन करते हुए पीएओ VI द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनिवार्य परियोजना/कार्य वास्तव में पूरा किया गया था।

वेतन एवं लेखा कार्यालय VI ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि सभी पूर्णता प्रमाणपत्र शहरी विकास विभाग के पास रखे जा रहे थे और इन प्रमाणपत्रों पर विचार करने के बाद दूसरी और अंतिम किश्त जारी की गई थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन प्रमाणपत्रों को उस वाउचर के साथ संलग्न किया जाना था जिस पर पीएओ को बिल पास करना था।

(ii) एमएलएलएडी योजना के तहत कार्य पूरा होने का प्रमाणपत्र लिए बिना दूसरी किश्त जारी करना

शहरी विकास विभाग (डीयूडी), रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2021-22 के लिए (7वीं विधानसभा के दौरान) एमएलएलएडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे यानी सड़कों, गलियों, इलाकों, स्ट्रीट लाइट आदि को मजबूत करने और बढ़ाने के काम के लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसियों अर्थात् पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और आई एंड एफ सी आदि को भुगतान करने के लिए पीएओ VI को कई स्वीकृति आदेश जारी किये।

स्वीकृति आदेश की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि (i) अनुमानित राशि का 50 प्रतिशत पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा, (ii) शेष राशि का भुगतान एमएलएलएडी योजना के अंतर्गत काम पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा और (iii) ठेकेदार को भुगतान करने से पहले कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अनुबंध/एमएलएलएडी योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त कार्य पूरा कर लिया गया है।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 77.91 लाख के नौ बिल डीयूडी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनिवार्य समापन प्रमाणपत्र संलग्न किए बिना दूसरी/अंतिम किश्त के भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए थे। फिर भी, इन बिलों को मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पीएओ VI द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या अनिवार्य परियोजना/कार्य वास्तव में पूरा किया गया था।

वेतन एवं लेखा कार्यालय VI ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि सभी पूर्णता प्रमाणपत्र शहरी विकास विभाग के पास रखे जा रहे थे और इन प्रमाणपत्रों पर विचार करने के बाद दूसरी और अंतिम किश्त जारी की गई थी। जवाब स्वीकार्य

नहीं है क्योंकि इन प्रमाणपत्रों को उस वाउचर के साथ संलग्न किया जाना था जिस पर पीएओ को बिल पास करना था।

4.8.2 पीएओ-XXIV (शिक्षा निदेशालय)

(i) कार्यालय व्यय शीर्ष में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय की बुकिंग वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) के अनुसार, व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय का लेखा-जोखा वस्तु शीर्ष 28 व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाना है। मार्च 2022 माह के वाउचरों की जांच से पता चला कि ₹ 36,513 के पांच वाउचरों में 'फॉर्म-16 तैयार करने और ई-रिटर्न फाइल करने के लिए व्यावसायिक शुल्क' के लिए व्यय शामिल था। तथापि इन व्ययों को वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के तहत गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जिन्हें बाद में पीएओ द्वारा अनियमित रूप से पास किया गया था।

इस प्रकार, पीएओ को डीएफपीआर के अनुसार डीडीओ द्वारा जमा किए गए वाउचर को मान्य करने और डीडीओ को सही वस्तु शीर्ष के तहत व्यय दर्ज करने का निर्देश देने की आवश्यकता है।

4.8.3 पीएओ-XXV (शिक्षा निदेशालय)

(i) लेखाशीर्ष का गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) के अनुसार, व्यावसायिक सेवाओं और कार्यालय व्ययों पर व्यय को क्रमशः वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएँ' और '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना है।

मार्च 2022 माह के वाउचरों की संवीक्षा से पता चला कि ₹ 1.93 लाख के 15 बिलों में व्यय को गलत लेखा शीर्ष में दर्ज किया गया था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- नौ मामलों में, अधिवक्ताओं को आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए किए गए भुगतान के व्यय को वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएँ' के स्थान पर वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था। पीएओ ने जवाब दिया (अगस्त 2022) कि बजट आवंटन के अनुसार, क्रमशः रिटर्न दाखिल करने और कोर्ट शुल्क के लिए ऐसा कोई शीर्ष उपलब्ध नहीं है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डीएफपीआर के अनुसार एक अलग वस्तु शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाएँ' हैं।
- छह मामलों में, कार्यालय की बैठक में परोसे गए जलपान, लिक्विड सोप डिस्पेंसर की खरीद, कीटनाशक, टी सेट, क्लीनिंग इस्टर, लिक्विड हैंड-वॉश,

रीफिल एक्सटिंग्यूशर आदि के भुगतान के लिए व्यय को वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय', के स्थान पर वस्तु शीर्ष '27-लघुकार्य वर्क्स' के तहत दर्ज किया गया था। पीएओ ने शिक्षा निदेशालय के आदेश दिनांक 18.02.2022 के आदेश की एक प्रति संलग्न की, जो वस्तु शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के तहत जलपान/दोपहर के भोजन की व्यवस्था आदि पर व्यय की बुकिंग के लिए भी प्रदान करता है, जिससे लेखापरीक्षा अवलोकन को मान्य किया जाता है।

4.9 एकल नोडल लेखांकन

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन 23 मार्च 2021 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना (के.प्रा.यो.) के तहत धन जारी करने और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी करने की प्रक्रिया निर्धारित की।

उपरोक्त का.ज्ञा. के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक के.प्रा.यो. को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करेगी। एसएनए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक के.प्रा.यो. के लिए एक एकल नोडल खाता खोलेगा और प्रत्येक के.प्रा.यो. के लिए निधि निर्दिष्ट एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) समर्पित बैंक खाते से स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य कोषागार और पीएफएमएस के अनुसार एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध के.प्रा.यो. की शेष राशि (केन्द्रीय और राज्य शेयर) या पीएफएमएस के साथ पूरी तरह से एकीकृत योजना विशिष्ट पोर्टलों और सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 232 (V) के अनुसार राज्य को निधि जारी की जानी है। इन दिशानिर्देशों को 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाना था। रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2021-22 के दौरान 61 राज्य से जुड़ी योजनाओं को 40 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में शामिल किया, जिसके लिए एसएनए के खाते से निधि भेजी गई। इसके अलावा, राज्य सरकार को एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को पीएफएमएस पर पंजीकृत करना था और सभी भुगतानों के लिए एसएनए/आईए को सौंपे गए यूनिक पीएफएमएस आईडी का उपयोग करना आवश्यक था। एसएनए, आईए, वेंडरों और निधि प्राप्त करने वाले अन्य संगठनों के बैंक खातों की मैपिंग की जानी थी।

वर्ष 2021-22 के लिए पीएफएमएस पोर्टल, वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की रिपोर्ट की जाँच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- i. 13 के.यो.प्रा. में भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 686.85 करोड़ हस्तांतरित किए जिसके प्रति एसएनए के खाते में केंद्र सरकार के अंश के रूप में ₹ 273.68 करोड़ जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 413.17 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।
- ii. 2021-22 के दौरान राज्य से जुड़ी 31 योजनाओं में ₹ 2,823.14 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी।
- iii. रा.रा.क्षे.दि.स. ने छह केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अपने आनुपातिक राज्य अंश से अधिक ₹ 103.03 करोड़ की धनराशि जारी की।
- iv. रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आनुपातिक राज्य अंश के संबंध में छह केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 161.61 करोड़ की कम धनराशि जारी की।
- v. राज्य से जुड़ी सात योजनाओं में ₹ 108.29 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे, जो यह दर्शाता है कि इन योजनाओं में अधिक व्यय किया गया था।
- vi. रा.रा.क्षे.दि.स. ने राज्य से जुड़ी दो योजनाओं में ₹ 37.42 करोड़ की धनराशि जारी की, जो पोर्टल पर अवर्गीकृत राशि के रूप में दर्शाई गई थी, जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका की जारी की गई धनराशि किससे संबंधित है।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि केवल रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों में के.प्रा.यो. के कार्यान्वयन का समन्वय हो रहा था और यह कि कार्यान्वयन एजेंसियां एकल नोडल खाते से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकार्ड बनाकर रख रही थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है जैसा कि रा.रा.क्षे.दि.स. नियम 2003 के व्यापार लेन-देन में भी प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार, वित्त विभाग को सलाह दी जाती है कि वे पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न अपवाद रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संज्ञान लें।

4.10 दिल्ली विद्युत नियामक आयोग कोष का गैर-संचालन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य विद्युत नियामक आयोग कोष (एसईआरसीएफ) के नाम से एक कोष का गठन करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए कोई भी अनुदान और ऋण अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क एवं ऐसे अन्य

श्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त सभी राशियां, जो राज्य सरकार द्वारा तय की जा सकती हैं, को इसमें जमा किया जाएगा।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार एसईआरसीएफ के निर्माण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुरोध किया था (जुलाई 2003) लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने लगभग दो दशकों के बीत जाने के बावजूद कोष का गठन नहीं किया था।

परिणामस्वरूप, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा 31 मार्च 2022 तक प्राप्त शुल्क (₹ 11.66 करोड़) को सरकारी लेखे से बाहर रखा गया था। गौरतलब है कि इसी तरह के मामले में अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित (अक्टूबर 2007) केंद्रीय विद्युत आयोग कोष भारत के लोक लेखा के अंतर्गत संचालित किया जा रहा था।

4.11 अनुशंसाएँ

- (i) सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किए जाएँ।
- (ii) सरकार को एब्सट्रैक्ट कंटेनरजेंट बिलों का निर्धारित अवधि के भीतर समायोजन करना चाहिए, जैसा कि नियमों के तहत आवश्यक है।
- (iii) सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी प्राप्तियों और व्यय को दर्ज करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने की संभावना का पता लगा सकती है या उन्हें सही लेखा शीर्ष के तहत उचित रूप से दर्ज कर सकती है।

अध्याय - V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय-V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

5.1 परिचय

लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जगह लेने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए की जाती है। रा.सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। यह अध्याय रा.सा.क्षे.उ. में निवेश, रा.सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता, रा.सा.क्षे.उ. द्वारा भुगतान किए गए लाभांश, रा.सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का क्षरण और रा.सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण को पेश करता है।

5.1.1 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और सांविधिक निगमों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें एक ऐसी कंपनी शामिल होती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती है।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी¹ को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत स्थापित किए गए थे।

5.1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा नि.म.ले.प. के

¹ कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) के सातवां आदेश 2014, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत जारी किया गया।

(कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. कंपनियों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार लेखाओं को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा के संचालन का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधानों के अनुसार उनके लेखे केवल नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना आवश्यक है।

5.1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति और अध्याय में उनके कवरेज

31 मार्च 2022 तक, दिल्ली में 18 रा.सा.क्षे.उ. थे, जिनमें दो² सांविधिक निगमों, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी और 15 सरकारी कंपनियां नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थे जैसा कि तालिका 5.1 में वर्णित है। 15 सरकारी कंपनियों में डीएसआईआईडीसी की चार निष्क्रिय सहायक कंपनियां शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों से कोई गतिविधि नहीं कर रही हैं। राज्य का कोई भी सा.क्षे.उ. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

तालिका 5.1: रा.सा.क्षे.उ. की सूची

सरकारी कंपनियां	
वित्त	
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त विकास निगम लिमिटेड (डीएससीएफडीसी)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी)
पावर	
4.	इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)
5.	प्रगति पावर निगम लिमिटेड (पीपीसीएल)
6.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल)
7.	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)
सेवाएं	
8.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी)
9.	दिल्ली राज्य जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी)
10.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीडीएल)
परिवहन	
11.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)

² दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

सांविधिक निगम	
वित्त	
12.	दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी)
परिवहन	
13.	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	
सेवाएं	
14.	इंटेलेजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल-डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियां	
15.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेन्ट लिमिटेड (डीसीएडीएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
16.	डीएसआईआईडीसी लीकर लिमिटेड (डीएलएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
17.	डीएसआईआईडीसी मेनटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड (डीएमएसएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
18.	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (डीइएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)

5.2 रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता

5.2.1 रा.सा.क्षे.उ. में इक्विटी होल्डिंग तथा दीर्घकालिक ऋण

31 मार्च 2022 तक सभी 18 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, इक्विटी अंशदान और कुल दीर्घकालिक ऋण और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण तालिका 5.2 में दिए गए हैं:

तालिका 5.2: 31 मार्च 2022 को रा.सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	कंपनियां/ सांविधिक निगम	रा.सा. क्षे.उ. की सं.	कुल निवेश				
			इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण
			कुल	राज्य सरकार	कुल	राज्य सरकार	
(क) पावर	कंपनियां	5	7,506.79	7,106.78	4,345.26	3,815.64	11,852.05
(ख) पावर के अलावा							
i. वित्त	कंपनी	1	50.00	38.12	68.24	68.24	118.24
	सांविधिक निगम	1	26.54	18.05	33.00	33.00	59.54
ii. सेवा	कंपनियां	7	25.07	24.04	2.25	2.14	27.32
iii. अवसंरचना	कंपनियां	2	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00
iv. परिवहन	कंपनी	1	10.65	10.65	0.00	0.00	10.65
	सांविधिक निगम	1	1,983.85	1,983.85	11,676.14	11,676.14	13,659.99
कुल ख (i+ii+iii+iv)		13	2,117.11	2,095.71	11,779.63	11,779.52	13,896.74
कुल (क) + (ख)		18	9,623.90	9,202.49	16,124.89	15,595.16	25,748.79

स्रोत: नवीनतम वित्तीय विवरणी तथा रा.सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी (दीर्घकालिक ऋणों में रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की वर्तमान मेच्युरिटी शामिल है।)

पॉवर क्षेत्र एसपीएसयू की वित्तीय स्थिति इस प्रकार विस्तृत है:

डीपीसीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल तथा डीटीएल नाम की कुल चार सक्रिय पॉवर क्षेत्र कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त तीन पॉवर वितरण कंपनियां (निजी क्षेत्र में) हैं जिनमें डीपीसीएल की केवल 49 प्रतिशत भागीदारी है। 31 मार्च 2022 को पांच पॉवर क्षेत्र एसपीएसयू में ₹ 11,852.05 करोड़ के कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण) में इक्विटी के लिए 63.34 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋणों में 36.66 प्रतिशत शामिल था। राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई इक्विटी (₹ 7,106.78 करोड़) कुल इक्विटी का 94.67 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण (₹ 3,815.64 करोड़) कुल दीर्घकालिक ऋणों का 87.81 प्रतिशत था, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों के 12.19 प्रतिशत (₹ 529.62 करोड़) दूसरों से लिया गया, जैसा कि परिशिष्ट-5.1 में वर्णित है।

पिछले तीन वर्षों में उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार चार रा.सा.क्षे.उ. में से किसी ने भी लाभांश का भुगतान नहीं किया।

31 मार्च 2022 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. को देय चार पॉवर क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ. का कुल ऋण तथा ब्याज क्रमशः ₹ 3,815.64 करोड़ तथा ₹ 3,349.23 करोड़ बकाया था। इसमें से ₹ 3,326.39 करोड़ (87.17 प्रतिशत) तथा ₹ 2,587.80 करोड़ (77.26 प्रतिशत) की मुख्य राशि डीपीसीएल से संबंधित थी। कथित ऋण भा.स. द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को संवितरित किया गया जिसने आगे सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को देय पॉवर खरीद लागत की देयता को पूरा करने के लिए डीपीसीएल को संवितरित किया डीपीसीएल ने रा.रा.क्षे.दि.स. से ऋण की बकाया राशि को 'गैर-वापसी योग्य वित्तीय सहायता' के रूप में मानने के लिए मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. को संदर्भित किया है क्योंकि दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम अवधि के सीपीएसयू देय राशि दिल्ली विद्युत बोर्ड का विघटन पर स्थानांतरण योजना नियम 2001 के अनुसार, डीपीसीएल की देयताओं का हिस्सा नहीं थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने उक्त ऋण को एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित करने के मामले को भारत सरकार के साथ उठाया था। मामले पर निर्णय अभी भी लंबित है (दिसंबर 2022)।

पीपीसीएल पर ₹ 489.25 करोड़ का ऋण बकाया है जिसके लिए देय मूल राशि के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है। रा.रा.क्षे.दि.स. ऋण के ₹ 870.55 करोड़ में बकाया ब्याज के प्रति आईपीजीसीएल ने ₹ 276.79 करोड़ (2021-22) का भुगतान किया था जबकि पीपीसीएल ने ₹ 983.30 करोड़ के बकाया ब्याज के प्रति ₹ 859.87 करोड़ (2019-22) का भुगतान किया था।

31 मार्च 2022 तक, 13 रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 13,896.74 करोड़ था। निवेश में 15.23 प्रतिशत इक्विटी और 84.77 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल था। राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई इक्विटी (₹ 2,095.71 करोड़) कुल इक्विटी का 98.99 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) को दिया गया दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 99.99 प्रतिशत (₹ 11,779.52 करोड़) है जैसा कि परिशिष्ट-5.1 में वर्णित है।

5.2.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बजटीय सहायता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) वार्षिक बजट के माध्यम से रा.सा.क्षे.उ. को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए रा.सा.क्षे.उ. के संबंध में बजटीय व्यय (इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका 5.3: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता³ का विवरण


विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	रा.सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	रा.सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	रा.सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
(क) पावर क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ.						
इक्विटी कैपिटल आउटगो (i)	-	-	-	-	-	-
दिया गया ऋण (ii)	1	50.00	-	-	-	-
दिया गया अनुदान/सब्सिडी (iii)	-	-	-	-	1	1.28
कुल आउटगो (क)	1	50.00	-	-	1	1.28
(ख) पावर क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ. के अलावा						
इक्विटी कैपिटल आउटगो (i)	1	4.80	-	-	-	-
दिया गया ऋण (ii)	-	-	-	-	-	-
दिया गया अनुदान/सब्सिडी (iii)	4	2,177.17	4	2,821.51	4	2,558.24
कुल आउटगो (ख)	4	2,181.97	4	2,821.51	4	2,558.24
व्यय का कुल आउटगो (क + ख)	5	2,231.97	4	2,821.51	5	2,559.52

स्रोत: वार्षिक लेखे और सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित आंकड़े

मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय व्यय के विवरण चार्ट 5.1 में दिए गए हैं:

³ राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

चार्ट 5.1: इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता



रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र) द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः 2019-20 और 2021-22 के दौरान ₹ 50 करोड़ का ऋण और ₹ 1.28 करोड़ की अनुदान/सब्सिडी थी।

वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) को वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 2,181.97 करोड़, ₹ 2,821.51 करोड़ और ₹ 2,558.24 करोड़ थी। 2021-22 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) को ₹ 2,558.24 करोड़ की बजटीय सहायता में मुख्य रूप से 2021-22 के दौरान अपना संचालन करने के लिए डीटीसी को ₹ 2501.91 करोड़ की अनुदान और सब्सिडी शामिल थी।

5.2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. की दस्तावेजों के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटियों के आंकड़े रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुरूप होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित रा.सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को मतभेदों का समाधान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2022 तक चार रा.सा.क्षे.उ. के ऋणों के संबंध में इस तरह के अंतर मौजूद थे जैसा कि परिशिष्ट-5.2 में वर्णित है और तालिका 5.4 में सारांशित है:

तालिका 5.4: राज्य सा.क्षे.उ. के दस्तावेजों की तुलना में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)				
के संबंध में बकाया	क्षेत्र	राज्य सा.क्षे.उ. के दस्तावेजों के अनुसार राशि	वित्त लेखे के अनुसार राशि	अन्तर
ऋण	पावर क्षेत्र	489.25	485.70	3.55
	पावर क्षेत्र के अलावा	70.38	77.33	-6.95
	कुल	559.63	563.03	-3.40

स्रोत: सा.क्षे.उ. और वित्त लेखे से प्राप्त सूचना

5.3 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने लाभांश नीति तैयार की थी (17 अगस्त 2021) जिसके तहत रा.सा.क्षे.उ. को कर के बाद लाभ का 30 प्रतिशत या नेट वर्थ का पाँच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक होगा। अगस्त 2021 से पहले कोई लाभांश नीति नहीं थी और किसी भी रा.सा.क्षे.उ. ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान लाभांश का भुगतान/घोषणा नहीं की थी।

2021-22 के दौरान, दो रा.सा.क्षे.उ. (डीएसआईआईडीसी और जीडीएल) ने क्रमशः कर के बाद लाभांश का 30 प्रतिशत की दर से ₹ 66.37 करोड़ के लाभांश का भुगतान/घोषित किया और एक रा.सा.क्षे.उ. (डीटीडीसी) ने नेट वर्थ के पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 11.06 करोड़ का लाभांश दिया। लाभ कमाने वाले अन्य चार⁴ रा.सा.क्षे.उ. में से किसी ने भी, जिसने 2021-22 और 2022-23 के दौरान प्राप्त अपने नवीनतम अंतिम लेखे के अनुसार लाभ अर्जित किया और जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

5.4 रा.सा.क्षे.उ. के नेट वर्थ का क्षरण

31 मार्च 2022 तक 18 रा.सा.क्षे.उ. में से केवल एक रा.सा.क्षे.उ. (दिल्ली परिवहन विभाग) है जिसके नेट वर्थ का ₹ 52,242.68 करोड़ की संचित हानियों से पूरी तरह से समाप्त हो गया था। डीटीसी का नेट वर्थ वर्ष 2020-21 के इसके नवीनतम अंतिम लेखे के अनुसार ₹ 1,983.85 करोड़ के

⁴ डीपीसीएल, डीटीएल, डीएससीएससी और डीटीआईडीसी।

इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 50,258.83 करोड़ था। डीटीसी की पूंजी कम हो गई है, जबकि इसके रा.रा.क्षे.दि.स. के बकाया ऋण और उस पर ब्याज क्रमशः ₹ 11,676.14 करोड़ और ₹ 39,424.50 करोड़ थे। डीटीसी ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 2007-08 से बकाया ऋण और 2011-12 से उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया था। डीटीसी द्वारा किए गए नुकसान मुख्य रूप से गैर-आर्थिक किराया संरचना, विभिन्न रियायती पास जारी करने, पुरुष/वैवाहिक इनपुट कॉस्ट की कीमत में वृद्धि और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी योजना एवं गैर-योजना ऋणों की ब्याज की भार के कारण थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने ब्याज लागत को छोड़कर घाटे को पूरा करने के लिए 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,030 करोड़, ₹ 2,475 करोड़ तथा ₹ 2,320 करोड़ का वेज एंड मिन्स अनुदान जारी किया था। इस प्रकार डीटीसी अपने संचालन के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय सहायता पर निर्भर है।

डीटीसी ने रा.रा.क्षे.दि.स. से (दिसंबर 2016, जून 2017, अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022) अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए योजना ऋणों को इक्विटी और गैर-योजना ऋणों और उपार्जित ब्याज को अनुदान/सब्सिडी में परिवर्तित करने का अनुरोध किया जो अभी भी निर्णय हेतु लंबित है (दिसंबर 2022)।

5.5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति

5.5.1 वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं की समयबद्ध प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम⁵ आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगली एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक व्यतिरिक्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणियों को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

⁵ पहली एजीएम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख अर्थात् 30 सितंबर से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम की धारा 129 के प्रावधानों को गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामले पर एक वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है। इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ वार्षिक रिपोर्ट और उस पर नि.म.ले.प. की टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पूरक के रूप में विधायिका के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों/निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

31 मार्च 2022 तक, दिल्ली में 18 रा.सा.क्षे.उ. हैं, जिनमें दो⁶ सांविधिक निगम, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी और 15 सरकारी कंपनियां नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में हैं। 15 सरकारी कंपनियां जिसमें डीएसआईआईडीसी की चार अकार्यशील सहायक कंपनियां शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों से कोई गतिविधि नहीं कर रही हैं।

5.5.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

- सभी 16 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2021-22 के लेखे 30 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत किए जाने थे। 16 सरकारी कंपनियों में से छह⁷ सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। दस सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे।
- दो सांविधिक निगमों (डीएफसी और डीटीसी) की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। दोनों सांविधिक निगमों के वर्ष 2021-22 के लेखे दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

⁶ दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

⁷ डीटीएल, आईसीएसआईएल, डीसीएडीएल, डीएलएल, डीएमएसएल और डीइएल

रा.सा.क्षे.उ. द्वारा लेखा प्रस्तुत किए जाने में बकाया का विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है:

तालिका 5.5: रा.सा.क्षे.उ. के लेखे प्रस्तुतीकरण में बकायों का विवरण

विवरण		सरकारी कंपनियों	सांविधिक निगमों
रा.सा.क्षे.उ. की कुल संख्या जिसमें से 2021-22 के लिए लेखे देय थे		16	2
रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2022/30 नवम्बर 2022 तक नि.म.ते.प. के लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		6	0
बकाया लेखे की संख्या (दस सरकारी कंपनियों और 2 निगमों)		17	2
बकायों का ब्रेक-अप	एक वर्ष का बकाया (2021-22)	0 ⁸	2
	दो साल (2020-21 और 2021-22)	2 ⁹	-
	तीन वर्षों से अधिक बकाया	1 ¹⁰	-

रा.रा.क्षे.दि.स. ने उक्त अवधि के दौरान 12 सा.क्षे.उ. में से छह रा.सा.क्षे.उ. में ₹ 2,572.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 4.80 करोड़, ऋण: शून्य, अनुदान: ₹ 2,567.73 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखे बकाया थे। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का रा.सा.क्षे.उ.-वार विवरण, जिनके लेखे बकाया थे, परिशिष्ट-5.3 में दर्शाए गए हैं।

प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारी है कि वे इन सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि के भीतर इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे को अंतिम रूप दिया गया और अपनाया गया। बकाया लेखे के संबंध में संबंधित विभागों को नियमित रूप से अवगत कराया गया।

5.5.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखे को गैर-अंतिम रूप देने का प्रभाव

लेखे को अंतिम रूप देने में देरी से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन की बरबादी का जोखिम हो सकता है। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे को अंतिम रूप देने और उनकी बाद की लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा

⁸ डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीटीआईडीसी, डीएससीएससी, डीपीसीएल, एसआरडीसी और जीडीएल। डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी के लेखे अक्टूबर 2022 में तथा डीटीआईडीसी का नवम्बर 2022 में प्राप्त हुए।

⁹ पीपीसीएल, आईपीजीसीएल

¹⁰ 2016-17 से 2021-22 तक के डीएससीएफडीसी के छह लेखे बकाया थे।

सका कि क्या किए गए निवेश और व्यय का सही हिसाब लगाया गया था और धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।

5.6 निष्क्रिय कंपनियां

डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां अर्थात् डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड को 2011 में डीएसआईआईडीसी द्वारा ₹ एक लाख के निवेश के साथ लाभप्रदता और संपत्ति बढ़ाने के लिए बनाया गया था। एक¹¹ को छोड़कर (2012-13 से 2014-15 के दौरान) इन कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया और अब तक (दिसंबर 2022) निष्क्रिय बनी हुई हैं। सितंबर 2014 में, इन सहायक कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों को डीएसआईआईडीसी ने अधिग्रहण कर लिया था। 2012-13 से 2021-22 के दौरान, इन कंपनियों ने नगण्य आय अर्जित की परन्तु, लेखापरीक्षा शुल्क और कंपनी रजिस्ट्रार फाइलिंग शुल्क पर वार्षिक खर्च किया। डीएसआईआईडीसी ने अपने 293वें निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक (मार्च 2022) के दौरान, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया और डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए प्रबंधन के प्रस्ताव को टाल दिया। हालांकि, आबकारी विभाग के आदेश (अगस्त 2022) के कारण शराब की बिक्री को फिर से शुरू करने वाली सरकारी कंपनियों की पुरानी नीति व्यवस्था को उलटने की घोषणा के कारण, डीएसआईआईडीसी से शराब के पुनरुद्धार के लिए एक कार्य योजना मांगी गई और सितंबर 2022 में आयोजित 295वीं बीओडी की बैठक में डीएसआईआईडीसी शराब को बंद करने के निर्णय को आस्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

¹¹ डीईएल

5.7 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2022 तक, 18 रा.सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 25,748.79 करोड़ था। निवेश में 37.38 प्रतिशत इक्विटी और 62.62 प्रतिशत लंबी अवधि का ऋण शामिल था। इसमें से, रा.रा.क्षे.दि.स. के पास इन रा.सा.क्षे.उ. में ₹ 24,797.65 करोड़ का निवेश है, जिसमें ₹ 9,202.49 करोड़ की इक्विटी और ₹ 15,595.16 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।
- 31 मार्च 2022 तक, रा.सा.क्षे.उ. और वित्त लेखे के रिकॉर्ड के बीच चार रा.सा.क्षे.उ. के संबंध में ऋण में अंतर मौजूद था, जिसे रा.सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा मिलान करने की आवश्यकता थी।
- छह रा.सा.क्षे.उ. में से दो रा.सा.क्षे.उ., जिन्होंने लाभ अर्जित किया और जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, ने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया था। एक रा.सा.क्षे.उ. ने यद्यपि लाभ अर्जित नहीं किया, लेकिन अपने नेट वर्थ के आधार पर लाभांश का भुगतान किया।
- दिल्ली परिवहन निगम का नेट वर्थ उसके संचित घाटे से पूरी तरह से समाप्त हो गया है और 31 मार्च 2022 तक, नेट वर्थ ₹ 1,983.85 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 50,258.83 करोड़ था।
- 18 रा.सा.क्षे.उ. में से केवल छह रा.सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2021-22 के अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए थे और शेष 12 रा.सा.क्षे.उ. के 19 लेखे बकाया थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने उस अवधि के दौरान 12 राज्य सा.क्षे.उ. में से छह में ₹ 2,572.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 4.80 करोड़, ऋण: ₹ शून्य करोड़, अनुदान और सब्सिडी: ₹ 2,567.73 करोड़) प्रदान किए गए थे, जिसके लिए उनके लेखे बकाया थे।
- डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां स्थापना के बाद से निष्क्रिय हैं। जबकि निदेशक मंडल ने दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है, शेष तीन सहायक कंपनियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

5.8 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- रा.सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार और वित्त लेखे के अनुसार बकाया ऋणों के आंकड़ों में अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करें;
- बनाई गई लाभांश नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करें;
- डीटीसी को व्यवहार्य बनाने के लिए योजना तैयार करें;
- रा.सा.क्षे.उ. की वित्तीय विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें;
- डीएसआईआईडीसी की तीन निष्क्रिय सहायक कंपनियों को बंद करने/प्रचालन पर निर्णय लें;

नई दिल्ली

दिनांक: 08 मई 2023



(अमन दीप चड्ढा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 16 मई 2023



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े
(पैरा 1.4.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313
(i) राजस्व कर	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	13,621	19,187	19,465	15,676	22,263
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	11,149	5,886	5,475	4,411	5,099
राज्य उत्पाद शुल्क	4,453	5,028	5,068	4,108	5,488
वाहनों पर कर	2,116	2,055	1,948	1,676	1,956
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,117	4,459	4,606	3,549	5,212
भू राजस्व	2	0	3	4	0
माल तथा यात्रियों पर कर	-	-	-	-	-
अन्य कर	259	10	1	1	1
(ii) गैर कर राजस्व	766	644	1,097	980	827
(iii) केन्द्रीय करों तथा ड्यूटी में राज्य का अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2,184	5,844	9,473	11,459	8,467
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण व अग्रिमों की वसूली	691	1,644	823	631	623
4. कुल राजस्व (1+2+3)	39,358	44,757	47,959	42,495	49,936
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	41,264	47,637	52,724	57,860	61,129
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	2	95	143	79	74
8. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	41,266	47,732	52,867	57,939	61,203
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	7,196	7,605	7,083	6,295	6,953
सामाजिक सेवाएं	19,602	21,663	22,145	22,693	26,294
आर्थिक सेवाएं	5,862	5,219	6,530	8,514	9,328
सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,094	2,365	3,879	2,912	3,468
11. पूंजीगत व्यय	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311
सामान्य सेवाएं	228	180	389	246	374
सामाजिक सेवाएं	1,575	1,755	3,572	2,669	5,062
आर्थिक सेवाएं	1,440	1,331	1,511	1,784	2,875
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603
13. कुल व्यय (10+11+12)	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215
15. आकस्मिक निधि में विनियोजन	-	90	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	40,927	46,246	51,186	52,468	61,172
17. आकस्मिक निधि संवितरण	2	5	143	79	74

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
18. लोक लेखा संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	40,929	46,251	51,329	52,547	61,246
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	4,913	6,261	7,499	1,450	3,270
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	113	2,237	-416	-6,708	-7,021
22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष(+) (21+23)	2,984	5,104	2,336	-3,834	-3,747
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,871	2,867	2,752	2,874	3,274
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अग्रिम/ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
अग्रिम अर्थोपाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
26. अग्रिम/ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
28. बकाया राजकोषीय देयताएं	33,569	32,812	34,767	46,867*	53,844*
29. बकाया गारंटी (समाप्त वर्ष) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम राशि की गारंटी (समाप्त वर्ष)	-	-	-	-	-
भाग च. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्व कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	5.27	4.96	4.61	3.75	4.33
स्व गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.11	0.09	0.14	0.12	0.09
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	5.79	5.76	6.09	6.27	6.16
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	101.49	98.62	102.63	117.53	115.50
राजस्व व्यय/कुल व्यय	86.01	86.67	81.94	82.14	80.84
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	53.96	55.08	53.16	51.55	55.05
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	18.61	15.40	16.62	20.93	21.42
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	8.26	7.68	11.31	9.55	14.59
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	7.68	7.26	10.51	9.05	13.94
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.72	0.85	0.94	0.18	0.35
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.02	0.30	-0.05	-0.85	-0.76
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.44	0.69	0.29	-0.49	-0.41
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	4.95	4.44	4.38	5.22**	4.52**
राजकोषीय देयताएं/रा.प्रा.	86.82	76.11	73.76	111.95	109.19
प्राथमिक घाटा की तुलना में क्वांटम स्प्रेड	612.05	5458.31	-1103.14	100.56	-62.41
ऋण मुक्ति (मुलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.08	0.07	0.08	0.05	0.43

नोट-आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक में लिया गया है

- * वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियां क्रमशः ₹ 41,002 करोड़ एवं ₹ 41,786 करोड़ होगी क्योंकि राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के रूप में ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- ** कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के बहिष्करण के बाद आया।

परिशिष्ट 3.1

योजनाओं का विवरण जिसके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किए गए थे लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था
(पैरा 3.5.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व - दत्तमत					
1	02-सामान्य प्रशासन	2220.60.101.94 आउटरीच कार्यक्रम हेतु शासन का दिल्ली मॉडल	50.00	11.00	शून्य
2	03-न्याय का प्रशासन	2014.00.103.97 बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों को शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना (निर्भया फंड) (के.प्रा.यो.)	7.20	7.20	शून्य
3		2014.00.103.96 बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों को शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना (निर्भया फंड) (राज्य का अंश)	4.80	4.80	शून्य
4	अनुदान सं. 04	2043.00.101.93 वस्तु और सेवा कर का कार्यान्वयन	1.00	1.00	शून्य
5		2043.00.101.92 बिल बनवाओ इनाम पाओ	1.00	1.00	शून्य
6	06-शिक्षा	2202.02.109.72 स्कूल स्वास्थ्य योजना एवं बहुउद्देशीय छात्र पहचान पत्र	22.00	2.00	शून्य
7		2202.02.109.68 ऑनलाइन व्याख्यान संचार हेतु स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
8		2202.02.109.62 शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन	50.00	1.00	शून्य
9		2202.02.109.61 सैनिक स्कूल एवं एकेडमी	2.00	1.00	शून्य
10		2202.02.109.60 वर्चुअल स्कूल	2.00	1.00	शून्य
11		2202.02.109.56 देशभक्ति पाठ्यक्रम	2.00	1.00	शून्य
12		2202.02.109.54 ऑनलाइन निर्धारण हेतु डीबीएसई को सहायता अनुदान	0.01	15.00	शून्य
13		2202.80.001.82 शिक्षा मंत्री का जनता के साथ मिलनासंचार/	10.00	1.00	शून्य
14		2204.00.104.44 खेल अवसंरचना का अनुरक्षण	5.00	1.00	शून्य
15		2203.00.112.41 अनुसंधान अनुदान योजना	10.00	5.00	शून्य
16		2202.03.001.99 छात्रों के लिए नवाचार पहल	1.00	1.00	शून्य
17		2202.03.102.87 अर्ली चाइल्डहूड केयर सेंटर हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.10	2.00	शून्य
18		2202.03.102.85 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विशेष अनुदान	20.00	10.00	शून्य
19	2202.80.004.87 उच्चतर शिक्षा फैलोशीप	4.00	4.00	शून्य	
20	07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.74 एनआरएचएम के अंतर्गत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज हेतु सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	0.02	45.77	शून्य
21		2210.01.200.73 एनआरएचएम के अंतर्गत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज हेतु सहायता अनुदान (राज्य का अंश)	0.01	30.00	शून्य
22		2210.06.800.67 रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान	15.00	5.00	शून्य
23		2210.80.101.99 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा (के.प्रा.यो.)	20.00	1.00	शून्य
24		2210.80.800.59 दिल्ली आरोग्य कोष	100.00	40.96	शून्य
25		2210.06.107.92 राज्य दवा और नियामक प्रणाली को मजबूत करना (के.प्रा.यो.) (नया)	0.01	4.97	शून्य
26		2210.06.107.91 राज्य दवा और नियामक प्रणाली को मजबूत करना (राज्य का अंश) (नया)	0.01	3.31	शून्य
27		2211.00.102.75 अस्पताल में पोस्ट-मार्टम इकाई पर व्यय हेतु अनुदान	6.00	2.60	शून्य

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
28		2210.05.101.86.98 आयुष औषधालयों को आवश्यक दवायां	1.80	1.80	शून्य
29	08-समाज कल्याण	2235.02.102.36 आंगनबाड़ी उन्नयन योजना हेतु प्रोत्साहन	15.00	4.76	शून्य
30		2235.02.104.59 भिखारियों, दिव्यांगजनों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कौशल विकास और पुनर्वास	1.00	1.00	शून्य
31		2235.02.102.22 माता-पिता, आंगनवाड़ी कर्ता और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा)	2.00	1.00	शून्य
32		2235.02.102.17.90 आंगनवाड़ी सेवा योजना - आधार नामांकन किट की खरीद	0.01	2.56	शून्य
33		2235.02.102.16.92 आंगनवाड़ी सेवा योजना - आधार नामांकन किट की खरीद	0.01	1.71	शून्य
34		2235.02.103.19 महिला शक्ति केंद्र (म.श.के) (के.प्रा.यो.)	0.40	1.11	शून्य
35		2235.02.103.17 महिला सहायता प्रोकोष्ट (महिला हेल्प डेस्क)	2.05	1.00	शून्य
36		2235.02.103.13.97 पीएमएमवीवाई- फ्लेक्सि फंड	0.01	1.20	शून्य
37		2235.02.789.92.97 किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)- पोषण घटक	0.01	1.00	शून्य
38		2236.02.101.71 पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आहार	20.00	4.50	शून्य
39		2225.01.190.97 अ.जा./अ.ज.जा के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	3.00	1.00	शून्य
40		2041.00.800.96 सड़क सुरक्षा सेल और गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
41		3452.80.001.84 मंत्रिपरिषद के लिए सार्वजनिक भागीदारी	6.00	6.00	शून्य
42		3452.80.104.59 पर्यटन एवं विरासत फैलोशिप हेतु डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	2.00	1.00	शून्य
43	09-उद्योग	2852.08.600.89PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजनाओं का सुत्रीकरण (राज्य का अंश)	4.25	4.25	शून्य
44		2852.80.104.99 दिल्ली की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संबर्धन नीति 2021	70.00	10.00	शून्य
45		3456.00.103.93 आवश्यक वस्तु की बढ़ती कीमतों को रोकने हेतु बाजार हस्तक्षेप का प्रावधान	5.00	1.63	शून्य
46	10-विकास	2401.00.104.94 परम्परागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	10.00	1.00	शून्य
47		2403.00.101.85 डेयरी कॉलोनियों में संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु सुविधाएं प्रदान करना	2.00	1.00	शून्य
48		2225.04.102.97 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	9.00	9.00	शून्य
49		2225.04.277.98 व्यावसायिक/ तकनीकी महाविद्यालयों/ संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति	2.00	2.00	शून्य
50		2406.04.103.97 एकीकृत वन्य जीव प्रबंधन योजना, राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष से वित्तपोषित	1.39	1.39	शून्य
51	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	2217.04.191.57 स्मार्ट सिटी के लिए एनडीएमसी को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	98.00	50.00	शून्य
52		2217.05.191.94 अमृत 2.0 के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को स.अनु. (के.प्रा.यो.)	0.02	1.00	शून्य
53		2217.80.191.04.00 स्वच्छ भारत मिशन (राज्य का अंश)	76.00	33.00	शून्य
54		2217.80.191.04.91 जन जागरूकता और आईईसी गतिविधियों के लिए शहरी विकास विभाग (के.प्रा.यो.)	3.50	2.10	शून्य
55		2217.80.191.03 स्वच्छ भारत मिशन (राज्य का अंश)	20.00	20.00	शून्य

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय (वास्तविक बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
56		2217.80.800.76 विभिन्न डंपिंग साइट्स पर पुराने कचरे का निपटान	50.00	1.00	शून्य
57		3475.00.108.94 दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी मिशन (के.प्रा.यो.)	4.00	22.01	शून्य
58		2810.02.800.90 सौर ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना	5.00	8.40	शून्य
			748.61	403.03	शून्य
राजस्व प्रभारित					
59	03-न्याय का प्रशासन	2015.00.102.00 मतदान अधिकारी	0.50	1.00	शून्य
60	07-चिकित्सा एवं	2210.01.110.27 डॉ. हेडगीयर आरोग्य संस्थान	0.05	1.60	शून्य
61	जन स्वास्थ्य	2210.01.110.23 जग प्रवेश चंद्र अस्पताल	0.01	1.67	शून्य
	कुल		0.56	4.27	शून्य
पूजीगत दत्तमत					
62	02-सामान्य प्रशासन	4059.60.051.75 वजीरपुर एवं पटपड़गंज में ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र का विकास	48.00	5.00	शून्य
63	06-शिक्षा	4202.01.202.93 सैनिक स्कूल एवं एकेडमी	18.00	1.00	शून्य
64		4202.03.800.98 खेल का मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्वीमिंग पुल्स का विकास।	24.65	5.00	शून्य
65	07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.04.107.94 राज्य दवा एवं नियामक प्रणाली को मजबूत करना (के.प्रा.यो.)	2.50	2.50	शून्य
66		4210.04.107.93 राज्य दवा एवं नियामक प्रणाली को मजबूत करना (राज्य का अंश)	1.70	1.70	शून्य
67	08-समाज कल्याण	4235.02.104.98 वृद्धाश्रम	4.00	1.00	शून्य
68		4235.02.102.98 प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र में सीसीटीवी	5.00	2.28	शून्य
69		4235.02.103.98 कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण	3.00	1.00	शून्य
70		4235.02.800.93 मौजूदा भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान	2.50	2.50	शून्य
71		6225.80.800.94 मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजनान्तर्गत डीएसएफडीसी को ऋण	20.00	5.00	शून्य
72		5055.00.050.86 बस क्यू शैल्टरों का निर्माण	30.00	2.00	शून्य
73		5055.00.800.88 पैदल और गैर-मोटर चालित वाहनों को प्रोत्साहन	10.00	1.00	शून्य
74		5055.00.800.87 आरआरटीएस कॉरिडोर	1.00	1.00	शून्य
75		7055.00.190.96 एमआरटीएस के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण	100.00	100.00	शून्य
76		5452.01.102.92 दिल्ली सदन के निर्माण हेतु भूमि खरीद	20.00	1.00	शून्य
77	09-उद्योग	5475.00.102. 89 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना	2.00	1.20	शून्य
78	10-विकास	4059.01.051.81 आयुक्त कार्यालय	20.00	2.00	शून्य
79	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	6217.60.789.93 कमजोर वर्गों के लिए आवासों के निर्माण हेतु डीयुएसआईबी को ऋण (जेएनएनयुआरएम)(एससीएसजी)	5.00	1.00	शून्य
80		6217.60.800.98 कमजोर वर्गों के लिए आवासों के निर्माण हेतु डीयुएसआईबी को ऋण (जेएनएनयुआरएम)	20.00	14.93	शून्य
81		4059.01.051.72 नये सचिवालय भवन का निर्माण	0.01	1.00	शून्य
82		5054.04.800.82 एलईडी स्क्रीन हेतु प्रावधान	50.00	1.00	शून्य
	कुल		387.36	153.11	
	कुल योग		1136.53	560.41	

परिशिष्ट 3.2

उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन संशोधित व्यय में वापस ले लिया गया था
(पैरा 3.5.2 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित व्यय	संशोधित व्यय	
राजस्व - दत्तमत					
1	02- सामान्य प्रशासन	2055.00.119.97 दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली पुलिस सेवा सोसायटी को सहायता अनुदान (निर्भया फंड) (के.प्रा.यो.)	219.46	शून्य	
2	03- न्याय का प्रशासन	2014.00.103.98 निर्वाचित सांसद और विधायक से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।	2.60	शून्य	
3	05- गृह	2056.00.101.98 ई-जेल परियोजना का कार्यान्वयन (के.प्रा.यो.)	2.00	शून्य	
4	06 - शिक्षा	2202.01.104.99 अंतर्राष्ट्रीय छात्र निर्धारण ऋण कार्यक्रम (पीआईएसए) - 2024 की तैयारी	2.00	शून्य	
5		2202.02.107.96 मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति	8.00	शून्य	
6		2202.02.109.65 आरपीवीवी और एसओई में विदेशी भाषा की प्रस्तुतिकरण	1.00	शून्य	
7		2202.02.109.69 बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली (डीसीपीसीआर) द्वारा माता-पिता के लिए कार्यशाला	10.00	शून्य	
8		2202.02.109.65 टैलीविजन पर विज्ञान के कार्यक्रम	5.00	शून्य	
9		2202.02.109.63 कक्षा X एवं XII के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री परीक्षा शुल्क सहायता योजना	1.00	शून्य	
10		2202.02.109.57 ऑनलाइन निर्धारण	150.00	शून्य	
11		2202.80.001.74 गणितीय कौशल और दक्षताओं के विकास हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन	2.00	शून्य	
12		2204.00.001.87 स्कूल में छात्रों की फिटनेस मूल्यांकन	5.00	शून्य	
13		2204.00.104.53 खेल संघ को सहायता अनुदान	1.00	शून्य	
14		2204.00.104.46 छात्रों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करना	5.00	शून्य	
15		2204.00.104.45 मुख्यमंत्री खेलो दिल्ली योजना	5.00	शून्य	
16		2203.00.004.92 छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (तकनीकी)	4.53	शून्य	
17		2203.00.112.40 संस्थान/उद्योग संपर्क योजना	5.00	शून्य	
18		2230.03.001.96 छात्रों के लिए अभिनव पहल	4.00	शून्य	
19		2230.03.001.95 उच्चतर शिक्षा पर सम्मेलन	10.00	शून्य	
20		2202.03.112.89 विरासत, अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान दिल्ली	3.55	शून्य	
21		2202.03.800.84 स्पोकेन इंग्लिश प्रोग्राम	50.00	शून्य	
22		2203.00.112.64 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जाफरपुर	6.71	शून्य	
23		07-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	2210.01.102.99 कर्मचारी राज्य बीमा को अंशदान	5.00	शून्य
24			2210.01.110.50 महिला मोहल्ला क्लिनिक के लिए दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान	14.50	शून्य
25			2210.01.200.89.98 बीमा कंपनियों को भुगतान	10.00	शून्य
26	2210.01.200.87 टेली रेडियोलॉजी		1.00	शून्य	
27	2210.01.200.86 पीपीपी में सीटी स्कैन/एमआरआई		1.00	शून्य	
28	2210.01.800.40 एनआरएचएम के अंतर्गत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज हेतु सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)		400.00	शून्य	
29	2210.06.003.89 प्रशिक्षण एवं विनिमय कार्यक्रम (प्रबंधन कौशल एवं स्टाफ कौशल)		1.76	शून्य	
30	2210.06.101.23 जनता के लिए निशुल्क कोविड-19 का टीका		50.00	शून्य	

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित व्यय	संशोधित व्यय
31		2210.05.105.67 डीडीयु मेडिकल कॉलेज की स्थापना	1.00	शून्य
32		2210.05.105.75 चिकित्सा विज्ञान का विश्वविद्यालय कॉलेज	1.00	शून्य
33		2211.00.101.78 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं: उप-केंद्र (के.प्रा.यो.)	4.00	शून्य
34		2211.00.102.78 शहरी परिवार कल्याण केंद्र का सुधार (के.प्रा.यो.)	8.00	शून्य
35	08-समाज कल्याण	2235.02.102.55 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (के.प्रा.यो.)	80.00	शून्य
36		2235.02.102.38 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों को मानदेय	145.00	शून्य
37		2235.02.102.29 आईसीडीएस (सामान्य)-राज्य का अंश	46.00	शून्य
38		2235.02.102.27 राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	11.00	शून्य
39		2235.02.102.26 27 राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को सहायता अनुदान (राज्य का अंश)	7.00	शून्य
40		2235.02.102.23 राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (के.प्रा.यो.)	1.20	शून्य
41		2235.02.102.20 अंब्रेला आईसीडीएस योजना के तहत आधार पंजीकरण किट की खरीद एवं आंगनवाड़ी सेवा योजना (के.प्रा.यो.)	2.56	शून्य
42		2235.02.102.19 अंब्रेला आईसीडीएस योजना के तहत आधार पंजीकरण किट की खरीद एवं आंगनवाड़ी सेवा योजना (राज्य का अंश)	1.71	शून्य
43		2235.02.103.21 प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (के.प्रा.यो.)	4.40	शून्य
44		2235.02.103.20 प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (राज्य का अंश)	25.00	शून्य
45		2236.02.101.90 पूरक पोषण कार्यक्रम	60.00	शून्य
46		2236.02.101.82 पूरक पोषाहार कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	75.00	शून्य
47		2236.02.101.78 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के लिए किशोरियों सबला को सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (के.प्रा.यो.)	1.00	शून्य
48		2236.02.101.77 पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के लिए किशोरियों सबला को सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (राज्य का हिस्सा)	1.00	शून्य
49		2236.02.101.76 पोषण के अलावा अन्य घटकों के लिए किशोरियों को सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (के.प्रा.यो.)	1.00	शून्य
50		2236.02.101.75 पोषण के अलावा अन्य घटकों के लिए किशोरियों को सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (राज्य का हिस्सा)	1.00	शून्य
51		2236.02.101.73 पोषण अभियान (के.प्रा.यो.)	24.40	शून्य
52		2236.02.101.72 पोषण अभियान (राज्य का हिस्सा)	6.05	शून्य
53		2236.02.789.94 अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना: पूरक पोषण कार्यक्रम (एससीएसपी)	15.00	शून्य
54		2236.02.789.92 पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु किशोरियों को सशक्तिकरण करने के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी-सबला) (के.प्रा.यो.)	1.00	शून्य
55		2236.02.789.91 पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु किशोरियों को सशक्तिकरण करने के लिए राजीव गांधी योजना (राज्य का हिस्सा)	1.00	शून्य
56		2225.01.277.69 मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना	9.72	शून्य
57		2225.01.277.54 अ.पि.ब. के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.)	1.00	शून्य
58		2225.01.277.51 अ.पि.ब. के छात्रों के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति (के.प्रा.यो.)	2.00	शून्य
59		2225.01.800.74 अनुसूचित जाति घटक योजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता (के.प्रा.यो.)	1.20	शून्य
60		3055.00.190.95 राज्य इलेक्ट्रिक वाहन कोष	10.22	शून्य
61	09 - उद्योग	2851.00.004.90 स्टार्ट अफ फेस्टीवल	10.00	शून्य
62		3475.00.106.90 लीगल मेट्रोलॉजी विंग को मजबूत करना (के.प्रा.यो.)	1.22	शून्य
63	10 - विकास	2401.00.102.91 खाद्यान्न फसल किसान मित्र योजना	50.00	शून्य
64		2245.80.102.92 आपदा आकस्मिक योजना/आपदा प्रतिक्रिया कोष	5.00	शून्य

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित व्यय	संशोधित व्यय
65		2245.80.800.99 आपदा प्रतिक्रिया कोष से महामारी वित्तपोषित	6.25	शून्य
66		2401.00.119.74 बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (के.प्रा.यो.)	15.25	शून्य
67		2401.00.119.71 राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (के.प्रा.यो.)	2.14	शून्य
68		2401.00.789.97 बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (के.प्रा.यो.)	3.89	शून्य
69		3435.04.103.87 हॉटस्पॉट के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी	40.00	शून्य
70		3435.04.800.82 प्रदूषण नियंत्रण एवं खतरा प्रबंधन	28.00	शून्य
	कुल		1696.32	
राजस्व प्रभारित				
71	07-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	2210.01.110.17 श्री दादादेव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय	2.20	शून्य
	कुल		2.20	शून्य
पूँजीगत दत्तमत				
72	06 - शिक्षा	4202.01.202.92 वर्चुअल स्कूल	8.00	शून्य
73		4202.02.104.88 उपकरण	5.00	शून्य
74		4202.02.104.87 नये पॉल्लिटेक्निक की स्थापना (के.प्रा.यो.)	4.00	शून्य
75		4202.02.105.88 जी.बी. पंत इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी कॉलेज	1.00	शून्य
76	07-चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	4210.80.190.96 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश, दिल्ली स्वास्थ्य सेव निगम को इक्विटी पूंजी	5.00	शून्य
77	08-समाज कल्याण	4235.02.101.82 दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना (के.प्रा.यो.)	5.35	शून्य
78	09 - उद्योग	5475.00.102.88 जिला फोरम और राज्य आयोग को आवास उपलब्ध कराना	2.00	शून्य
79	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	4059.60.051.77 हज हाउस का निर्माण	10.00	शून्य
80		5054.04.101.94 पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर	1.00	शून्य
81		5054.04.101.93 उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर	1.00	शून्य
82		5054.04.101.84 खजूरी चौक में अंडरपास का निर्माण	1.00	शून्य
83		5054.04.101.73 गाजीपुर नाले हिंडन नहर पर गाजीपुर नाले के किनारे से धर्मशाला मार्ग तक मौजूदा पुल को चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त पुल का निर्माण	1.00	शून्य
84		5054.04.101.72 गाजीपुर नाले हिंडन नहर पर मौजूदा पुल को गाजीपुर नाले के साथ सड़क से अशोक नगर मेट्रो स्टेशन तक चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त पुल का निर्माण	1.00	शून्य
85		5054.04.101.71 मुकरबा चौक के नजदीक ओआरआर पर अंडरपास का निर्माण	10.00	शून्य
86		4801.04.190.97 गैस टर्बाइन पावर स्टेशन के मरम्मत एवं आधुनिकीकरण हेतु इक्विटी अंशदान	50.00	शून्य
87		4801.05.800.86 जगमगाती दिल्ली कार्यक्रम के तहत बेयर कंडक्टर से इंसुलेटेड कंडक्टर में 11केवी नेटवर्क का रूपांतरण	25.00	शून्य
88		6801.00.190.94 दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को ऋण	1.00	शून्य
89		6801.00.203.90 जीआईपीएस के मरम्मत एवं आधुनिकीकरण हेतु ऋण	1.00	शून्य
	कुल		132.35	शून्य
कुल योग			1830.87	शून्य

परिशिष्ट 3.3
अनुदान की उपयोगिता में कमी (केंद्रीय प्रायोजित योजना)
(पैरा 3.5.4 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुदान का उपयोग न करने के कारण
योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था						
राजस्व दत्तमत						
1	03- न्याय का प्रशासन	2014.00.103.97 बलात्कार मामले एवं पॉक्सो अधिनियम के शीघ्र निपटान हेतु फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना (निर्भया फंड) (के.प्रा.यो.)	7.20	7.20	शून्य	बाल एजेंसी सहित एसएनए लेखा का गैर-मैपिंग
2	07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.74 एनआरएचएम के अंतर्गत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज हेतु सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	0.00	45.77	शून्य	भारत से निधि की गैर-प्राप्ति
3		2210.80.101.99 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा (के.प्रा.यो.)	20.00	1.00	शून्य	योजना का आयोजन होना बाकी है
4		2210.06.107.92 स्टेट इग एवं रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करना (के.प्रा.यो.) (नया)	0.01	4.97	शून्य	वित्त वर्ष में परिष्कृत उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होना
5		2210.05.101.86.98 आयुष औषधालय को आवश्यक दवाइयां (के.प्रा.यो.)	1.80	1.80	शून्य	भारत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना का गैर-अनुमोदन
6	10 - विकास	2401.00.104.94 परम्परागत कृषि विकास योजना (के.प्रा.यो.)	10.00	1.00	शून्य	योजना का कार्यान्वयन नहीं होना
7		2225.04.102.97 अल्पसंख्यक केंद्रीय जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (के.प्रा.यो.)	9.00	9.00	शून्य	कोविड 19-के कारण दिल्ली सरकार डिस्पेंसरी के निर्माण से संबंधित कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण निधि का उपयोग नहीं होना
8	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	2217.04.191.57 स्मार्ट सिटी हेतु एनडीएमसी को सहायता अनुदान (के.प्रा.यो.)	98.00	50.00	शून्य	भारत सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण
9		2217.05.191.94 एएमआरयुटी 2.0 हेतु एमसीडी/एनडीएमसी को को.स.अ. (के.प्रा.यो.)	0.02	1.00	शून्य	योजना का कार्यान्वयन नहीं होना
10		2217.80.191.04.00 स्वच्छ भारत मिशन (के.प्रा.यो.)	76.00	33.00	शून्य	भारत सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुदान का उपयोग न करने के कारण
11		2217.80.191.04.91 जन जागरूकता एवं आईईसी गतिविधियों हेतु शहरी विकास विभाग (के.प्रा.यो.)	3.50	2.10	शून्य	भारत सरकार से निधि जारी नहीं होने के कारण
पूँजीगत दत्तमत						
12	07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.04.107.94 स्टेट ड्रग एवं रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करना (के.प्रा.यो.)	2.50	2.50	शून्य	भा.स. योजना कोड 9156 से 3663 में परिवर्तन होने के कारण, धन रिफंड करने हेतु प्राप्त निर्देश
कुल			228.03	159.34	शून्य	

परिशिष्ट 5.1

(पैरा 5.2.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2022 को राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित इक्विटी एवं बकाये ऋण की स्थिति को दर्शाता हुआ विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिमकृत लेखा की अवधि	वर्ष 2021-2022 ¹ की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 ² की समाप्ति पर बकाये दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण)
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5 (a)	5 (b)	5 (c)	5 (d)	6 (a)	6 (b)	6 (c)	6 (d)	
क	पावर क्षेत्र											
1	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	पावर	2019-20	596.54	0.00	140.00	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	736.54
2	प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	पावर	2019-20	2074.19	0.00	0.00	2074.19	489.25	0	212.62	701.87	2776.06
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	पावर	2021-22	3691.00	0.00	260.00	3951.00	0.00	0.00	317.00	317.00	4268.00
4	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	पावर	2020-21	745.05	0.00	0.00	745.05	3326.39	0.00	0.00	3326.39	4071.44
5	डीएसआईआईडीसी इनर्जी लिमिटेड	उद्योग	2021-22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
	कुल क			7106.78	0.00	400.01	7506.79	3815.64	0.00	529.62	4345.26	11852.05
ख	पावर क्षेत्र के अलावा											
ख1	वित्त क्षेत्र											
6	दिल्ली अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, दिव्यांग विकास निगम लिमिटेड	अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के कल्याण	2015-16	38.12	11.88	0.00	50.00	68.24	0.00	0.00	68.24	118.24
7	दिल्ली वित्तीय निगम	वित्त	2020-21	18.05	0.00	8.49	26.54	33.00	0.00	0.00	33.00	59.54
	कुल ख1			56.17	11.88	8.49	76.54	101.24	0.00	0.00	101.24	177.78
ख2	सेवा क्षेत्र											
8	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	2020-21	7.00	0.00	0.00	7.00	2.14	0.00	0.00	2.14	9.14
9	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	2020-21	6.28	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28

¹ नवीनतम सूचना/2021-22 का वार्षिक लेखा के अनुसार 30 नवम्बर 2022 को प्राप्त आंकड़े

² ऋणों में वर्तमान देयताओं के रूप में खातों में दर्शाए गए रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋणों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. के क्षेत्र एवं नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिमकृत लेखा की अवधि	वर्ष 2021-2022 ¹ की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 ² की समाप्ति पर बकाये दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण)
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5 (a)	5 (b)	5 (c)	5 (d)	6 (a)	6 (b)	6 (c)	6 (d)	
ख2	सेवा क्षेत्र											
10	दिल्ली भू-स्थानिक लिमिटेड	सूचना तकनीकी	2021-22	10.76	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
11	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड	उद्योग	2021-22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06	0.06	0.07
12	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	उद्योग	2021-22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.05	0.05	0.06
13	डीएसआईआईडीसी मेनटेनेंस सर्विस लिमिटेड	उद्योग	2021-22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सीस्टम इंडिया लिमिटेड	डीएसआईआईडीसी एवं टीसीआईएल के संयुक्त उद्यम	2021-22	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	कुल ख 2			24.04	0.00	1.03	25.07	2.14	0.00	0.11	2.25	27.32
ख3	अवसंरचना क्षेत्र											
15	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	2021-22	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
16	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	शाहजहा नाबाद पुनर्विकास निगम	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ख3			21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
ख4	परिवहन क्षेत्र											
17	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	2020-21	10.65	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65
18	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	2020-21	1,983.85	0.00	0.00	1,983.85	11,676.14	0.00	0.00	11,676.14	13659.99
	कुल ख4			1994.50	0.00	0.00	1994.50	11676.14	0.00	0.00	11676.14	13670.64
	कुल ख= ख1+ ख2+ ख3+ ख4			2095.71	11.88	9.52	2117.11	11779.52	0.00	0.11	11779.63	13896.74
	कुल क + ख			9202.49	11.88	409.53	9623.90	15595.16	0.00	529.73	16124.89	25748.79

परिशिष्ट 5.2
(पैराग्राफ 5.2.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2022 को बकाये ऋण के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों और राज्य सा.क्षे.उ. के लेखों के बीच अंतर दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा.सा.क्षे.उ. के नाम	राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेख के अनुसार	रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेख के अनुसार	अंतर
		बकाया ऋण	बकाया ऋण	
1	2	3	4	5
क	पावर			
1	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	489.25	485.70	3.55
	कुल क	489.25	485.70	3.55
ख	गैर-पावर			
1	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	68.24	69.82	-1.58
2	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2.14	4.36	-2.22
3	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	0	3.15	-3.15
	कुल ख	70.38	77.33	-6.95
	कुल योग (क एवं ख)	559.63	563.03	-3.40

परिशिष्ट 5.3
(पैराग्राफ 5.5.2 में संदर्भित)

जिस अवधि के लिए लेखे बकाया हैं, उस अवधि के दौरान राज्य के सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रा.सा.क्षे.उ. के नाम	अवधि जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	नवीनतम अंतिम कुल लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लिए लेखे बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	कुल
क	पावर							
1	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2074.19	0.00	0.00	1.28	1.28
ख	गैर-पावर							
1	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2021-22	45.20	4.80	0.00	8.21	13.01
2	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	6.28	0.00	0.00	42.15	42.15
3	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	21.00	0.00	0.00	4.00	4.00
4	दिल्ली राज्य नगरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ज्योस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2020-21	2021-22	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
6	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	2020-21	2021-22	0.00	0.00	0.00	10.18	10.18
7	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल क+ख			3656.67	4.80	0.00	65.82	70.62
ग	वैधानिक निगम							
1	दिल्ली वित्तीय निगम	2020-21	2021-22	26.54	0	0	0	0
2	दिल्ली परिवहन निगम	2020-21	2021-22	1,983.85	0	0	2501.91	2501.91
	कुल ग			2,010.39	0.00	0.00	2,501.91	2,501.91
	कुल योग (क+ख+ग)			5,667.06	4.80	0.00	2,567.73	2,572.53

पारिभाषिक शब्दावली

1. **एक वर्ष का 'लेखा' अथवा 'वास्तविक'** - 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशि होती है, जैसा कि लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में अंतिम रूप से दर्ज किया गया है (जैसा कि नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखा का तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखा से है।
2. **किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन'** - व्यय करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के अंतर्गत यह उस विशेष वर्ष के दौरान, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है, प्रचालन हेतु वित्तीय मंजूरी के रूप में कार्य करता है।
3. **वार्षिक वित्तीय विवरण** - इसे बजट के रूप में भी देखा जाता है जिसका मतलब है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद/विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण।
4. **'विनियोजन'** - इसका तात्पर्य विनियोजन के विविध मूल इकाई अथवा उसके किसी भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशि को किसी संवितरण अधिकारी के समक्ष निपटान हेतु रखी गई राशि से है।
5. **'प्रभारित व्यय'** - इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमण्डल के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
6. **भारत/राज्य की समेकित निधि** - संघ/राज्य सरकार की समस्त राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण तथा भारत/राज्य की समेकित निधि से ऋणों के पुनः भुगतान से प्राप्त समस्त राशि से है। इस निधि में से कोई भी धनराशि कानून के अनुसार और संविधान में निहित तरीकों और किसी उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं की जा सकती है।
7. **'आकस्मिक निधि'** - अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को किसी वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अग्रिम राशि प्रदान करता है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के जरिए अनुमोदित करने के बाद की जाती है।

8. **'नियंत्रक अधिकारी (बजट)'** - इसका तात्पर्य एक ऐसे अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा किए गए व्यय और/अथवा राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे पद में विभाग के प्रमुख और प्रशासक भी शामिल हैं।
9. **'आहरण और संवितरण अधिकारी' (डीडीओ)** - इसका तात्पर्य कार्यालय के प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा पदनामित किसी ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार की ओर से बिल का आहरण और भुगतान करता हो। इस पद में विभाग के प्रमुख भी शामिल होंगे जहां वे स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करते हैं।
10. **'अतिरिक्त अनुदान'** - अतिरिक्त अनुदान का मतलब है मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमण्डल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।
11. **'नई सेवा'** - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115/1(क)/205/(1)(क) में उल्लेख किया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नई नीति निर्णय के अंतर्गत होने वाला व्यय जिसे पहले संसद/राज्य विधानमण्डल के ध्यान में नहीं लाया गया जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।
12. **'सेवा का नया साधन'** - का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्त्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत अधिक व्यय।
13. **'लोक लेखा'** - का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 266/(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण इत्यादि जैसे प्राप्तियाँ और संवितरण जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमण्डल के मत के अधीन नहीं होता है क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किया गया धन (राशि) नहीं है।
14. **पुनर्विनियोजन** - का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत किसी अन्य इकाई से अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजन के एक इकाई में बचत का स्थानांतरण करना।
15. **'संशोधित मूल्य का अनुमान'** - वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान है जिसे पहले से ही जारी आदेशों के अंतर्गत वर्ष

में पहले से ही दर्ज किए गए लेन-देन और शेष के लिए अनुमान के संदर्भ में उस वर्ष तैयार किया गया है।

16. **'अनुदान की अनुपूरक मांगों'** - का अर्थ है उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में और आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख करना जिसे विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।

(क) **पूरक नगद** मूल बजट प्रावधानों से अधिक होता है तथा इसके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रत्येक मांग में चार खण्ड होते हैं, अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी पूरक**, राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, किसी एक अनुभाग की बचत को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

(ग) **टोकन पूरक** अनुदान के एक ही अनुमान के भीतर बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।

17. **'प्रमुख शीर्ष'** - का अर्थ राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को रिकॉर्ड करने तथा वर्गीकृत करने के उद्देश्य से एक प्रमुख लेखा शीर्ष है। एक प्रमुख शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होता है।

18. **'उप-प्रमुख शीर्ष'** - का अर्थ है एक प्रमुख शीर्ष तथा इसके तहत लघु शीर्षों के बीच प्रस्तुत किए गए मध्यवर्ती लेखा शीर्ष, जब लघु शीर्ष असंख्य होते हैं तो ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किए जा सकते हैं।

19. **'लघु शीर्ष'** - का अर्थ है प्रमुख शीर्ष या उप-प्रमुख शीर्ष का अधीनस्थ शीर्ष। प्रमुख शीर्ष का एक लघु अधीनस्थ प्रमुख शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए 'कार्यक्रम' को चिन्हित करता है।

20. **'उप-शीर्ष'** - का अर्थ है एक लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई जो समान्यतः लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।
21. **'प्रमुख कार्य'** - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक हो।
22. **'लघु कार्य'** - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होता है।
23. **'संशोधित अनुदान या विनियोजन'** - का अर्थ है विनियोजन के किसी उप-शीर्ष को आवंटित राशि, जैसा कि यह पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद हो।
24. **'पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन'** - का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन अधिनियम में शामिल प्रावधान है, जो उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हो।
25. **'नए व्यय की अनुसूची'** - का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण।
26. **'टोकन मांग'** - का अर्थ है एक मामूली या सांकेतिक राशि के लिए विधानमंडल में की गई मांग। उदाहरण के लिए, स्वीकृत बजट अनुदान के बचत से नई सेवा पर पूरे खर्च को पूरा करने का प्रस्ताव।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/new-delhi/hi>